खण्ड-316, अंक-1
मंगलवार, 25 चैत्र, शक संवत् 1897
(15 अप्रैल, 1975 ई0)

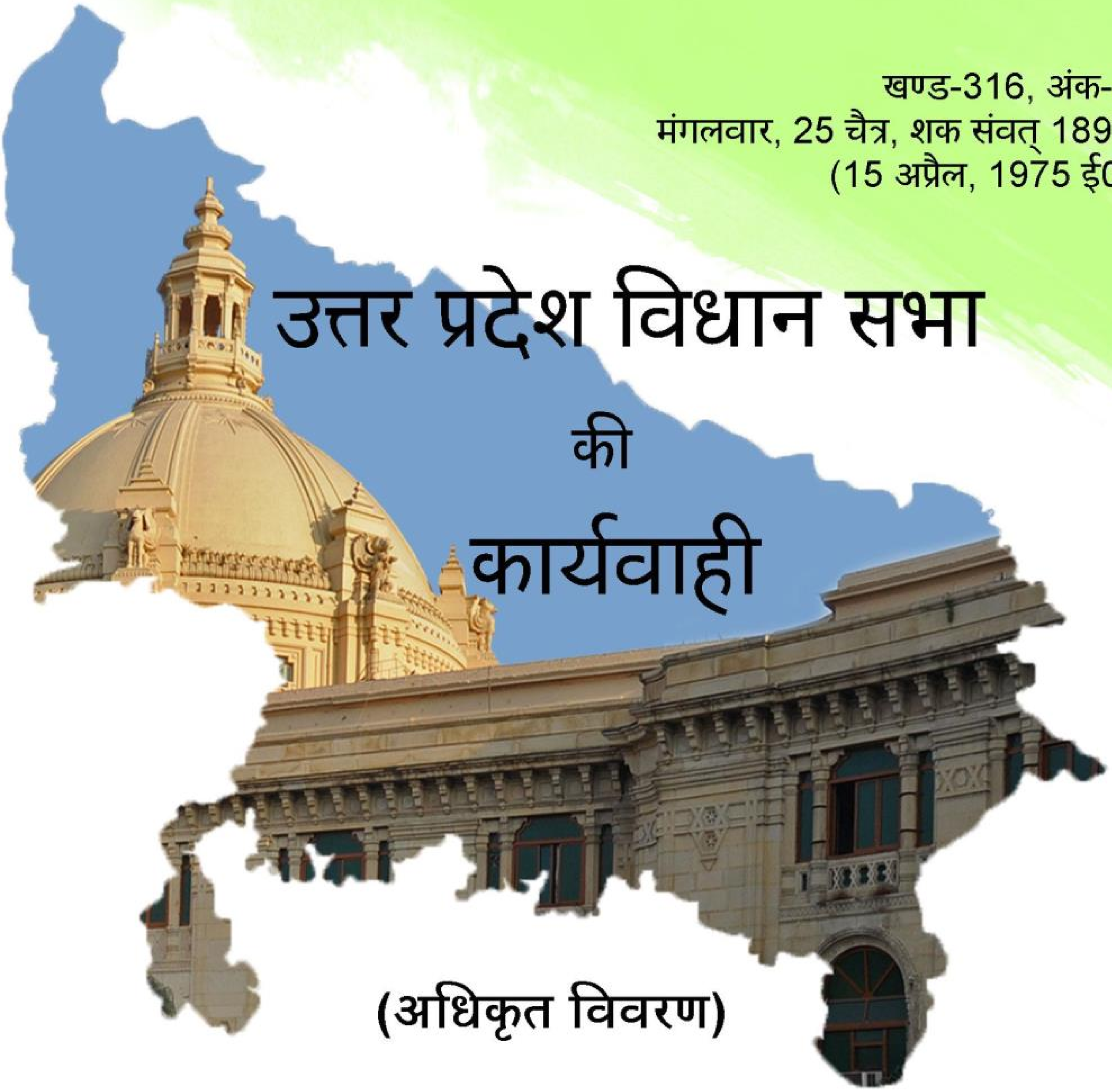

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 316 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 15 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--340

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री

गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झामलाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्म पाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरायण दत्त तिवारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)

अविभाजित पदेन

प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री

रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसमुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहुउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नव्वन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट--स्वायत्त शासन मंत्री श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 15 अप्रैल, 1975

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

देवरिया जनपद के सोनूघाट–बरहज एवं कुछ अन्य सड़कों के किनारे के वृक्षों को कटवाने की नीलामी पर ग्रामीण जनता का विरोध

*1—श्री हरि केवल (जिला देवरिया), श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव), श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) तथा श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा सोनूघाट-बरहज सड़क एवं विभिन्न सड़कों के किनारे के आम, जामुन, महुआ आदि के हजारों हरे पेड़ों को काटने का ठेका दिया गया है जिसका विरोध ग्रामीण जनता कर रही है और पेड़ काटने में बाधा डालने पर ग्राम बादीपुर के दर्जनों लोगों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल हजारों हरे पेड़ों को जनहित में काटने पर रोक लगायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

यह सही है कि जिला परिषद्, देवरिया द्वारा सोनू घाट-बरहज सड़क पर लगभग 6 किलोमीटर लम्बाई में दोनों किनारों पर तथा अन्य सड़कों पर पेड़ों को काटने का ठेका दिया गया है। जिला परिषद् ने बताया है कि पेड़ काफी पुराने हो चुके थे, कुछ खोखले भी हो चुके थे तथा फल नहीं दे रहे थे, परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार नीलाम किये गये पेड़ों में से अधिकांश पेड़ हरे और फलदार थे। जिला परिषद् ने बताया है कि स्थानीय ग्रामीण जनता द्वारा इस नीलामी का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ है अपितु जनता ने भारी संख्या में नीलाम में भाग लिया। परन्तु जिलाधिकारी ने बताया है कि यद्यपि इन पेड़ों के कट जाने का सामूहिक रोष, क्षोभ या विरोध सामने नहीं आया पर व्यक्तिगत रूप से शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा हरे एवं फलदार वृक्षों का काटा जाना समान्यतया जनता द्वारा पसन्द नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जिला परिषद् तथा जिलाधिकारी की रिपोर्टों में विरोधाभास है अतएव आयुक्त, गोरखपुर मंडल से इस संबंध में आख्या प्राप्त की जा रही है।

यह सही नहीं है कि पेड़ काटने में बाधा डालने पर वारीपुर के दर्जनों लोगों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि वारीपुर गांव में नीलामी की बोली बोलते समय एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के आदमियों से मारपीट की जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दी गयी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच के उपरान्त 3–4 आदमियों की गिरफ्तारी की जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ा जा चुका है। इस संबंध में जांच की कार्यवाही पुलिस द्वारा चल रही है।

जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष खुखुन्दू तथा बरहज को निदेश भेज कर दिनांक 13 मार्च, 1975 से पेड़ों का कटवाना रुकवा दिया तथा जिला परिषद् को भी इसी प्रकार की सलाह दी है।

श्री हरिकेवल—

माननीय मंत्री जी ने जो बयान पढ़ा है उसके आधार पर जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है उन दोनों में विरोधाभास है। तो क्या सरकार इन दोनों की जांच करायेगी ताकि पता चल सके कि किस अधिकारी ने सदन को गुमराह किया तथा गलत सूचना दी ताकि उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके? जिस समय पेड़ों का नीलाम किया गया वह किस जगह पर किया गया और वहां पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिलाधिकारी तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष की रिपोर्ट में विरोधाभास का मैंने उत्तर में जिक्र किया है और उसी विरोधाभास के कारण मैंने आयुक्त, गोरखपुर मंडल को आख्या देने के लिये कहा है। इससे जाहिर है कि विरोधाभास की जांच हो रही है। जहां तक नीलाम का सम्बन्ध है यह नीलाम जिला परिषद् ने किया लिहाजा जिला परिषद् के अधिकारियों के समक्ष यह नीलाम हुआ होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सरकार बतायेगी कि इन हरे पेड़ों को काटने के पहले कायदे के मुताबिक पर्मिट ले ली गयी थी या नहीं? फिर यह सड़क सोनूघाट से बरहज तक पी0 डब्ल्यू0 डी0 की है तो जिला परिषद् कैसे पेड़ों को काट कर सड़क को वीरान कर रही है और क्या सरकार सख्ती से इस बात की ताकीद करेगी कि पेड़ों को न काटा जाय?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

4-3-75 को जो पेड़ काटे गये थे उनकी कुल तादाद 81 है और 13 मार्च को काटना रोक दिया गया जो कि रुका हुआ है। जब तक कि जांच पड़ताल नहीं हो जाती है डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, गोरखपुर को कहा गया है कि वह जा कर देखें कि ये पेड़ काटने लायक थे या नहीं क्योंकि इन पेड़ों की स्वीकृति उन्हीं से ली जानी थी और वह शायद नहीं ली गयी। जिला परिषद् के अध्यक्ष ने 17-3-75 को एक पत्र परगना अधिकारी को लिखा। परगना अधिकारी निजी खेतों में जो पेड़ होते हैं उनकी अनुमति देता है। जब उनके पास यह पत्र पहुंचा तो यह पता चला कि पेड़ों की मंजूरी देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिये। उसके बाद कुछ लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से रोकना पड़ा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

कब पत्र लिखा.....

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् के अध्यक्ष ने 17-3-75 को परगना अधिकारी को पत्र लिखा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

13 तारीख के पहले जांच हो गई और रुकवा लिये गये लेकिन फिर भी 81 पेड़ काट लिये गये। इस चीज को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, फोरेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत, क्योंकि यह पी0 डब्लू0 डी0 की चीज थी? किन्तु महज यह इसलिये हुआ क्योंकि ये एक वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और जिला परिषद् के अध्यक्ष हो गये हैं। क्या मंत्री जी इसके ऊपर जांच कराकर अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, पूरी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही आगे कार्यवाही की जा सकती है।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पी0 डब्लू0 डी0 की सड़क के किनारे जो वृक्ष हैं वे सभी फारेस्ट विभाग के अन्तर्गत दिये गये हैं, क्या उन्हीं वृक्षों को जिला परिषद् कटवा रहा था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जिला परिषद् का कहना यह है कि ये पेड़ जिला परिषद् के हैं। इस सारी छानबीन के बाद पता करके ही बताया जा सकता है कि ये जिला परिषद् के पेड़ थे या नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के अध्यक्ष ने पेड़ काटने के लिये जो आदेश दिये उसके लिये पहले जिला परिषद् में कोई प्रस्ताव पारित हुआ था ? यदि हां, तो कब हुआ था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् ने ही यह फैसला लिया होगा क्योंकि जिला परिषद् फैसला लेने में सक्षम है। वह एक ऐसी संस्था है जो स्वयं निर्णय ले सकती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जिला परिषद् ने निर्णय कब लिया ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जो नीलामी की गई वह कितने पेड़ों की थी और कितने रुपये में यह नीलामी की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कितने रुपये में की गई, यह सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन कुल पेड़ 1216 होते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि 1216 पेड़ 2025 रुपये में नीलाम किये गये और जिसमें से 81 पेड़ कटवा दिये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि जांच होने पर सारी चीजें सामने आ जायेंगी और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो सदन को भी सूचना दी जा सकेगी।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

सारे प्रदेश में ही ऐसा किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

श्री श्रीनारायण, प्रश्न संख्या 2.....

श्री हरिकेवल--

मुझे एक आखिरी सवाल पूछ लेने दीजिये .....

श्री अध्यक्ष--

मैंने समय दिया था, आप खड़े नहीं हुये .....

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ये जो जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं कांग्रेसी हैं और ये उन्हें बचाना चाहते हैं ..... (व्यवधान)

सदन चलने नहीं दिया जायेगा। एक हजार पेड़ दो हजार रुपये में नीलाम किये गये . .

(व्यवधान)

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पर और सवाल करने की आप इजाजत दें।

श्री हरिकेवल--

मान्यवर, मुझे एक आखिरी सवाल करने दें (कई सदस्य खड़े हुए।)

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, यह एक जगह का सवाल नहीं है सारे उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

दूसरे सवाल के लिये मैंने कह दिया है।

(श्री बलदेव सिंह आर्य उत्तर देने को खड़े हुए लेकिन व्यवधान होता रहा।)

श्री हरिकेवल--

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सवाल करने दें ?

(व्यवधान)

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, एक हजार पेड़ इस तरह से कट जायं

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मान्यवर, इसमें आप आधे घंटे की चर्चा नियम 49 में दें।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दें।

ग्राम सभा गुन्नौर, विकास खंड मुसाफिर खाना, सुल्तानपुर का आडिट

*2--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा गुन्नौर, विकास खंड मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर का गत 10 वर्षों से आज तक कितनी बार आडिट हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आडिट में कोई अनियमितता पाई गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

गांव सभा गुन्नौर का 1964-65 से अब तक 3 बार लेखा परीक्षा संगठन द्वारा आडिट किया गया। कोई विशेष उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई।

श्री श्रीनारायण--

श्रीमन्, जो अनियमिततायें पाई गईं वह क्या थीं और उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, शिकायत यह थी कि प्रधान गांव सभा के पास 25 रु0 से अधिक धनराशि क्यों जमा रही ? ग्राम सभापति का कहना है कि निर्माण कार्यों के लिए उनके पास बाकी धनराशि रही। निर्माण कार्यों के उस खर्च को गम्भीर अनियमितता बताया गया है ?

श्री श्रीनारायण--

क्या उसके लिए उन्होंने पूर्व स्वीकृति ली थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, पंचायत अधिकारी के यहां से 500 रु0 का चेक भेजा गया। जब स्वीकृति ली होगी तभी यह धन ग्राम सभा के प्रधान को दिया गया। उसने उसे डाकखाने में जमा न कर के अपने पास रखा और जो निर्माण कार्य हो रहा था उस पर व्यय किया।

श्री श्रीनारायण--

उसकी स्वीकृति ली थी यह नहीं बताया।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि बगैर स्वीकृति के काम हो ही नहीं सकता है।

देवरिया जनपद के तहसील पडरौना के पकड़ियार ग्राम सभा के नौगवां नामक टोले में गांधी चबूतरे का तोड़ा जाना

*3--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया)

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद देवरिया के पडरौना तहसील के ग्राम सभा पकड़ियार (बरकंटी) तथा ग्राम सभा नौगवां के दंजर में ग्राम पंचायत द्वारा बाईस वर्ष पूर्व निर्मित गांधी चबूतरा किसी भूतपूर्व जमींदार द्वारा कुछ मास पूर्व नेस्तनाबूद करा दिया गया है जिससे ग्रामीण जनता में घोर क्षोभ है ? यदि हां, तो प्रशासन ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह मामला गांव सभा पकड़ियार के नौगांवा नामक टोले का है, ग्राम सभा नौगांवा का नहीं, इसके प्रधान ने जमींदारी उन्मूलन के पूर्व वर्ष 1949 में एक व्यक्ति की निजी परती भूमि पर बिना स्वामित्व प्राप्त किये मिट्टी का कच्चा गांधी चबूतरा बनाया था, बाद में उस भूमि को कुछ व्यक्तियों ने अपनी जोत में ले लिया और वर्ष 1965 में गांधी चबूतरा हटा कर उस भूमि पर खेती की जाने लगी इसकी सूचना 23-3-1965 को ही तहसीलदार को दे दी गयी थी। चूंकि गांधी चबूतरा व्यक्तिगत भूमि में अवैध रूप से बना था अतएव उसके गिराने

वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं हो सकी। ग्रामीणी जनता में इस बात पर क्षोभ नहीं है। गांव सभा ने अपनी भूमि में एक गांधी चबूतरा तथा अन्य निर्माण कार्य किया है।

*4—श्री राम नारायण पाठक—

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

वर्ष 1973-74 में प्रदेश के अस्पतालों में विभिन्न फर्मों को दवाइयों के मूल्य का भुगतान

*5—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि प्रदेश के अस्पतालों में साल 1973–74 में मुख्तलिफ फर्मों ने जो दवाइयां सप्लाई की थीं उनकी कीमत का भुगतान अभी बाकी है? यदि हां, तो उनके भुगतान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश के अस्पतालों में दवाइयों की मांग एवं उसकी पूर्ति का मामला

*6—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या यह सही है कि इस वक्त प्रदेश के अधिकतर अस्पतालों में जिनमें बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ भी शामिल है, दवाओं की सख्त कमी है? सरकार दवाओं की रेगुलर सप्लाई बनाये रखने के लिये क्या करने जा रही है?

श्री प्रभु नारायण—

प्रदेश के अस्पतालों में जिसमें बलरामपुर अस्पताल भी सम्मिलित है दवाओं की सख्त कमी नहीं है। दिन प्रतिदिन रोगियों की संख्या में वृद्धि होने एवं दवाओं के मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप दवाओं की कुछ कमी अनुभव की गई है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा वर्ष 1974–75 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय अस्पतालों के लिए वार्षिक अनुदान में वृद्धि की गई है। चिकित्सालयों में दवाओं की सप्लाई बनाये रखने के लिये जिला स्तर के अधिकारियों के निस्तारण पर दवाओं के बजट की 25 प्रतिशत धनराशि आबंटित कर दी गई है जिससे वह आवश्यकतानुसार अनुमोदित फर्मों से दवाओं का क्रय करके शेष 75 प्रतिशत धनराशि जो केन्द्रीय औषधि भंडार के निस्तारण पर व्यवस्थित है उससे समय-समय पर विभिन्न फर्मों को जिला स्तर के अधिकारियों को दवाइयां भेजने के आदेश दिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त जिला स्तर के अधिकारियों को उनकी मांगों के आधार पर निदेशालय के केन्द्रीय औषधि भंडार से दवायें वितरित करने की व्यवस्था भी जारी है।

वर्ष 1973-74 में प्रदेश में प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों का पंजीकरण

*7—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतायेंगे कि वर्ष 1973–74 में प्रदेश में कितने प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों का पंजीकरण किया गया?

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

वर्ष 1973 तथा 1974 में प्रदेश में क्रमशः 291 तथा 149 प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों का पंजीकरण किया गया ।

वर्ष 1973-74 के ग्रान्ट के भुगतान न होने से श्रीनगर गढ़वाल के कुष्ठ चिकित्सालय में भूख से रोगी की मृत्यु

*8—श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या उसे इस प्रकार की कोई सूचना मिली है कि 1 दिसम्बर, 1974 से 15 फरवरी, 1975 की अवधि में श्रीनगर गढ़वाल के कुष्ठ चिकित्सालय में किसी रोगी की, भोजन न मिलने के कारण, भूख से मृत्यु हो गई ? क्योंकि वर्ष 1973–74 में कुष्ठालय को ग्रान्ट नहीं दी गई ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री प्रभु नारायण—

किसी भी रोगी की भूख के कारण मृत्यु नहीं हुई । संस्था को वर्ष 1973–74 में 12,000 रुपये का आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया था, परन्तु आदेश प्राप्त न होने के कारण संस्था अनुदान का भुगतान न ले सकी ।

[15 अप्रैल, 1975 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर आवास योजना, इलाहाबाद के नाम से मकान निर्माण हेतु अल्पकालीन निविदा की मांग

*1—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर महापालिका विकास विभाग, इलाहाबाद ने जुलाई, 74 में तथाकथित श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर आवास योजना के नाम से मकानों के निर्माण के लिये 4,23,300 रुपयों की अल्पकालीन निविदा मांगी जब कि नगर महापालिका के पास कुछ भी धन उपलब्ध नहीं था और योजना अंतिम रूप से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता की जानकारी को सही मानते हुए कि उक्त सारा मामला संदिग्ध है तथा इसमें भारी घोटाला है इसकी जांच करायेगी और दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन एवं आवास मंत्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर में मकानों के निर्माण हेतु जुलाई, 1974 में अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने का उद्देश्य यह था कि मास्टर प्लान में भू-प्रयोग के परिवर्तन के पश्चात् योजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ करने में विलम्ब न हो। नगर महापालिका के कोष में उस समय रु0 1,30,581.63 पैसे की धनराशि उपलब्ध थी। जांच आवश्यक प्रतीत नहीं होती क्योंकि उक्त योजना के अन्तर्गत अभी कोई व्यय नहीं हुआ है ।

मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक शब्द इस बारे में कहना चाहता हूं । ठीक यही प्रश्न कुछ दिन पहले यहां तीसरे मंगलवार को आया । फिर भी मैं यह साहस नहीं कर सकता कि यह लिख कर देता कि यह एक दफा आ चुका है इसलिये दुबारा आवश्यकता नहीं है । इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मंत्री जी जो गलत बयानी कर रहे हैं. . . . . .

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मैं इसका उत्तर दे रहा हूं (उत्तर दिया गया)।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अल्पकालिक निविदा यानी टेंडर तभी मांगा जाता है जब कोई टाप प्रायोरिटी का कार्य होता है क्योंकि साधारणतया एक महीने का समय दिया जाता है। और इसमें जो टेंडर मांगा वह 4 लाख 23 हजार 3 सौ का था जब कि मंत्री जी ने बताया कि यह एक लाख 30 हजार इस कार्य के लिए उपलब्ध था। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब महापालिका के पास रुपया उपलब्ध नहीं था तो क्या कारण था कि इतनी जल्दबाजी इसमें की गई और टेन्डर मंगवाए गये व हजारों रुपया समाचार-पत्रों में विज्ञापन पर व्यर्थ में खर्च किया गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जहां तक मेरी जानकारी है कोई अवरोध नहीं है इस दिशा में कि अल्पकालीन निविदा मांगी जाए या नहीं। यहां मंगाने वाले अधिकारी का विकल्प है। जब उसमें इतना काम हो गया, तो उन्होंने सोचा कि निविदा फिर मांगेंगे, तो तब तक कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ऐसी शक्ल में एक कार्य को जल्द गति देने के लिए यह किया गया। मेरी राय में यह ठीक किया गया, कोई गलती नहीं हुई।

श्री ऊदल—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नगर आवास योजना है, उसकी रूपरेखा क्या है, क्या जमीन आदि मिल गई है, प्लाटिंग आदि कर दी गई है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जमीन नगरमहापालिका के कब्जे में है, प्लान बन गया है, डेवलपमेंट अथारिटी के द्वारा स्वीकृत हो गया है और लैण्ड ड्यूज भी स्वीकृत हो गया है और अब वह शासन के पास अन्तिम स्वीकृति के लिये आया हुआ है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या यह बात मंत्री जी को पता है कि यह जो स्थान है, वह कार्यालयों के लिये उपयुक्त है, आवासीय स्थलों के लिये नहीं, किन्तु चूंकि वह माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम से सम्बन्धित था, इसलिये इसको किया गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

इससे इसका सम्बन्ध नहीं है। समझा गया कि कार्यालय के आस-पास बड़ी गंदगी रहती है इसलिये उनके कर्मचारियों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो अच्छा हो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या यह सही है कि पहले वहां कागजों में डा० राममनोहर लोहिया मार्ग को गिराकर योजना बनाने की बात की गई थी, किन्तु बाद में जब आपत्ति की गई तो वह योजना कैंसिल कर दी गई ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि पहले क्या हुआ ।

जनपद बरेली के जिला सहकारी बैंकों में गबन की शिकायतें

*2--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बरेली के जिला सहकारी बैंकों में गबन की शिकायतें 1972-73 एवं 1973-74 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन हुआ ? और उनमें कौन-कौन दोषी हैं ? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण सिंह--

बरेली जनपद के जिला सहकारी बैंक के विरुद्ध वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 में गबन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि भ्रष्टाचार की कोई और भी आपत्तियां आडिट द्वारा या व्यक्तियों द्वारा सरकार को भेजी गई हैं ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां, अलग-अलग 23 दरख्वास्तें हैं, एक की पूछें तो बताऊं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

पहले आपने कहा कि कोई है नहीं अब बताया तो सारांश इनका बता दीजिए कि किसका-किसका क्या है ?

श्री नारायण सिंह--

दरख्वास्तें गबन के विषय में नहीं हैं, अलग हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

गबन नहीं है, तो गलत इस्तेमाल होगा ।

श्री अध्यक्ष--

आगे का पूछ लीजिए ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

सवाल का जवाब तो हमें 9 बजे या 10 बजे मिलता है, तीन दिन पहले तो देते नहीं, जो हम भी अपने कागज इकट्ठा कर लें । यह जवाब तो इनके पास तैयार होता नहीं और यह चाहते हैं कि हम तैयारी करें । यह कहते हैं कि कोई नहीं आया--

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इनके पास शिकायतें आई हैं, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार के बारे में उसमें न लिखा हो....

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

आप क्यों रोक रहे हैं, चीज खुलने दीजिए, बहुत बड़ा घपला है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

वह खुद बता दें, इतनी देर में वह बता देंगे ।

मान्यवर, वह बता रहे थे । आप बताने दीजिये । जो दरख्वास्तें आई हैं उनमें से दो का ही बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप आरोप बताइये कि कैसे गबन है तो मैं समझ सकता हूं । गबन है, अनियमितता है, आप प्रश्न करें तो कुछ समझ में आये ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, जो शिकायतें हैं उनमें मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें हैं ? अनियमितता है, गबन है या बदनीयती की है ?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, गबन की कोई शिकायत नहीं है । अनियमितता और एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें हैं । एक माननीय क्षेत्रपाल सिंह ने शिकायत की है । कोषाध्यक्ष बैंक के विरुद्ध शिकायत की है ।

नगर महापालिकाओं के रिवीजन के मामले

*3—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की नगर महापालिकाओं के कितने रिवीजन के केसेज 28 जुलाई, 1974 तक शासन के विचाराधीन थे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

आर0 बी0 ओ0 ऐक्ट, 1958 की धारा 15—क के अन्तर्गत प्रदेश की नगर महापालिकाओं के 142 मामले 28 जुलाई, 1974 तक विचाराधीन थे ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बतायेगी कि यह मामले कितने वर्षों से विचाराधीन हैं ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

कुछ मामले तो पुराने 1968 से हैं । कुछ नये हैं 2/3 वर्ष से ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बतायेगी कि नगरपालिकाओं के मामलों में निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

एक तो मुझे यह निवेदन करना है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि 559 मामले आये थे उनमें से 417 का निस्तारण हो चुका है । केवल 142 मामले बाकी हैं । इनमें कारण यह है कि कुछ में स्टे आर्डर हो गया है, कुछ में सूचना नहीं मिलती है, कुछ इन्टरेस्टेड पार्टीज अड़ंगे डालती हैं । कई तरह के ऐसे कारण हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

कब तक निबटारा होने की आशा की जा सकती है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या अपने कार्यकाल में समाप्त करेंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

आपके कार्यकाल में तो समाप्त हो ही जायेंगे ।

सिविल लाइन्स, इलाहाबाद के नजूल भूखण्डों का पट्टा

*4—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 3, दिनांक 4–1–72 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में सिविल लाइन्स तथा अन्य स्थलों की जमीनों की लीज रिन्यू करने के मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या इस सम्बन्ध में सन् 1974 में कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

सिविल लाइन्स, इलाहाबाद स्थित कुछ नजूल भूखण्डों के समाप्त पट्टों के सम्बन्ध में नया पट्टा देने के संबंध में उच्च स्तरीय विधि परामर्श प्राप्त किया जा रहा है । अधिकतर मामलों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश पारित किये जा चुके है तथा तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

दिनांक 28 सितम्बर, 1974 को शासन द्वारा नजूल पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में शासकीय नीति स्पष्ट करते हुए एक शासनादेश जारी किया गया था जिसकी प्रति सदन के पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 119–121 पर)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह विषय लगभग 30 वर्षों से विचाराधीन है । 4–1–72 को आश्वासन दिया गया था कि सरकार नवीनीकरण के संबंध में कार्यवाही करेगी तो 1972 से लेकर अब तक किस-किस के पक्ष में पट्टों का नवीनीकरण किया गया है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, यह कहना ठीक है कि कई वर्षों से यह विचाराधीन है । लेकिन कठिनाइयां आती रहीं लेकिन गति बढ़ती रही । 1972 में नीति की घोषणा की गई । उसके अनुसार कार्य हुआ । इलाहाबाद नगर बहुत बड़ा है । वहां के नागरिक बड़े प्रबुद्ध और प्रभावशाली हैं । तरह-तरह की आपत्तियां आईं । उनको देखते हुए 73–74 में फिर से आदेश दिये गये । अब फिर आपत्तियां आई हैं । हमने एटोर्नी जनरल से राय प्राप्त की है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरा प्रश्न मान्यवर निश्चित था कि किन–किन महानुभावों के पक्ष में अंतिम निर्णय नवीकरण के सम्बन्ध में लिये गये और कितने लोगों के पक्ष में सरकार ने अब तक निर्णय नवीकरण के सम्बन्ध में लिया है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

आपने नम्बर और संख्या नहीं पूछा है, फिर भी जहां तक सूचना है अभी 1972 से अब तक कोई भी नवीकरण नहीं हो पाया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक भी नहीं हो पाया है बल्कि करीब-करीब नहीं हो पाया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर मंत्री जी दें कि आज तक किसी एक भी मामले में किसी व्यक्ति के पक्ष में पट्टे के संबंध में नवीकरण सरकार ने किया है कि नहीं ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, आप देखें कि आज तक का जो प्रश्न है, यह कितना व्यापक प्रश्न है। कब से आज तक ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं केवल एक सूचना आपको दे देना चाहता हूं कि जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान दे दी, उन लोगों को तो पट्टा करने में देर करते हैं। एक गोरखपुर का मामला है, जिन बड़े आदमियों के नाम पट्टा करना है, वह तो कर देते हैं और जो आदमी देश की खातिर जान दे देते हैं, उनको पट्टा नहीं करते हैं।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, सिविल लाइन्स में जो हरिजन लोग रहते हैं, अपने मकानों को बना कर, क्या माननीय मंत्री जी उनकी जमीनों का पट्टा उनके नाम करवाने की कृपा करेंगे, जो लीज की जमीन पर रहते हैं, उनका रिन्युवल करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, रिन्युवल के नियम में जो लोग भी आयेंगे, उनको करेंगे, हरिजन आयेंगे, तो बड़ी खुशी होगी।

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

मान्यवर, वहां पर गरीब हरिजन लोग रहते हैं, उनकी जमीनों का रिन्युवल होना बहुत जरूरी है।

श्री तीरथराज कोहली (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद, हाईकोर्ट, जो कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे, तो उनकी कोठी का नवीकरण किया गया है ? यदि हां, तो उनकी कोठी के पट्टे का नवीकरण करने का क्या कारण था ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां, नवीकरण किया गया था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर उनके पट्टे का नवीकरण किया गया था ?

श्री तीरथराम कोहली--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पट्टे के नवीकरण करने का क्या आधार था ?

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सिविल लाइन्स इलाहाबाद में कितनी जमीनों पर हरिजनों का मकान है ?

श्री अध्यक्ष--

हर जगह हरिजन का सवाल आप उठा देते हैं। उनको इससे क्या मतलब ?

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

हरिजनों का सवाल उठा देने से कोई आपत्ति है ? आप यह निर्णय दे दें कि हरिजनों का सवाल विधान सभा में न उठाया जाय, तो न उठाया जाय। सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में कितने हरिजनों के मकान बने हुए हैं, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राम अधार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप सीधा प्रश्न कीजिए। यह नहीं लिखा जायेगा। आप प्रश्न करें।

श्री राम अधार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है।

आबकारी आयुक्त के सरकारी निवास, इलाहाबाद में नव-निर्मित मोटर गैरेज पर व्यय

*5--श्री मधुकर दिघे--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त के सरकारी निवास इलाहाबाद में एक नया मोटर गैरेज हाल में बनाया गया है, यदि हां, इस गैरेज को बनवाने में कितना व्यय हुआ और यह व्यय किस मद से किस विभाग द्वारा दिया गया ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)--

जी हां।

इस गैरेज को बनवाने में रु0 1,200 व्यय हुआ जिसका भुगतान लेखा शीर्षक "239-राज्य आबकारी शुल्क" के अन्तर्गत अनुरक्षण (निर्माण कार्य) के मद से किया गया है।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर जो जवाब दिया गया है वह पूरा नहीं है मैंने पूछा था कि किस विभाग द्वारा कराया गया, यह कब आदेश हुए और कब बनवाया गया।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

डाक्टर चरण सिंह—

मान्यवर, मैंने यह बताया कि एक्साइज कमिश्नर के आदेश पर बनवाया गया 74–75 के साल में और उन्होंने कान्ट्रैक्टर्स से टेन्डर लिए थे और जो सबसे कम का था 1,200 का, उसके मुताबिक बनाया गया।

श्री मधुकर दिघे—

क्या सरकार की यह नीति थी कि इस वर्ष इस तरह का कोई काम न किया जाये जो बहुत आवश्यक न हो, तो जो यह आदेश दिए गये, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर चरण सिंह—

चूंकि सरकार की तरफ से वहां पर 3 गाड़ियां दी गयी थीं पहले दो गाड़ियां दी गईं एक नहीं दी गयी थी उसकी सुरक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं था इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि एक गैराज बनवा लिया, जिससे कि कीमती गाड़ी खराब न हो जाये। चूंकि उनको अधिकार था और फाइनेन्शियल हैण्डबुक की धारा 262 के अनुसार भी है और उनको खर्च करने का अधिकार है ।

श्री मधुकर दिघे—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार के यह आदेश थे कि बजट हो या न हो कोई ऐसा काम न किये जाये जो कि अति आवश्यक न हो तो यह गैराज क्यों बनाया गया। मेरी जानकारी में है कि इसको मोहन साहेब ने बनवाया था उनको डेढ़ करोड़ रुपया जमा करना था इसको कमिश्नर महोदय ने जमा नहीं करवाया। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

डाक्टर चरण सिंह—

गाड़ी कीमती थी और 1,200 बहुत बड़ी रकम नहीं थी। मोहन मीकन की मदद से नहीं बनवाया गया। वह तो सरकारी मद में था। सरकारी खजाने से पैसा खर्च हुआ और नेकनीयती से खर्च किया गया कि गाड़ी कीमती थी और उसकी सुरक्षा जरूरी थी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

यह गाड़ी उनके पास कितने दिनों से है और पहले कितनी गाड़ियां रहती थीं।

डाक्टर चरण सिंह—

पहले दो गाड़ियां थीं और 74–75 में एक स्टाफ वैगन उनको मिली। इसको खड़ी करने के लिये कोई गैराज नहीं था। कहां से मिली ? सरकार से मिली।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

पोर्टिकों में खड़ी हो सकती थी। और वह खराब न होती।

श्री अध्यक्ष—

यह तो तर्क है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

केवल 1,200 रु0 का सवाल नहीं है। अब एक नयी गाड़ी आ गयी। अब आप एक तरफ मितव्ययता का आदेश पारित कर रहे हैं तो इस गाड़ी को क्यों खरीदा गया ?

डाक्टर चरण सिंह—

गाड़ी तो पहले से थी ।

श्री मधुकर दिघे—

2 से अधिक गाड़ियां खरीदने की इजाजत किसने दी ?

डाक्टर चरण सिंह—

सरकार ने इजाजत दी। पहले उनके पास एक जीप थी और एक मिनी बस थी। स्टाफ कार कोई नहीं थी। इसलिये दी गयी। क्योंकि टूर करना पड़ता है।

*6—श्री मधुकर दिघे—

[6वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 42 पर स्थानान्तरित।]

जिला सहकारी बैंक लि०, कानपुर में गबन का मामला तथा गिरफ्तारी

*7—चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, कानपुर में सितम्बर-अक्टूबर, 1974 में 42,000 रु0 का गोल-माल किया गया तथा कथित खरीद का अभियोग मामला विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता विभाग), कानपुर को जांच हेतु सौंपा गया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां।

दिनांक 28-9-74 को श्री सुल्तान सिंह, सरपंच बेबन सहकारी समिति द्वारा एक रिपोर्ट थाना रायपुरवा-कानपुर में दर्ज करायी गयी जिसमें जिला सहकारी बैंक लि0, कानपुर में करीब 40 हजार रु0 के गबन का संदेह अंकित किया गया।

उपरोक्त मामले की विवेचना शेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा की जा रही है जो अभी समाप्त नहीं हुई है।

*8—चौधरी राम पाल सिंह यादव—

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त घोटाले के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल तिवारी, सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0, कानपुर को नवम्बर, 1974 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था ? यदि हां, तो उन्हें अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां।

इस मामले में पुलिस की विवेचना अभी चल रही है, जिसके पूरे होने पर श्री सुन्दर लाल त्रिवेदी को निलम्बित करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जायेगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुलतान सिंह ने जो रिपोर्ट लिखायी है वह क्या है ?

श्री नारायण सिंह—

थानाध्यक्ष, थाना राय पुरवा, कानपुर को सूचित करना है कि जिला सहकारी बैंक लि0, 87/21 आचार्य नगर, कानपुर के सचिव श्री सुन्दर लाल, पूर्व प्रशासक आर0 एन0 द्विवेदी, श्री रमेश कुमार शुक्ला, शाखा प्रबन्धक एवं बैंक के ही कुछ अन्य कर्मचारी ने अपने

सहयोग से लौह उद्योग सहकारी समिति आचार्य नगर कानपुर, नामक एक बोगस संस्था से साठ-गांठ करके लगभग 40 हजार रुपया सार्वजनिक धन का अपहरण किया है। अब किसी प्रकार पूर्ति रेगुलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी दशा में निवेदन है कि प्रथम सूचना अंकित करके आवश्यक कार्यवाही की जावे। यदि तुरन्त कार्यवाही की जायेगी तो सारा रहस्य खुल जायेगा। प्रार्थी सुल्तान सिंह सरपंच (सुलतान सिंह) बेबन सा0 सह0 समिति लि0, थाना अकबरपुर, जिला कानपुर, दिनांक 28-9-74।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

जो 40 हजार का गबन है तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसको मुअत्तल क्यों नहीं किया गया ?

श्री नारायण सिंह--

26-10-74 को अरेस्ट किया गया था, जेल भेजा गया और जमानत पर रिहा हो गये। इस मुहकमे में ऐसे मामले विचाराधीन हैं जैसे ही पुलिस से चार्जशीट मिलेगी मुअत्तल कर दिया जायेगा।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

कानपुर जनपद के इस तरह के कई मामले हैं और उनको पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया लेकिन चार्जशीट नहीं आयी। मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे मामले हैं जिनको पकड़ा गया लेकिन आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किए गये और क्यों नहीं प्रेषित किये गये ?

श्री नारायण सिंह--

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य लिख कर दे दें तो सूचना आ जायगी। चूंकि कानपुर जिला बहुत बड़ा है, इसलिये बताना मुश्किल है।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया ? क्या प्राइमा फेसी केस बनने से पहले ही उनको एरेस्ट कर लिया गया था ? जो रिपोर्ट दर्ज है क्या उसके अनुसार भी उनके खिलाफ प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है ?

श्री नारायण सिंह--

जो रिपोर्ट दर्ज है उसको मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है। अगर इस प्रकार से अधिकारियों को सस्पेन्ड करते रहे तो मामला कैसे चलेगा। जब हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि जुर्म बनता है तभी हम किसी को सस्पेन्ड करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इन्हीं के डिपार्टमेंट का जो विजिलेन्स सेल है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तार किया है तो इससे ज्यादा और कौनसा प्राइमाफेसी केस माननीय मंत्री जी समझते हैं, उनको सस्पेन्ड करने के लिए ?

श्री नारायण सिंह--

मैं स्वयं भी इस चीज को महसूस करता हूं कि जब इनको एरेस्ट किया गया था उसी के बाद इनको मौत्तिल किया जाना चाहिए था। मैंने अपने पुलिस शाखा को लिखा है कि

[श्री नारायण सिंह]

वे तहकीकात करके पूरे कागजात सरकार को भेजें। 41 गवाहों के बयान हो चुके हैं, 4–5 गवाह बाकी हैं, मुझे आशा है 4–5 दिन में उनकी रिपोर्ट आ जायगी इसके बाद अगर निलंबित किया जाना उचित समझा गया तो अवश्य करूंगा।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)––

क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि ये सचिव महोदय, यहां के एक बहुत बड़े अधिकारी के रिश्तेदार हैं, जिनकी ओर से बराबर सरकार पर दबाव पड़ रहा है कि उनको मौत्तिल न किया जाय? तो क्या इस जानकारी को देखते हुए, उनको मौत्तिल करने के आदेश देंगे?

श्री नारायण सिंह––

जो माननीय सदस्य ने कहा, उसकी जानकारी मुझे आज ही सुबह हुई और जब मुझे इत्तिला मिली तो मैंने तुरन्त 4–5 दिन में ही रिपोर्ट मंगाने के आदेश दिए ताकि अग्रिम कार्यवाही, उस सिलसिले में कर सकूं।

चौधरी राम पाल सिंह यादव––

माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जब ये जेल भेजे गये थे तो उसी समय इनको निलंबित कर देना चाहिए था तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब इन्हें तुरन्त निलंबित करने में क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष––

इसका जवाब तो इन्होंने दे दिया है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)––

इस तरह की हर विभाग की बातें यहां पर आती हैं कि सतर्कता विभाग में सिफारिश करके उन्हें दबवा दी जाती हैं। जब आपने स्वयं महसूस किया कि उनका एरेस्ट होनेके साथ ही निलंबन हो जाना चाहिये था तो अब आप पर किस नेता का या अधिकारी का प्रेशर पड़ा कि आप अब तक उसे टालते रहे? तो मैं जानना चाहता हूं कि किसके दबाव के कारण आपने उसको अब तक निलंबित नहीं किया है?

श्री नारायण सिंह––

ऐसा मालूम पड़ता है कि आप मेरे उत्तर को पूरी तरह से समझ नहीं पाये। मैंने कहा है कि आज ही मुझे यह बात मालूम हुई और मैंने तुरन्त ही 4–5 दिन में रिपोर्ट मंगाने के आदेश दे दिए हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रिपोर्ट आने पर यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें तुरन्त निलंबित किया जायगा।

बस्ती जिले के उप मुख्य चिकित्सक एवं एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध शिकायत

*9––श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के सरकारी अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सक व वर्तमान एकाउन्टेन्ट के खिलाफ हाल ही में शिकायत मिली है और उन्हीं शिकायतों के आधार पर उनका स्थानान्तरण भी हो चुका है? यदि हां, तो शिकायत के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया और नहीं तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण––

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*10—श्री बाबूलाल वर्मा—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर स्थानान्तरित।]

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा हरैया, बस्ती द्वारा फर्जी लोन का मामला

*11—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सहकारिता मंत्री को इसकी जानकारी है कि राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा-हरैया, जिला बस्ती में एक व्यक्ति (श्री देवता दीन आत्मज श्री झिंगूरी सिंह, हरैया, जिला बस्ती) के नाम दिनांक 30-3-74 को फर्जी ढंग से लोन की रकम निकाल ली गई है? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह—

जी हां।

श्री देवतादीन ग्राम इटबहरा, विकास खंड गौर के नाम दिनांक 30-3-74 को फर्जी नाम से ऋण निकाला गया।

प्रधान कार्यालय द्वारा की गयी जांच के आधार पर दोषी शाखा प्रबन्धक को दिनांक 31-3-75 को एवं शाखा आंकिक को 8-7-74 को निलम्बित कर दिया गया है।

श्री दशरथ सिंह—

देवतादीन के नाम फर्जी तरीके से कर्ज निकालने का समाचार कब और किस तरह से प्राप्त हुआ?

श्री नारायण सिंह—

22-10-74 को मालूम हुआ।

श्री दशरथ सिंह—

यह सूचना किसने दी?

श्री नारायण सिंह—

समाचार-पत्र 'जन मोर्चा' के थ्रू हमें यह सूचना मिली।

श्री दशरथ सिंह—

3-7-74 को आपने बताया कि वह मुअत्तल कर दिये गये जबकि सूचना आपको 22-10-74 को मिली। तो यह दोनों बातें कैसे ठीक हैं?

श्री नारायण सिंह—

इन अधिकारी के खिलाफ और दूसरे केसेज चल रहे थे इसलिये वह पहले से ही मुअत्तल थे। जब एक केस में मुअत्तल थे तो दोबारा मुअत्तल करने का कोई सवाल नहीं उठता।

कानपुर स्थित सुपर बाजार की चार शाखाओं पर केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग का छापा

*12—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 27 फरवरी, 1974 से 2-3-74 के बीच नया बाजार, कानपुर की 4 शाखाओं, चुन्नीगंज, लाल बंगला, चकेरी और अर्मापुर में केन्द्रीय एक्साइज विभाग द्वारा छापा मार कर विदेशी कपड़े, घड़ियां और सौन्दर्य प्रसाधन

[श्री बाबू लाल वर्मा]

सामग्री पकड़ी गई ? यदि हां, तो कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया तथा इसका निर्धारित क्रय-विक्रय मूल्य क्या था ? इस कार्य मे कौन-कौन से कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाये गये तथा सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण सिंह--

1974 में नहीं बल्कि केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग ने फरवरी 26 व 28, 1975 के बीच नया बाजार, कानपुर के गोदाम व उसकी सात शाखाओं (चुन्नीगंज, लाल बंगला, अर्मापुर, पनकी, सम्पूर्ति मोती झील, एच0 ए0 एल0 तथा आई0 आई0 टी0) पर छापा मार कर 3,50,870.72 रु0 के विक्रय मूल्य का विदेशी माल सील किया जिसका क्रय मूल्य लगभग 3,10,000 रु0 था।

केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर दोषारोपण व उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबूलाल वर्मा--

यह सामान कहां से खरीदा गया, किसने खरीदा और किस देश का था ?

श्री नारायण सिंह--

3,50,870 रुपये का सामान था, तो यह तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जायगा लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह सब विदेशी माल होता है जो बम्बई, मद्रास, जो समुद्र तट हैं वहां कस्टम विभाग पकड़ता है। वह माल इन संस्थाओं द्वारा बिक्री किया जाता है।

श्री जगदीश अवस्थी--

क्या यह सामान लाट में खरीदा था और इसकी रसीदें थी या नहीं ? यदि रसीदें थीं तो क्यों पकड़ा गया, क्या दोषारोपण था और यह माल कब खरीदा गया था ?

श्री नारायण सिंह--

यह तो लगातार आता रहता है। कोई एक डेट नहीं होती कि फलां तारीख तक माल आया। 3,50,870 रुपये का माल हमारे यहां था। उसमें से 3,50,104 रुपये का बीजक वगैरह सब मिल गया लेकिन 766 रुपये का बीजक व कागज वगैरह देख रहे हैं, मिल जाने पर कस्टम अधिकारी के सामने पेश कर दिये जायेंगे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

नया बाजार चुन्नीगंज में अक्सर स्मगलिंग का माल चोरबाजारी में बेचा जाता है, इसकी आप जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इससे इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री बाबूलाल वर्मा--

जो सामान पकड़ा गया था उनको किस व्यक्ति ने खरीदा था ?

श्री अध्यक्ष--

3 लाख का माल था, ये कैसे बतला सकते हैं ?

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, उसका बाजार, बस्ती का भवन

*13—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हेल्थ सेन्टर, उसका बाजार, जिला बस्ती की बिल्डिग पुरानी हो गई है और रहने लायक नहीं है ? यदि हां, तो क्या उसके बजाय नये अस्पताल भवन का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्नगत चिकित्सालय का भवन खराब हालत में है, किन्तु धनाभाव के कारण यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसका नया भवन कब तक बनवाया जा सकेगा।

श्री राम रेखा यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह अस्पताल रहने के लायक भी नहीं है, तो उसके लिये वह भवन कब तक बन जायेगा ?

श्री प्रभु नारायण—

लगभग 10 हजार रुपये से वहां एक कमरा, शौचालय, रसोईघर, बरामदा तथा चहार-दिवारी की मरम्मत और निर्माण कार्य किया गया है। जहां तक भवन निर्माण की स्थिति का प्रश्न है, इसके लिये ऐसा प्रयास इस वर्ष करने की बात की जायेगी उसमें और ज्यादा मरम्मत करा दी जाय। पूरा मकान गिरा कर बनाने की स्थिति इस समय नहीं है।

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

क्या आपको जानकारी है कि इस भवन के बनवाने के लिये पिछले वर्ष पूरा रूपया दिया गया था लेकिन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार में पटरी नहीं बैठी, इसलिये वह रुपया वापस चला गया ? साथ ही यह भी बतलावें कि इस अस्पताल में कितने बेड्स हैं और खपड़ा, नरिया नहीं रह गयी है, बिलकुल गिर गयी है, फिर वे मरीज कहां रहते हैं ? साथ ही क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि उसका बाजार में जो अस्पताल है, वहां कूड़ा, धोंधी आदि कई नदियों का संगम रहता है और अगर अस्पताल को बनवाने के लिये आपके पास धन नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस अस्पताल को जल्द से जल्द बनवाने के लिये आप धन के लिये क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

माननीय सदस्य ने पहली बात तो यह कही कि पूरा अस्पताल बनवाने के लिये रुपया दिया गया था और उस वक्त चूंकि ठेकेदार और विभाग के आफिसरों में झंझट हो गया, इस वजह से रुपया वापस चला गया, ऐसी कोई सूचना विभाग के पास मौजूद नहीं है। मैंने माननीय सदन को बतलाया कि 10 हजार रुपये से एक कमरे की मरम्मत वगैरह करायी गयी और एक शौचालय, बरामदा व चहारदीवारी वगैरह ठीक करायी गयी। एक कमरे में अस्पताल चल रहा है। उसके साथ-साथ जो 4 और कमरे बनाने की बात है, उसके लिये कुछ पैसे निकाल कर उसकी मरम्मत वगैरह करा दी जायेगी।

श्री राम समुझ तिवारी—

मान्यवर, वह अस्पताल मेरे मकान से 100 गज के फासले पर है। वह मकान जिसमें मरीज रहने की बात मंत्री जी कहते हैं, आयुर्वेदिक अस्पताल की एक बहुत पुरानी बिल्डिग

[श्री राम समुझ तिवारी]

है जिसे वैद्य जी ने चन्दा करके बनवाया था। माननीय मंत्री जी कागज देख कर बात कर रहे हैं लेकिन मेरी जानकारी है कि वह खपरैल की इमारत है, नरिया, खपड़ा वगैरह सब गिर गया है और मरीजों के रहने की वहां कोई जगह नहीं है। अस्पताल में जो 8 बेड की बात कही जाती है, तो वह बेड्स कहां पर हैं और हमारे मरीज कहां रहते हैं? आप इसकी जानकारी हासिल कर लें और आप कहें तो मैं लिख कर दे दूं, चाहे आप मेरी सूचना को ही मान लें क्योंकि मैं जनता के द्वारा चुना गया जन-प्रतिनिधि हूं।

मान्यवर, और इसकी इन्क्वारी अवश्य होनी चाहिये कि रुपया वहां गया और क्यों वापरा चला आया। ऐसे बेईमान अधिकारियों के खिलाफ क्या आवश्यक जांच करेंगे?

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, जहां तक इसके इन्तजाम का प्रश्न है, इस संबंध में लाटरी फंड से 9 हजार 900 रुपये दियेगये। माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से इस व्यवस्था के सिलसिले में रुपया नहीं दिया गया। इस संबंध में जो कमरे बनाये गये हैं. . . .

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, सवाल यह हैकि लास्ट ईयर जो रुपया वहां दिया गया वह क्यों नहीं लगाया?

श्री अध्यक्ष--

आप बीच में क्यों टपक पड़े।

(व्यापक हंसी)

श्री राम समुझ तिवारी--

इस इमारत में. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

आपका ही जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण--

कमरे, शौचालय, रसोईघर के संबंध में जो 9 हजार 900 रुपये दिये गये उसी से कमरे, रसोईघर, बरामदा ठीक किया गया था। मान्यवर, इस संबंध में जहां तक माननीय सदस्य की शिकायत की बात है तो मैं माननीय सदस्य से लिखित नहीं चाहता। वल्कि उनके कहने से सदन के सामने, मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। जांच माननीय सदस्य के सामने होगी। माननीय सदस्य भी इस जांच में शामिल रहेंगे।

बस्ती जिले के विकास खंड उसका बाजार एवं बर्डपुर में राजकीय महिला अस्पताल खोलना

*14--श्री राम रेखा यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के विकास खंड उसका बजार तथा विकास खंड बर्डपुर बाजार में राजकीय महिला अस्पताल खोलने का विचार सरकार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण--

वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल दो महिला एलोपैथिक अस्पताल खोलने की योजना है। यह अस्पताल दो ऐसे स्थानों पर खोले जायेंगे जहां इनकी अधिक आवश्यकता होगी और जहां जनता द्वारा दान स्वरूप भवन उपलब्ध कराया जायगा। क्योंकि प्रश्नगत स्थानों के सम्बन्ध में अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है, अतः अभी इन स्थानों पर अस्पताल खोलने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(मंत्री जी के लिखित उत्तर पढ़ने के पश्चात्)

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, इस प्रश्न की स्थिति जैसी है, जो उत्तर दिया गया उस समय जो स्थिति थी इसका निर्णय नहीं हुआ था। इस संबंध में सन् 74-75 के लिये निर्णय कर दिया गया है। तो सैदपुर जिला बदायूं में महिला अस्पताल खोलने और विधुना जिला इटावा में महिला अस्पताल खोलने का निश्चय किया गया है। 2 महिला अस्पताल खोलने का निश्चय किया गया है।

श्री राम रेखा यादव--

मान्यवर, महिला अस्पताल जो खोलने की मांग है तो इस संबंध में कहना चाहता हूं कि उसका बाजार जो है वहां विदेशी आदमी आते हैं। लुंबिनी, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान वहां से 14 मील पर है। महिला अस्पताल के सम्बध में, मेरे कहने का मतलब है कि विदेशी लोग आते हैं। इस रास्ते से जाते हैं ऐसी दशा में आवश्यकता है कि वहां पर महिला अस्पताल खोला जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपकी राय है।

श्री राम रेखा यादव--

तो क्या मंत्री महोदय महिला अस्पताल खोलने के लिये विचार करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, इसके कुछ नियम हैं उसके अनुसार ही महिला अस्पताल खोलने की बात है जैसा मैंने कहा कि जमीन की बात है। इमारत की बात है। यदि इसकी व्यवस्था हो तो उसका विचार किया जा सकता है कि महिला अस्पताल खोला जाय या नहीं।

फर्रुखाबाद जनपद के निलम्बित अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारियों को भत्ता एवं वेतन का भुगतान

*15--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में कितने अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारी निलम्बित हैं जिन्हें 6 माह में चार्ज शीट दी जानी चाहिये थी परन्तु नहीं दी गई तथा नियमानुसार वेतन का 3/4 निलम्बन भत्ता नहीं दिया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

चार ऐसे कर्मचारी हैं।

फर्रुखाबाद जनपद के अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता का भुगतान

*16—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारियों को गत एक वर्ष से यात्रा भत्ता नहीं दिया गया है जबकि इसके लिये धनराशि स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं, बजट आबंटन के अनुसार यात्रा भत्ता दिया गया है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि यह 4 अधीनस्थ कृषि कर्मचारी कब से निलंबित हैं और उनके निलंबन की 6 महीने से अधिक अवधि हो चुकी है तो उनको चार्जशीट क्यों नहीं दी गयी और 3/4 वेतन और भत्ता क्यों नहीं दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, चार कर्मचारियों की जिनकी मैंने चर्चा की उनमें से एक को 16-4-66, दूसरे को 29-1-71, तीसरे को 3-8-73, चौथे को 1-7-74 को निलंबित किया गया । आरोप पत्र दिया गया । पहले 2 आदमियों को 1 बरस बाद दिया गया । चूंकि पुलिस ने, जो अभिलेख थे, वह अपने कब्जे में ले लिये थे । चौथे के इसी प्रकार अपने कब्जे में ले लिये गये थे । इनको 1/3 और 1/4 के हिसाब से भत्ते दिये जा रहे हैं जो कि नियम के अनुसार है । 3/4 दिया जाय यह कोई नियम नहीं है ।

जिला सहकारी बैंक, फर्रुखाबाद के संचालक मंडल का निर्वाचन

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी बैंक फर्रुखाबाद के निबन्धक महोदय द्वारा 3 माह का नोटिस पाने कीअवधि के अन्दर संचालक मंडल का निर्वाचन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति के अधिनियम 1965 की धारा 29(4) के अनुसार नहीं कराया है जबकि नोटिस द्वारा बढ़ाई गई अवधि 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों के प्रति उदासीनता के इस कार्य के सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कृषि विभाग में कलेक्शन अमीनों का स्थायीकरण

*18—श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग कलेक्शन अमीनों की संख्या कितनी है ? इनमें से कितने ऐसे हैं जिनका सेवा काल तीन वर्ष से अधिक हो गया है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कर्मचारियों को तीन वर्ष में स्थाई करने वाली योजना के अनुसार कब तक स्थाई कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कृषि विभाग से कृषि पूर्ति संगठन के अन्तर्गत अमीनों की संख्या 4452 है। जिनमें से 3130 अमीनों का वेतनकाल 3 वर्ष से अधिक हो गया है।

चूंकि कृषि पूर्ति संगठन का भविष्य अनिश्चित है अतः इन अमीनों को स्थाई किये जाने का जिलेवार प्रश्न नहीं उठता।

*19—श्री सत्य प्रकाश तथा श्री मोहन लाल कपूर—

(8-4-75 को तारांकित प्रश्न संख्या 41 पर उत्तरित।)

रामपुर केमिकल फैक्ट्री को एन० पी० के० बनाने हेतु सरकारी कोटे से कच्चे माल की पूर्ति

*20—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे जून, 1973 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उस समय के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी इसलिये बनाई थी कि केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर्स इन्डिया रामपुर को एन0 पी0 के0 बनाने के लये सरकारी कोटे से कच्चा माल दिया जाये या नहीं? यदि हां, तो इस समिति के क्या निर्णय थे एवं उस निर्णय पर सरकार ने क्या अमल किया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं, कमेटी नहीं बनायी गयी थी बल्कि तत्कालीन कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में जून, 1973 में ग्रेनुलेटर फर्टीलाइजर कारखाने की उर्वरक दिये जाने के सम्बन्ध में एक बैठक हुयी थी।

उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि रामपुर केमिकल्स फैक्टरी को यूरिया एवं अन्य रा मैटिरियल दिये जाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होगी। यह फैक्टरी स्थानीय उत्पादकों से स्वयं सम्पर्क स्थापित करके यूरिया प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसमें राज्य सरकार संस्तुति कर सकती है।

कृषि निदेशक की ओर से 250 टन यूरिया तथा 500 टन सुपर फासफेट देने के आदेश दिये गये थे।

विकास खंड पडरौना, देवरिया के कृषकों को खाद वितरण में अनियमितताएं

*21—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1973 में देवरिया जनपद में पडरौना विकास खंड के विकास अधिकारी ने पडरौना विकास खंड के भू0 पू0 ग्राम सेवक तथा वर्तमान सलेमपुर विकास खंड में सेवारत ग्राम सेवक (श्री चन्द्र प्रताप मिश्र) द्वारा मौजा भटवलिया तथा दादोपुर ब्लाक पडरौना के काश्तकारों को खाद के जाली वितरण में किये गये तीन लाख रुपये घोटाले के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण मांगा था? यदि हां, तो उक्त पत्र में आरोप क्या थे और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही उनके विरुद्ध की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

खण्ड विकास अधिकारी ने कृषकों को अनियमित रूप से वितरित की गई उर्वरक की शीघ्र वसूली करने के लिये अपने पत्र दिनांक 24-2-73 द्वारा ग्राम सेवक को सचेत किया था।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

संदर्भित पत्र में मुख्य आरोप कृषकों को उनकी हैसियत से अधिक उर्वरक प्रदान करने का था तथा यह भी आरोप था कि कतिपय मामलों में वास्तविक कृषक को उर्वरक प्राप्त नहीं हुआ ।

ग्राम सेवक को निलम्बित कर दिया गया है तथा वैभागिक जांच प्रगति पर है ।

कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि०, लखनऊ के 31 मार्च, 1974 के बैलन्स शीट के अनुसार वसूली

*22—बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी), श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0, लखनऊ के 31 मार्च, 1974 के बैलन्सशीट में असेस्ट्स एन्ड प्रापर्टीज के स्तम्भ में अदर ट्रेड डेटर्स के मद में दर्शाई गई 3,79,235.92 रुपये की रकम किन व्यक्तियों से प्राप्त होनी है तथा वह पूरे 1974 वर्ष में क्यों नहीं वसूली जा सकी तथा बढ़ती क्यों चली गई ?

श्री नारायण सिंह—

कोआपरेटिव इलैक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी लि0, लखनऊ के 31 मार्च, 1974 के बैलेन्स-शीट में अदर ट्रेड डेटर्स के मद में जो रकम रु0 3,79,235.92 पैसे दर्शायी गयी है उसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है ।

संलग्न तालिका में दिये गये ब्योरे से ज्ञात होगा कि उक्त धनराशि किसी व्यक्ति से नकद वसूल नहीं की जानी है । राज्य विद्युत् परिषद् के जिम्मे जो धनराशि दिखाई गई है उसका समायोजन परिषद् से सोसायटी द्वारा क्रय किये गये स्टोर के मूल्य से होता है ।

जो धनराशि ट्रान्सफार्मर सप्लाई करने वाले फर्मों के विरुद्ध दिखाई गई है उसके विरुद्ध 91,756.99 रु0 की लागत के खराब ट्रान्सफार्मर्स अब तक ठीक करा लिये गये हैं । शेष धनराशि का समायोजन अन्य ट्रान्सफार्मर्स को ठीक कराने के पश्चात् हो जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 122 पर)

*23—श्री काली चरण यादव—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

प्राइमरी सहकारी समिति महरौली, जालौन में गबन का मामला

*24—श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्रीय सहकारी समिति महरौली, जिला जालौन के खजान्ची ने उस समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध गबन की एक रिपोर्ट दिनांक 16 नवम्बर, 1974 को पुलिस में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद जालौन में क्षेत्रीय सहकारी समिति महरौली नाम की कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है परन्तु प्राइमरी सहकारी समिति महरौली नाम से एक संस्था अवश्य रजिस्टर्ड है जिसके

खाजान्ची श्री तेजराम ने दिनांक 16–11–74 को समिति के अध्यक्ष श्री शिवदत्त ओझा, श्री दयाराम गुप्ता, सुपरवाइजर तथा श्री मुन्ने खां भूतपूर्व खजान्ची के विरुद्ध एक गबन की रिपोर्ट थाना रामपुरा में दर्ज कराई थी ।

यह मामला विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) की विवेचना में है ।

जनपद जालौन की सहकारी समितियों में गबन के केसेज का विवरण

*25—श्री वीर सिंह सेंगर—

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि वर्ष 1974 में सहकारिता विभाग के कितने मामले गबन के जिला जालौन में दर्ज हुये ? उनमें कितने कोआपरेटिव सेल को जांच के लिये भेजे गये ? जो नहीं भेजे गये उनकी संख्या तथा कारण क्या है ? तथा क्षेत्रीय समिति महरौली के गबन के केस की कोआपरेटिव सेल से जांच न कराने का कारण क्या है ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद जालौन में वर्ष 1974 में सहकारी समितियों के गबन सम्बन्धी 26 मामले पुलिस में दर्ज हुए जो सभी विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) की विवेचना में हैं।

उक्त 26 मामलों में प्राइमरी सहकारी समिति महरौली का उक्त मामला भी सम्मिलित है ।

सहायक निबन्धक (सहकारिता) जालौन के विरुद्ध शिकायतें

*26—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1974 में मुख्य मंत्री (जो स्वयं उस समय सहकारिता मंत्री थे) को कोई शिकायती–पत्र जिसमें ए0 आर0 जालौन के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार तथा गेहूं खरीद केन्द्र कनासी के सुपरवाइजर जिसके विरुद्ध गबन का आरोप है को संरक्षण देने के आरोप थे, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां ।

जिलाधिकारी, जालौन द्वारा जांच कराई जा रही है ।

गेहूं क्रय-केन्द्र कनासी सहकारी संघ, जालौन पर किसानों का बकाया

*27—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या यह भी सही है कि प्रश्न 1 में उल्लिखित क्रय केन्द्र पर काश्तकारों का काफी धन वर्ष 1974 का बकाया है ? यदि हां, तो अब तक बकाया धन न देने का कारण क्या है तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री नारायण सिंह—

गेहूं क्रय-केन्द्र कनासी सहकारी संघ पर 1974 की खरीद का काफी धन किसानों का बकाया रहने की सूचना नहीं है।

पांच किसानों की शिकायत बाबत न पाने भुगतान दिसम्बर, 1974 के पूर्व प्राप्त हुई थी जिसकी धनराशि मु0 2862.50 भुगतान करा दिया गया। तत्पश्चात् 10 किसानों

[श्री नारायण सिंह]

का प्रार्थना पत्र बाबत न पाने भुगतान दिनांक 21-2-75 को प्राप्त हुआ जिसकी धनराशि 5,250.00 के भुगतान का निर्देश अधीक्षक पी0 सी0 एफ0, उरई को दिनांक 18-3-75 को दिया जा चुका है ।

*28—श्री सत्य प्रकाश तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित ।]

*29—श्री मुमताज मोहम्मद खां—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग

*30—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव, के आदेश संख्या 1353/इक्कीस/3(9)-71, विषय राज्य के समस्त कार्यों में हिन्दी का प्रयोग-दिनांक 22 अप्रैल, 1972 के जारी होते हुये भी 'आफिस आफ द डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐन्ड हेल्थ सर्विसेज ऐन्ड फैमली प्लानिंग' यू0 पी0 द्वारा निम्नलिखित सूचनायें सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी में प्रसारित की गयीं ? यदि हां, तो क्यों तथा प्रसारण के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नं0	दिनांक	हस्ताक्षर कर्ता
XIII एफ0 /	लखनऊ, 22 फ0, 1975	डब्लू0 एस0 सिंह, अतिरिक्त निदेशक।
0XIII एफ0/464	लखनऊ, 28 ज0, 1975	निदेशक
0XIII एफ0/ 464		
तार नं0 XX एफ0/ 2745	लखनऊ, 19 फ0, 1975	जी0 एस0 गुजराल, खाद्य एवं ड्रग नियंत्रक।
XI / 256	लखनऊ, 7 ज0, 1975	निदेशक
XI एफ0/ 1845	लखनऊ, 14 फ0, 1975	आर0 प्रसाद, संयुक्त नि0

श्री प्रभु नारायण—

जी हां। प्रश्नगत पांच पत्रों में से 4 पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के प्रश्नगत अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी हुये हैं। 22 फरवरी, 1975 को जारी हुये पत्र का पूर्ण पत्रांक न ज्ञात होने के कारण उसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न बरतने के लिये उन्हें सचेत कर दिया गया है।

*31—श्री हरि केवल—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित ।]

7099

अतारांकित प्रश्न

मध्यम सहकारी संघ इंटिया ठोक, गोंडा के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायत

1—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री दशरथ सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्यम सहकारी संघ इंटिया ठोक, जिला गोंडा ने दिनांक 4 फरवरी, 1975 को एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी गोंडा को इस आशय का दिया है कि उक्त संघ के सुपरवाइजर ने 26 जनवरी सन् 1975 को सहकारी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण नहीं किया तथा उस दिन वहां उपस्थित नहीं रहे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ए0 आर0 महोदय, गोंडा की क्या रिपोर्ट है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां ।

शिकायतों की जांच कराई गई । शिकायतें निराधार पाई गईं ।

निदेशक, पशुपालन द्वारा ८८ वैक्सीनेटरों की नियुक्ति एवं नोटिश द्वारा छटनी

2—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक पशुपालन ने 3, 4, 5 जून सन् 1974 को वैक्सीनेटर पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर 88 वैक्सीनेटरों की नियुक्ति की ? यदि हां, तो इन वैक्सीनेटरों को अब सरकार ने दिनांक 6 फरवरी, 1975 को 1 माह की नोटिस देकर क्यों निकाल दिया है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां । 100 वैक्सीनेटर नियुक्त किये गये थे ।

"पशु महामारी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेशीय सीमा पर प्रतिरक्षा मण्डल एवं टीका चौकियों की स्थापना" नामक योजना 28–2–75 से समाप्त हो गई । इस कारण 73 वैक्सीनेटरों की सेवाएं समाप्त करनी पड़ीं और 15 वैक्सीनेटरों को उनके मूल पदों पर प्रत्यावर्तित करना पड़ा ।

हरदोई जिले के विकास खंड कोथावा में पेयजल योजना

3—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1974–75 में हरदोई जिले के विकास खंड कोथावा में हरिजन बहुल किन–किन ग्रामों में पेय जल हेतु कुयें बनवाने की योजना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

केवल एक कुआं पेयजल हेतु ग्राम अटवा भसेन में बनवाने की योजना थी ।

4—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[15 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित ।]

विनियमित क्षत्र लखनऊ को कम्पाउन्डिंग एवं नक्शों की फीस से आय एवं हानि

5—श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, लखनऊ को कम्पाउन्डिग एवं नक्शों की फीस से कुल कितनी आय वित्तीय वर्ष 1971–72, 1972–73

[श्री अवधेश कुमार]

तथा 1973–74 एवं इस वर्ष में अब तक हुई और उक्त मद में 1973–74 एवं वित्तीय वर्ष 1974–75 में कमी के क्या प्रमुख कारण हैं ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल––

वांछित आय का विवरण निम्न प्रकार है :

कम्पाउन्डिंग फीस

	रु0	पैसे
1971–72	86,425	50
1972–73	46,059	26
1973–74	49,868	35
1974–75	4,969	30

भवन मानचित्र की फीस

	रु0	पैसे
1971–72	25,275	00
1972–73	15,770	00
1973–74	19,010	00
1974–75	51,430	00

अधिकृत निर्माण के विरुद्ध कड़ाई होने के कारण नियमित निर्माण के लिये अधिक मानचित्र जमा किये गये और कम मामले कम्पाउन्ड किये गये। अतः गत वर्ष 1973–74 एवं वित्तीय वर्ष 1974–75 में कम्पाउन्डिंग फीस में कमी हुई और भवन मानचित्र की फीस में बढ़ोत्तरी हुई।

6––डाक्टर मलखान सिंह––

[25–2–75 में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 पर उत्तरित।]

नगरमहापालिका लखनऊ द्वारा गृहकर एवं जलकर में वृद्धि से आमदनी

7––श्री त्रिवेणी सहाय तथा दशरथ सिंह––

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष महापालिका लखनऊ द्वारा जो कर निर्धारण किया जा रहा उससे गृहकर एवं जलकर से होने वाली आमदनी में कितनी वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल––

नगर महापालिका लखनऊ द्वारा पंचवर्षीय कर निर्धारण अभी पूर्ण नहीं हुआ है अतः अभी इस कर निर्धारण के आधार पर गृहकर एवं जलकर में वृद्धि के आंकड़े देना संभव नहीं है।

8––श्री धर्मवीर सिंह––

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

जिला परिषद् शाहजहांपुर के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी

9—श्री दलसिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् शाहजहांपुर द्वारा पारित इस आशय का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को अप्रैल, 1969 में मिला जिसमें कि परिषद् के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने की संस्तुति की गई थी ? यदि हां, तो प्रस्ताव में कितने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने की संस्तुति की गई थी ? कितनी को ग्रेच्युटी मिल गई तथा जिनको नहीं मिली उनको न मिलने का कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, ऐसा प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर अगस्त 1969 में स्वीकृति भेज दी गई थी। प्रस्ताव में जिला परिषद् के उन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति उपादान देने का प्राविधान था जिन्होंने सेवा निवृत्ति के समय कम से कम 15 वर्ष की कुशल सेवा पूरी करली हो। कितने कर्मचारी इस प्रस्ताव के अनुसार ग्रेच्युटी पाने के अधिकारी थे तथा कितनों को तथा किस कारण से नहीं मिली है, इसकी सूचना अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

गोरखपुर जनपद के कृषि खाद बीज भंडारों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

10—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के किन-किन कृषि खाद बीज भंडारों सरकारी एवं प्राइवेट लाइसेन्सी उर्वरक विक्रेताओं व सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें जिले एवं प्रान्त स्तर पर सितम्बर, 1974 से माह जनवरी, 1975 तक प्राप्त हुई हैं ? इनके नाम व पते क्या हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गोरखपुर जनपद में 9 कृषि खाद भंडारों से सम्बन्धित कर्मचारियों, 2 ग्राम सेवकों तथा एक तकावी लिपिक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जांच के फलस्वरूप 4 प्रभारियों, एक ग्राम सेवक तथा तकावी लिपिक के विषय में कार्यवाही की गई। तीन प्रभारियों एवं एक ग्राम सेवक के विरुद्ध जांच हो रही है। शेष दो मामलों में कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई।

प्राइवेट लाइसेंसियों से सम्बन्धित 9 शिकायतें प्राप्त हुईं जिससे सम्बन्धित 11 व्यापारियों के निबन्धन प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये तथा 9 व्यापारियों को चेतावनी दी गयी एवं एक शिकायत जांच के बाद निराधार पायी गयी।

प्रदेश स्तर पर गोरखपुर जनपद के कृषि बीज भंडार भरोडिया तथा सहकारी बीज भण्डार गगहा व सहायक विकास अधिकारी कम्पोस्ट खजनी व जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध 5 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 3 में जांच चल रही है तथा शेष 2 में जांच पूरी हो गयी है और जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। शिकायतों का विवरण† संलग्न सची में दिया है।

---

†(छापी नहीं गई।)

मथुरा जिले के वर्तमान एवं भूतपूर्व ब्लाक प्रमुखों, संसद सदस्यों एवं विधायकों के जिम्मे सहकारी संस्थाओं का बकाया

11—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मथुरा जनपद में वर्तमान तथा भूतपूर्व ब्लाक प्रमुखों, संसद सदस्यों एवं विधायकों तथा उनके परिवार के लोगों के जिम्मे सहकारिता विभाग का कितना धन बकाया है ?

श्री नारायण सिंह—

मथुरा जनपद में वर्तमान तथा भूतपूर्व ब्लाक प्रमुखों, संसद सदस्यों एवं विधायकों तथा उनके परिवार के लोगों पर सहकारिता विभाग की कोई बकाया नहीं है परन्तु सहकारी संस्थाओं की बकाया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

बकाया धनराशि

		रु0
1—वर्तमान एवं भू0पू0 ब्लाक प्रमुख, परिवार सहित	..	52,971.94
2—वर्तमान एवं भूतपूर्व संसद सदस्य के परिवार पर	..	18,298.00
3—वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक, परिवार सहित	..	55,436.78
योग	..	1,26,706.72

नगरपालिका बोर्ड, बरेली को सुपरसीड करने की नोटिस

12—श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री मिस्रयार खां (जिला बरेली), श्री ओम प्रकाश, (जिला मुरादाबाद) तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हाल ही में बरेली नगरपालिका और उसके अध्यक्ष को आरोप लगाकर 15 दिन का यह नोटिस दिया कि क्यों न बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाये ? यदि हां, तो अब तक बोर्ड क्यों नहीं सुपरसीड किया गया है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

नगरपालिका बोर्ड बरेली को इस प्रकार का नोटिस दिया गया था। बोर्ड का स्पष्टीकरण शासन के विचाराधीन है।

नगरपालिका पिहानी, हरदोई के कर्मचारियों को नया वेतन-मान

13—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका पिहानी, जिला हरदोई के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को क्या नया वेतन मान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार नया वेतन मान इन कर्मचारियों को शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

नया वेतनमान अभी तक नहीं दिया जा सका क्योंकि पालिका की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और कर्मचारियों ने भी एकमत से पुराने वेतन पर कार्य करने की स्वीकृति दे दी थी।

अब पिहानी पालिका ने अपने कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1975 से नया वेतनमान देना स्वीकार कर लिया है ।

14—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[12वें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित ।]

15—श्री प्रभुदयाल—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

वर्ष 1974–75 में उप निदेशक, फल उद्योग द्वारा प्याज के बीज की खरीद

16—श्री हरि केवल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1974-75 में उप निदेशक, फल उद्योग ने एक हजार क्विन्टल प्याज के बीज की खरीद की ? यदि हां, तो कितने टेन्डर आये और किस भाव का टेन्डर मन्जूर किया गया और उस समय बाजार भाव क्या था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय सघन भेड़ एवं ऊन विकास योजनान्तर्गत मिर्जापुर एवं वाराणसी के केन्द्रों पर भेड़ों की खरीद

17—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सघन भेड़ एवं ऊन विकास योजना के अन्तर्गत वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलो के विभिन्न केन्द्रों पर कितनी भेड़ें वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 में खरीद की गई और कितनी जीवित हैं ?

श्री नारायण सिंह—

वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 में राजकीय सघन भेड़ एवं उन विकास योजना के अन्तर्गत वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों के विभिन्न केन्द्रों के लिये कोई भेड़ें नहीं खरीदी गयीं ।

जिला सहकारी बैंक, मिर्जापुर द्वारा कुछ व्यक्तियों के कर्जों का विवरण

18—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिला सहकारी बैंक द्वारा दिया गया कर्ज किन–किन व्यक्तियों के पास 5,000 रुपये या उससे अधिक बकाया है ? ये कर्ज इन व्यक्तियों को किन वर्षों में किस कार्य हेतु दिये गये थे ?

श्री नारायण सिंह—

जिला सहकारी बैंक अपनी सदस्य समितियों को ही ऋण देता है अतः किसी व्यक्ति विशेष को जिला सहकारी बैंक, मिर्जापुर द्वारा ऋण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

19–20—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त ।]

टाउन एरिया खम्हरिया वाराणसी के विकास हेतु दिये गये अनुदान तथा ऋण एवं खर्चा का विवरण

21—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से जनपद वाराणसी के ग्राम खम्हरिया को टाउन एरिया घोषित किया गया है तब से वहां के विकास कार्य हेतु कितना रुपया अनुदान एवं ऋण के रूप में दिया गया तथा वहां के किन-किन विकास कार्यों में कितना-कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

वर्ष 1972-73 में 10,000 रु0 का साधारण सड़क अनुदान वर्ष 1973-74 में 10,000 रु0 का विशेष सड़क अनुदान तथा वर्ष 1974-75 में 40,000 रु0 का जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया गया, परन्तु इसे कोई भी ऋण नहीं दिया गया।

वर्ष 1972-73 में प्राप्त 10,000 रु0 के साधारण सड़क अनुदान में से केवल रु0 2,752—98 पैसे का व्यय मथईपुर सड़क के निर्माण पर किया गया और शेष धनराशि तथा वर्ष 1973-74 का सम्पूर्ण अनुदान टाउन एरिया खम्हरिया के फंड में जमा है।

श्री निरंजन एवं फर्म राम दास सन्तोष कुमार के मामले में मध्यस्थ का निर्णय

22—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तृतीय सत्र के दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 77 में उत्तर में बतलाया गया था कि श्री निरंजन के मामले में अभी मध्यस्थ निर्णय नहीं हुआ, फर्म राम दास संतोष कुमार के मामले में मध्यस्थ निर्णय भुगतान के पक्ष में हुआ था किन्तु समिति ने अपील कर दी है जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ ? यदि हां, तो आर्बीट्रेशन तथा अपील कब दायर की थी, आज तक निर्णय न होने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह—

श्री निरंजन के मामले में मध्यस्थ निर्णय हेतु आर्बिट्रेशन दिनांक 10 मार्च, 1972 को दायर किया गया था किन्तु सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण व सुनवाई की तिथियों पर सरकारी कार्यवश उनके अनुपस्थित रहने के कारण अभी निर्णय नहीं हो सका है। फर्म रामदास संतोष कुमार के मामले में अपील दिनांक 26 अक्तूबर, 1972 को दायर की गयी थी किन्तु सुनवाई की तिथि पर फर्म के प्रोप्राइटर के अनुपस्थित रहने तथा सम्बन्धित उप निबन्धक के स्थानान्तरित हो जाने के कारण मामले में निर्णय नहीं हो सका है।

मेडिकल कालेजों एवं मुख्यालयों में स्थित जिला अस्पतालों में आक्सीजन सिलन्डर मशीन

23—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से मेडिकल कालेजों तथा मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों में आक्सीजन सिलन्डर मशीन उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण--

प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय तथा मुख्यालयों में स्थित जिला अस्पतालों में आक्सीजन सिलेन्डर मशीन उपलब्ध है।

श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, श्री डी० पी० वरुण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में माननीय श्री काशीनाथ मिश्र सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 11 अप्रैल, 1975 को यह सूचना दी है कि 11 अप्रैल, 1975 को जब उत्तर प्रदेश विधान सभा में हरिजन एवं समाज कल्याण के अनुदान पर बहस चल रही थी, उस समय श्री डी0 पी0 वरुण, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग राज्यपाल दीर्घा में बैठे-बैठे उधर से गुजरने वाले अपने मन पसन्द माननीय सदस्यों को टाइप किया हुआ कागज बांट रहे थे। माननीय श्री मिश्रा ने उस कागज की प्रति सूचना के साथ संलग्न करके भेजी है और कहा है कि आदरणीय सदन में इस बांटे हुये कागज के आधार पर बहुत से माननीय सदस्यों ने भाषण भी किया। माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रकार कागज बंटवाकर अभिवांछित भाषण कराना सदन का घोर अपमान है और संसदीय कार्य-प्रणाली पर घोर कलंक है। अतएव, माननीय सदस्य ने श्री डी0 पी0 वरुण, सचिव, समाज-कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है।

दिनांक 11 अप्रैल, 1975 की कार्यवाही को देखने तथा सूचना के साथ संलग्न पर्चे को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पर्चे में उल्लिखित कतिपय बातों का माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने भाषण में उल्लेख किया गया है।

तो यह गम्भीर मामला है। इसलिये इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) --

मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं, क्योंकि मैं इसको भेज रहा हूं समिति को।

मिर्जापुर बिजली सप्लाई कम्पनी के एक मालिक, श्री हेमन्त माहेश्वरी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना माननीय श्री आशाराम यादव, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 14 अप्रैल, 1975 को नियम 63 के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि मिर्जापुर स्थित बिजली कम्पनी द्वारा श्रमिकों का शोषण करने बिजली आपूर्ति के फर्जी बिल बनाने तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्होंने बिजली कम्पनी के अधिग्रहण सम्बन्धी एक विधेयक पर 27 फरवरी, 1975 को चर्चा में प्रश्न उठाया था। इस पर उक्त कम्पनी के मालिकान उनसे कुपित हो गये और उनमें से ही श्री हेमन्त माहेश्वरी ने अपने एक व्यक्ति राम नाथ चौबे को उनके पास त्रिमुहानी पार्क, मिर्जापुर में 8 अप्रैल, 1975 को भेजकर यह धमकी दिलाई कि, ... "यदि अपनी जबान विधान सभा में बिजली कम्पनी के खिलाफ खोली तो मार डाले जाओगे।" उन्होंने

[श्री अध्यक्ष]

यह भी कहा कि श्री राम नाथ चौबे की यह धमकी अनशन पर बैठे सर्वश्री लाल जी गुप्त तथा श्रीनाथ आदि ने भी सुनी थी। अतः माननीय सदस्य ने उक्त बिजली कम्पनी, मिर्जापुर के एक मालिक श्री हेमन्त माहेश्वरी के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है।

मैंने दिनांक 27 फरवरी, 1975 की कार्यवाही देखी और यह पाया कि माननीय श्री आशा राम यादव ने भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1975 पर बोलते हुये मिर्जापुर की उक्त बिजली सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध कुछ शिकायतें की थीं और आरोप लगाये थे। यह सही है कि किसी माननीय सदस्य को विधान सभा में उसके द्वारा किये गये किसी वक्तव्य के सम्बन्ध में धमकी देना विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। परन्तु ऐसी धमकी प्रत्यक्ष रूप से जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी उसके द्वारा दी जानी चाहिये। इस मामले में श्री माहेश्वरी द्वारा धमकी दी जाने की बात नहीं कही गयी है। जैसा कि मैंने कल सदन में कहा था, श्री आर0एन0 माहेश्वरी, मैनेजिंग डाइरेक्टर, मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, मिर्जापुर का दिनांक 6 अप्रैल, 1975 का एक पत्र मेरे पास आया है, जिसमें उन्होंने श्री आशाराम यादव के खिलाफ यह शिकायत की है कि कार से जाते हुये उनकी कार रोक कर सोडावाटर की बोतल कार के अन्दर फेंकी गयी और उनकी कार के शीशे आदि तोड़े गये। उक्त शिकायत को मैंने माननीय मुख्य मन्त्री के पास जांच हेतु भेजा है। ऐसी स्थिति में, यह उचित प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में श्री हेमन्त माहेश्वरी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय और इस सम्बन्ध में भी माननीय मुख्य मन्त्री को जांच कराकर स्थिति से अवगत कराने को कहा जाय। अतएव, इससे पूर्व कि मैं इस प्रश्न पर अपना निर्णय दूं, मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री इस सम्बन्ध में भी जांच कराकर स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही, श्री हेमन्त माहेश्वरी से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपको हम मौका देंगे। उनसे अभी पूछा गया है और हम निर्णय नहीं दे रहे हैं। जो स्पष्टीकरण मांगा गया है वह आ जाय तो मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री आशा राम यादव--

मान्यवर, वह तो ठीक है लेकिन जो आरोप मेरे खिलाफ लगाकर आपके पास भेजा है, उसके खिलाफ मैं आपको विशेषाधिकार की सूचना देता हूं क्योंकि जो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें मेरा नाम नहीं है। इसलिये एक विधायक को बदनाम करने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी कहा, कि मैं इसके गुण व अवगुण में अभी नहीं जा रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

माननीय सदस्य ने इस समय दूसरी बात कही है और वह यह है कि इस पत्र के आ जाने के बाद अब दूसरी बात पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो आपका हक है, लेकिन पहले स्पष्टीकरण तो आ जाय।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज माननीय श्री हरिकेवल प्रसाद ने नियम 63 के अन्तर्गत सूचना दी है कि 10 अप्रैल, 1975 की कार्यसूची में नत्थी (ब) के तारांकित प्रश्न संख्या 78 का उत्तर सदन में माननीय मुख्य मन्त्री ने गलत देकर विशेषाधिकार की अवहेलना की है। उनका कहना है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जानबूझकर श्री किसन लाल के हरिजन होने के कारण घटना को छिपाया है और सदन की गरिमा को गिराया है।

माननीय सदस्य ने कोई ऐसा आधार नहीं दिया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जानबूझकर घटना को छिपाया है और सदन को गुमराह किया है। अतएव इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता और मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

विविध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, कार्यसूची सं0 5 में आज क्या कोई मन्त्री का वक्तव्य नहीं है क्या? आज 15 तारीख है और श्री मोती लाल देहलवी ने प्रतापगढ़ में जमीन के सिलसिले में वन मन्त्री के खिलाफ एक प्रश्न उठाया था। जहां तक मुझे मालूम है आपने उसे 15 तारीख के लिये मुकर्रर किया था कि राजस्व मन्त्री इस पर बयान देंगे। मैं तो समझ रहा था कि वन मन्त्री वक्तव्य देंगे क्योंकि यह उन्हीं से वास्ता रखता है लेकिन राजस्व मन्त्री एक जनरल इन्क्वायरी कर रहे हैं, उसमें न मालूम कितने लोग हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि माननीय राजस्व मन्त्री उसकी तहकीकात करते रहेंगे और उसमें एक-दो महीना भी लग सकता है, लेकिन वह तो बड़ा लिमिटेड निवेदन था। माननीय वन मन्त्री के सिलसिले में, उनके बयान के लिये आप परसों तारीख मुकर्रर कर दें।

श्री अध्यक्ष—

उसी दिन मैंने कह दिया था कि इसमें बहुत से मामले हैं, लेकिन जो सूचना श्री मोती लाल देहलवी ने मांगी थी वह कई गांवों और कई अधिकारियों के सम्बन्ध में थी। वह बड़ी व्यापक थी। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि उस सूचना में देर लग सकती है, लेकिन, जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा, मैं इससे भी सहमत हूं कि वन मन्त्री जी के खिलाफ जो प्रश्न उठाया गया है, उसके सम्बन्ध में शासन अथवा वन मन्त्री की ओर से वह बयान जल्दी दिलवा दिया जाय। मैं उसको देख लूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से.....

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय विरोधी दल के नेता से कहूंगा कि वह मुझे लिख कर भिजवा दें ताकि उस आधार पर वह आवश्यक कार्यवाही के लिये आगे भेजा जा सके।

चौधरी चरण सिंह—

ठीक है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव नियम 200 में एक सूचना देना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

हमने उसको कल देखा है लेकिन जो नियम है, उनके आधार पर अभी उसको देखा नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैंने प्रस्ताव पढ़ा था।

श्री अध्यक्ष--

मैंने बताया कि मैंने उसे प्राग्दर्शन में देखा लेकिन नियमों के आधार पर नहीं देखा ? नियमों के आधार पर देख लेंगे, शायद वह बन जाय।

चौधरी चरण सिंह--

पहले तो सेंसर का रास्ता था, जो अब रहा नहीं। अब मन्त्रियों के लिये उसको निकाल दिया गया है। अब तो अगर नियमों के खिलाफ किसी का आचरण हो, तो उसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, उसको देखना पड़ेगा कि लोक सभा में और दूसरी जगह क्या होता है।

चौधरी चरण सिंह--

ठीक है, उसको कल ले लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव में एक माधव प्रसाद त्रिपाठी का है, भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु, जो जन संघर्ष समिति द्वारा राज्य सरकार को दिये गये ज्ञापन के बारे में है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व संघर्ष समिति ने एक ज्ञापन मुख्य मन्त्री जी को दिया था जिसमें उन्होंने कुछ मांग की थी, उदाहरणस्वरूप जैसे किसान विरोधी नीति समाप्त हो, शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाय, लोगों को रोजगार दिलाये जायं, भ्रष्टाचार दूर किया जाय, मन्त्रियों पर जो आरोप लगाये हैं, उनकी जांच की जाय, भ्रष्ट मन्त्रियों को निकाला जाय। ठीक है, हमारे कुछ साथियों ने नियम 200 के अन्तर्गत उसके बारे में दिया है। मैं तो चाहता हूं कि उसमें यहीं की एक समिति गठित की जाय जो जांच करे। लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि कल से आन्दोलन शुरू हो गया। उस सत्याग्रह की स्थिति को देखें। मान्यवर, चारों तरफ इस देश में, और इस प्रदेश में भी वह स्थिति पैदा हो गयी है। उनकी जो मांगें हैं, अगर उस तरफ सरकार कुछ कदम उठाती तो तनाव की स्थिति न आती। कल राज नारायण जी को 152 आदमियों के साथ गिरफ्तार किया गया और आज शाही जी लगभग 80 आदमियों के साथ गिरफ्तार हुये। अब यह भी देखें कि उनके साथ व्यवहार क्या हुआ ? उन पर 107/117/151 दफायें लगायी गयीं। ऐसे लोगों पर ये दफायें लगायी गयीं, जो

एम0एल0ए0 और एम0पी0 हैं। उसमें माननीय प्यारे लाल और कमला प्रसाद वर्मा आदि लोग भी हैं। इसके बारे में सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं। जो लोग जेल गये मान्यवर, आप देखें कि उनके साथ क्या बर्ताव हुआ? वे लोग रोटी साथ, जो उनको जेल में दी गयी, लेकर आये हैं जिसमें कीड़े हैं।

श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

यह रोटी की स्थिति है। (रोटी दिखाई)।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर चारों तरफ तनाव की स्थिति है। ऐसा अनाज खाने को दिया जाता है सत्याग्रहियों को जो एम0पी0 और एम0एल0ए0 हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि आपने जो प्रश्न किया है, अभी मुख्य मन्त्री जी .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आप निर्णय देने के पहले रोटी तो देख लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो यह कह रहा हूं कि अधिक उपयोगी होगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी आ जायं तब यह सवाल उठे, क्योंकि उन्हीं के विभाग से यह प्रश्न सम्बन्धित है।

श्री उमानाथ—

मान्यवर, जब मैं सुबह जेल गया तो प्यारे लाल वर्मा, कमला प्रसाद वर्मा ....

चौधरी चरण सिंह—

अगर मुख्य मन्त्री जी न आयें तब क्या करियेगा?

श्री अध्यक्ष—

आप काल्पनिक बात कर रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह—

आपने स्वयं हाईपाथिटिकल बात रखी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि वह आ जायेंगे। मैं समझता हूं कि इतना कहना पर्याप्त है।

चौधरी चरण सिंह—

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो माइक्रोफोन है वह एफिशियेंटली काम नहीं कर रहा है। हमको सुनाई नहीं देता है। आप आगे की तरफ कर लें। माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं आयेंगे तो फिर आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

कैसे नहीं आयेंगे, लीजिये वह आ गये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है वह नियमतः नहीं आ सकता। मैं आपका ध्यान नियम 58(2) की तरफ आकर्षित करना

[श्री काशी नाथ मिश्र]

चाहता हूं। एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती है। माधव प्रसाद जी ने दो तीन विषय एक ही में घसीट दिये हैं। यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव बन ही नहीं सकता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा तो एक ही विषय है कि इस समय स्थिति तनावपूर्ण है। (व्यवधान)।

श्री उमानाथ—

कमला प्रसाद वर्मा तथा प्यारे लाल वर्मा अनशन पर बैठे थे। उनसे मैं पूछने गया था उनको क्या परेशानियां हैं। उन्होंने ये रोटियां तथा सब्जी दीं जिसमें कीड़े पड़े हुये हैं। 10 बजे तक चाय नहीं मिल पाई और 12 बजे तक भोजन नहीं मिला। इस तरह की व्यवस्था जेल के अन्दर है। इसकी जांच कराई जाय। जब विधायकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है .....

(रोटी का प्रदर्शन करने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपको अपनी बात के प्रति आश्वस्त होना चाहिये। प्रदर्शन नहीं करना चाहिये। रोटी मैं नहीं देख सकता। मुख्य मन्त्री जी को दिखा दीजिये, नेता विरोधी दल को दिखा दो। सदन के भीतर प्रदर्शन आप करेंगे तो उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल इन दोनों के देखने का यह विषय हो सकता है।

चौधरी चरण सिंह—

प्रश्न यह है कि इस समय कि हाउस एडजर्न हो जाय और दो ढाई घंटा बहस इस पर हो। अब हम अपना मत इस पर दें या नेता सदन ? इस पर आपने अपनी रूलिंग तो दे ही दी है।

श्री अध्यक्ष—

न स्वीकार किया है, न व्यवस्था दी है। मन्त्री के भ्रष्टाचार की बात जन संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी है। माननीय सदस्य द्वारा अपनी जानकारी पर जो तथ्य हैं उनको वह सदन के सामने रख सकते हैं लेकिन हवाले से ही कोई चीज अगर उठाना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी अपनी जानकारी पर नहीं रख रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं भी इस समिति का सदस्य हूं। जो मैंने अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर लिख कर दिया है वह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और इसी आधार पर मैंने लिखा है। इसकी जानकारी सभी को है और इसको प्राप्त करने के लिये किसी मेहनत की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन का विषय कैसे होगा। जो आपने लिख कर दिया है वह अविश्वास का विषय हो सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, सारे प्रदेश में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। उस स्थिति के मैंने कारण आपको बताये हैं कि उनसे विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। जिन तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा है वे मेरी जातीय जानकारी के अनुसार हैं (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष---

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी स्वयं यह कहना चाहते हैं कि किसी मन्त्री के विरुद्ध तथा कथित भ्रष्टाचार का कोई विषय कार्य-स्थगन का विषय हो सकता है अथवा नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैंने कहा कि अनेक विषय हैं---'मन्त्रियों का भ्रष्टाचार, शिक्षा में आमूल परिवर्तन न करना, एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार, किसानों के प्रति दमन की नीति अख्तियार करना, जहां पर कि सरकार जानते हुये भी अनसुनी करना चाहती है, टालमटोल करना चाहती है। इन सब कारणों से प्रदेश में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है चारों तरफ असंतोष का वातावरण हो गया है। इसलिये इस पर कार्यस्थगित करके चर्चा करने का अवसर मांगा गया है। लक्ष्य मेरा एक है और कारण अनेक हैं।

श्री अध्यक्ष---

लक्ष्य भी आपका एक मन्त्री के विरुद्ध अगर हो तो भी यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं हो सकता।

चौधरी चरण सिंह---

हम लोग अपनी बात आपको समझा नहीं पाये। माननीय त्रिपाठी जी का कहना है कि आज प्रदेश में रोष और क्षोभ की स्थिति पैदा हो गई है। कल माननीय राजनारायण जी तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उसमें बहस चाहते हैं कि काम को स्थगित करके उसमें चर्चा हो जाय। यह स्थिति इसलिये पैदा हुई है कि नेता सदन को दूसरी जनवरी को एक ज्ञापन संघर्ष समिति द्वारा दिया गया था जिसमें कुछ शिकायतें की गई थीं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सुनते हैं कल अखबार में कोई जवाब निकला है---तीन महीने दस दिन के बाद। उस ज्ञापन में यह लफ्ज भी लिखे हैं कि अगर इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और उसका समाधान नहीं किया गया तो मजबूर होकर हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा और आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा। चूंकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसलिये मजबूर होकर उन्होंने कल आन्दोलन छेड़ दिया। उससे जो स्थिति प्रदेश में पैदा हो गई है उसको हम डिसकस करना चाहते हैं।

आपने 144 और 107 में इन लोगों को गिरफ्तार किया है। जब कि 144 और 107 तब लगाई जाती है जब शान्ति भंग का अन्देशा हो सिविल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट वे कर रहे हों। प्रदर्शन करना या काले झंडे दिखाना ये सब कांस्टीट्यूशनल मीन्स हैं और सभी पार्टियों को ये मौलिक अधिकार हैं। वे यही कर रहे थे। पुलिस के पास कहां सबूत है कि वे लोग आग लगाने जा रहे थे या शान्ति भंग कर रहे थे। यह सब गलत है। ऐसी स्थिति में आप हमारा एडजार्नमेंट मोशन स्वीकार करें।

[चौधरी चरण सिंह]

दूसरी बात यह है कि जो माननीय त्रिपाठी जी ने दिया है उसी प्रकार हमारे भारतीय लोकदल के 3/4 माननीय सदस्यों ने भी दिया है जो मन्त्री विशेष के खिलाफ समिति वगैरह मुकर्रर करने का है। वह अलेहदा है। उस पर आपने कहा विचार करेंगे। पार्लियामेंट का भी देखना है, आपने कहा। एक मिनिस्टर के खिलाफ जो शिकायत है वह संघर्ष समिति ने भी दिया है लेकिन वह चीज अलग है। उससे इसका वास्ता नहीं है। यह दूसरी अलग डिमान्ड रखी है जिससे यह स्थिति पैदा हुई है जिस पर विवाद करने के लिये बात है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

एक एक करके ले रहे हैं। पहला माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का है। उसमें उन्होंने कहा है राज्य सरकार की अव्यवहारिक नीतियों एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जन असंतोष निरन्तर बढ़ रहा है। जन संघर्ष समन्वय समिति, उत्तर प्रदेश की ओर से सरकार को एक ज्ञापन देकर भ्रष्ट मन्त्रियों को हटाने आदि आदि और अन्त में कहते हैं मन्त्रि-परिषद् के एक सदस्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा निजी हितों के लिये पद का दुरुपयोग करने का एक अभियोग-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को दिया गया परन्तु अभी तक उसकी जांच की कोई घोषणा नहीं की गई। जिससे असन्तोष बढ़ रहा है। शान्ति एवं व्यवस्था के लिये भी संकट उत्पन्न है। तो यह कार्य-स्थगन का विषय कैसे हुआ ?

चौधरी चरण सिंह--

इसी विषय पर दूसरे माननीय सदस्यों ने भी दिया है उसको भी आप देख लें।

श्री अध्यक्ष--

आता हूं।

दूसरा श्री बाबू लाल वर्मा ने दिया है--बहराइच जिला अन्तर्गत जरवल चीनी मिल के अचानक बन्द हो जाने के फलस्वरूप कृषक एवं श्रमिक परिवारों में असन्तोष पर है। आप इसके लिये अल्पसूचित प्रश्न करें तो ज्यादा हितकर होगा। क्योंकि आप बार बार इसको उठाते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, हमारा निर्णय क्या दिया।

श्री अध्यक्ष--

वह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, हम इस पर सदन का त्याग करते हैं इसलिये कि यह इतना महत्व का विषय है आपने नहीं लिया।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

[* * *]

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बजट पर बोल सकते हैं।

एक सदस्य—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

जनसंघ दल के नेता ने जो बयान दिया है वही लिखा जायेगा दूसरा नहीं लिखा जायेगा।

एक श्री हरिकेवल, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने दिया है जिसमें प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का विधान भवन के समक्ष अनशन का उल्लेख है। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनशन पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

अनशन कोई करता है तो यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं हो सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अपनी 22 मांगों को लेकर वह अनशन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न गलत जगह पर नहीं उठाया जा सकता है। अल्प-सूचित प्रश्न करें। नियम 51 में करें लेकिन कार्य-स्थगन का विषय नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

श्री रामरति विन्द, श्री गिरजाशंकर पाठक, श्री गंजी प्रसाद और श्री राम प्यारे तिवारी ने वाराणसी के एस0 पी0 एवं एस0 ओ0, चेतगंज तथा कोतवाल, चौक के विरुद्ध जो है इसको नियम 51 में भी दिया है तो उस वक्त लेंगे।

एक श्री कृष्णा राय ने देवरिया, गोरखपुर बस्ती एवं आजमगढ़ के चकबन्दी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से उत्पन्न संकट पर दिया है और फिर नियम 51 में भी दिया है।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं। शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, कार्यवाही के लिये भेज देता हूं।

फिर श्री रामअधार जी ने दिया है (व्यवधान)।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, विश्वनाथ स्वर्ण मन्दिर, वाराणसी में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष—

एक दल के सदस्यों को एक ही महत्वपूर्ण विषय पर देना चाहिये।

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

श्री अठईराम, श्री मुलायम सिंह यादव ने थाना सराय ममरेज, इलाहाबाद की पुलिस द्वारा हरिजनों पर तथा कथित अत्याचार किये जाने पर उत्पन्न संकट पर दिया है। तो उसके लिये आप अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

वहांपर मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मालवीय जी का है विधान सभा भवन के समक्ष कल संसद सदस्यों, सदस्य विधान सभा, विभिन्न जिलों के कार्यकर्ता तथा संघर्ष समिति के सदस्यगण की गिरफ्तारी से उत्पन्न संकट के बारे में।

(व्यवधान)

श्री अठई राम—

यदि मेरा आप इतना जरूरी स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं सदन का त्याग करता हूं, यह हरिजनों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है।

(श्री अठई राम सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

उन पर वह धारा लगाई गई जो गुन्डों पर लगाई जाती है। हम लोग कल शाम 6 बजे माननीय मोतीलाल देहलवी, माननीय सतरुद्ध प्रकाश, माननीय असरार अहमद, माननीय मधुकर दिघे के साथ गये थे। साढ़े 6 बजे शाम तक पौने दो सौ आदमी जेल के फाटक पर बैठे थे। उन लोगों के खाने व चाय आदि की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस पर हम लोगों ने जब मैजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने कहा पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं की है, इसलिये हम कुछ कर सकने में असमर्थ हैं। जेल अधिकारियों ने बताया कि मैजिस्ट्रेट ने कोई वारन्ट नहीं दिया है, इसलिये जेल के अन्दर नहीं ले सकते हैं। 151 में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस धारा में गिरफ्तारी तभी हो सकती है यदि कोई व्यक्ति या समूह काग्नीजेबुल अपराध करने वाला हो। यहां पर धारा 144 लगी हुई थी। यदि इन्होंने धारा 144 तोड़ी या भाषण दिया तो इसका 188 में चालान किया जाना चाहिये था और मुकदमा चलाया जाना चाहिये था। मैंने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के इशारे पर यह सारा अभियोग-पत्र बनाया गया है, क्योंकि उस अभियोग-पत्र में इस बात की चर्चा नहीं की गई है जो धारा 144 यहां पर तोड़ी गई। इससे लोक नायक जयप्रकाश के आन्दोलन को दबाने के लिये दमनकारी रवैया अपनाया गया है। आज भी 85 आदमी गिरफ्तार किये गये। तो स्थिति विस्फोटक है और सारे प्रदेश का वातावरण उद्वेलित है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

पौने दो सौ से दूसरे दिन ही 25 आदमी रह गये, इसका मतलब है कि इसे जनता का समर्थन नहीं प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष—

कल जो घटना हुई थी, वही आप बयान कर रहे थे। कल 150 विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं को 12 बजे गिरफ्तार किया गया। अब कहते हैं कि खाना और चाय-पानी उनको नहीं दिया गया। इनकी गिरफ्तारी मुख्य मन्त्री के इशारे पर आन्दोलन कुचलने के लिये की गई है—यह बहस का, राय का सवाल हो सकता है—और नियम 56 में कार्य-स्थगन का विषय कैसे है ?

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

यह इस तरीके से है, जो दूसरी जनवरी को ज्ञापन आपको दिया गया था' अगर उसका आप जवाब देते तो आज यह आन्दोलन न होता और यह हुआ कि उसको दबाने के लिये खिलाफ संविधान के कार्यवाही की गई और की जा रही है। धारा 144....

एक सदस्य—

आप भी तो ऐसा करते थे।

चौधरी चरण सिंह—

मुझे कुछ बोलने देंगे या नहीं (व्यवधान) मैं यह अर्ज कर रहा था कि सेक्शन 144, जब ब्रीच आफ पीस हो, शान्ति भंग की जब आशंका हो तब लगाया जाता है, वह लगा हुआ था, जो नहीं लगाना चाहिये था। 188 में लगाना चाहिये था। वह आपने नहीं लगाया। 188 में नहीं किया तो 107 और 111 भी ब्रीच आफ पीस की हैं। यह मीन्स आफ डिमांस्ट्रेशन से होगा। अगर डिमान्स्ट्रेशन हो गया तो ब्रीच आफ पीस हो जायेगी। अनकांस्टीट्यूशनल तरीके से अरेस्ट हुये हैं और यह अरेस्टुट्स जारी रहेंगे। इसलिये ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आपको बहस के लिये समय देना चाहिये जिससे बहस हो जाये।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, साधारणतया मेरी आवश्यकता नहीं थी कि मैं निवेदन करूं। आप ग्राह्यता के प्रश्न पर सक्षम हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह बिलकुल निराधार बात है कि स्थानीय अधिकारियों ने मेरे इशारे पर कोई दफा लगाई है या काम किया है। जहां तक माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि मुझे एक पत्रक संघर्ष समिति की ओर से दिया गया था मैंने उत्तर नहीं दिया। इसलिये झगड़ा हो गया और अशान्ति फैल गई या फैलने वाली है। सत्याग्रह उसी के कारण हो रहा है। इसके पहलू में यह है कि सत्याग्रह की जो तारीख संघर्ष समिति ने निश्चित की थी, उससे पहले मैं उत्तर भेज चुका हूं। शायद चौधरी साहब ने देखा नहीं होगा क्योंकि वह संघर्ष समिति के सदस्य नहीं हैं और यह अच्छा है कि आप सदस्य नहीं हैं।

चौधरी चरण सिंह—

ज्ञापन कब आया था और जवाब कब भेजा ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, 9 अप्रैल को उत्तर भेजा है। इससे पहले सत्याग्रह की तारीख तय की गई है। मुख्य मन्त्री जी गलत बयानी कर रहे हैं कि सत्याग्रह के बहुत पहले उन्होंने उत्तर भेज दिया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

मान्यवर, यह मैंने कभी नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि सत्याग्रह होने की तिथि से बहुत पहले उत्तर भेज दिया। 14 तारीख से सत्याग्रह शुरू हुआ और आपकी ही बात मान ली जाये, 9 तारीख को मेरा उत्तर गया। तब भी सत्याग्रह शुरू होने से पहले मेरा उत्तर जा चुका था। मेरे ख्याल से यदि चौधरी साहब मेरे स्थान पर होते तो जैसा कि पत्रक था उसका वह उत्तर भी नहीं भेजते। मैं उस पत्रक की प्रतिलिपि भेज दूंगा: इसमें मुद्दे की केवल एक दो बात कही गई थी। सवा छ: एकड़ पर लगान वापस करो। दूसरे यह कहा गया था कि एक प्वाइंट टैक्स लगाओ। कुछ बातें ऐसी थीं जिनको बजट के समय कह दिया गया था। व्यापारियों की तरफ से एक प्वाइंट टैक्स के सम्बन्ध में चर्चा उठी थी। मैं बजट को कैसे लीक कर देता, कैसे उत्तर देता? उसमें तरह-तरह की बातें थीं और चौधरी साहब बुजुर्ग हैं और उनके साथ कुछ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह मेरे स्थान पर होते तो 9 तारीख को भी उत्तर नहीं भेजते।

चौधरी चरण सिंह--

मैं करता, तो मैं भी गलती करता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

मैं निवेदन कर रहा हूं स्वीकृति के लिये नहीं, बल्कि सिर्फ सुनने के लिये। अस्वीकार करने का आपको अधिकार है। लेकिन सुन लें मेरे ऊपर इतनी कृपा करें।

चौधरी चरण सिंह--

गलत बात भी सुननी पड़ेगी डेमोक्रेसी में।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

चौधरी साहब ने ठीक कहा। हमको इतनी गलत बातें सुननी पड़ती हैं जिनका कुछ कहना नहीं है। मैं एक पहलू पर कहना चाहता हूं। जिस पहलू पर यह कहा गया कि जेल में बन्दोबस्त ठीक नहीं हुआ। तो मैं अवश्य यह बात कहूंगा कि इस सिलसिले में, चौधरी साहब का फेमस डिकटम तो नहीं कहूंगा। मैं कह भी नहीं सकता हूं, हिम्मत भी नहीं करूंगा। बस चौधरी साहब समझ गये, मैंने कह दिया उन्होंने समझ लिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जेल मन्त्री से कहूंगा कि वह तत्काल जेल में जायं और स्वयं देखभाल करके आवें ताकि वहां जो माननीय सदस्य गये हैं उनको कोई तकलीफ न होने पावे और यथा-योग्य आराम हम उन्हें पहुंचा पायें। जहां तक दफाओं का सम्बन्ध है, मान्यवर, अगर हम अदालत होते तो हम तय कर देते। अगर हम गलत दफायें लगायें होंगे तो अदालत खुद ही कह देगी कि आपने दुष्टता की है। झूठे मुकदमें की बात जो चौधरी साहब ने कही, इसका अदालत ही फैसला कर सकेगी। जिन धाराओं में वे पकड़े गये हैं, उसको अदालत ही तय करेगी। इससे राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन अस्वीकार है। आगे हम चलते हैं। खाद्य और रसद मन्त्री का....

चौधरी चरण सिंह--

अब जो कुछ माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, उसके प्रोटेस्ट में भारतीय लोक दल सदन का त्याग करते हैं।

(चौधरी चरण सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(सदन से बाहर जाते समय कुछ सदस्य यह नारे भी लगाते रहे—लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो गलत-बयानी किया है, उसके विरोध में सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री भगवती प्रसाद भी सदन त्याग कर चले गये)।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी सलाह से नहीं बल्कि सरकारी लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी नाक के नीचे ऐसी गिरफ्तारियां हों, तो यह बड़ी अनुचित बात है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बड़ा असन्तोषजनक जवाब दिया। इसके प्रोटेस्ट में हमारी भी पार्टी बहिर्गमन कर रही है।

(श्री राममूर्ति अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय राम मूर्ति जी बहुत दिन मन्त्री रहे हैं, उनके मन्त्रि-काल में लखनऊ की सड़क लाल हुई है और मेरे मन्त्रिकाल में सड़क लाल नहीं हुई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। 10 करोड़ जनता में से 100 आदमी को केवल ले आये हैं, वह चाहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाय, तो मान्यवर, क्यों उन्हें रखे हुए हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तारीख को वह तय करें, छोड़ दिये जायेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं अनेकों बार तौल चुका हूं, मुझे उनका विश्वास नहीं है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, आपके मन में किसानों के प्रति बड़ी दया है। मान्यवर, सुन तो लें कि कितनी महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष—

आप सदन त्याग भी करें उसका लाभ भी उठावें तो यह नहीं होता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

हमारे नेता झारखंडे राय आये थे उनको बाराबंकी में पकड़ लिया गया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह ने 14 आदमियों को मारा वाराणसी में, कालागढ़ में और मोदी नगर में मारा।

1975–76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार, अनुदान संख्या 43—सामान्य आर्थिक सेवायें तथा अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)†

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे इस खाद्य एवं रसद अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जब देश और प्रदेश में कहीं खाद्य पदार्थों की कमी होती है तो उस जमाने में यह कन्ट्रोल्ड इकोनामी का सहारा प्रदेशीय सरकार को लेना पड़ता है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसी जिन्दगी की जरूरियात हैं जिनकी भारी कमी हुई है और हमारी सरकार ने यह मुनासिब समझा कि उन जिन्दगी की जरूरियात की चीजों को नियन्त्रित ढंग से, कन्ट्रोल्ड प्राइस पर जनता में वितरित किया जाये। मान्यवर, वह आदेश बहुत अच्छा है और शानदार है और इस माने में और भी अच्छा हो सकता है कि हमारी सरकार ने समाजवादी समाज की रचना का जो संकल्प लिया है हम अपने इस विभाग के द्वारा उस कल्पना को और उस स्वप्न को व्यावहारिक कर सकें और पूरा कर सकें। लेकिन मान्यवर, प्रैक्टिकल ढंग से जब हम इस विभाग की ओर देखते हैं, इस विभाग के कारनामें की तरफ देखते हैं और ध्यान देते हैं और जनता में पहुंच कर इस आवाज को सुनने का मौका मिलता है तो वह ख्वाब और वह स्वप्न जो समाजवादी समाज की रचना का है और जिसे हम लोगों ने लिया है, वह धूमिल हो जाता है।

मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह विभाग देहात की 80 प्रतिशत जनता के साथ खिलवाड कर रहा है, मजाक कर रहा है। जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह नहीं मिल पाती हैं। ग्रामीण अंचल में रहने वाले किसान और मजदूर को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह इस विभाग के द्वारा उनको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इससे फायदा कौन उठाता है? फायदा वही लोग उठाते हैं जो शहर में रहते हैं और तमाम इकोनीमी को कन्ट्रोल किये हुये हैं, काबू किये हुए हैं।

मान्यवर, सरकार ने सीमेंट पर कन्ट्रोल किया है, कौन पाता है सीमेन्ट? किसको सीमेंट मिलती है? क्या उस देहात में रहने वाले किसान या मजदूर को प्राप्त हो पाती है, हरगिज नहीं। शहर में रहने वाले लोगों को जो सोर्सफुल होते हैं, जिनकी पहुंच होती है सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है, देहात के लोगों को ब्लैक मारकेट से ही लेना पड़ता है। प्राइस कैसे तय होती है? फैक्टरीज के लोगों को बुलाकर हमारे अधिकारीगण तय करते हैं।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री माता प्रसाद पीठासीन हुए) (लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे कितना समय मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता—

5 मिनट हो गये हैं, 2 मिनट आप और बोल लें?

---

†14 अप्रैल, 1975 की कार्यवाही से।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, अब सीमेंट और अन्य चीजों को छोड़कर आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान कृषकों की ओर ले जाना चाहता हूं। जितनी भी हमारी जरूरियात की चीजें हैं, उनकी ओर से आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं, लेकिन हमारे किसान जिस चीज के लिये भी उन्हें कहा जाता है, फिरागदिली से वे उन्हें देते हैं। विदेशी हमलों के बचाव के समय जब किसान के नौजवान की पुकार होती है, और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे नौजवान की जरूरत है तो वह फिरागदिली से, देश की आजादी के लिये, अपने नौजवान को भेजता है।

जब आपको विदेशी मुद्रा और नेशनल इन्कम को बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो हमारी शुगर के ऊपर जो कि एक लघु उद्योग में आता है, उस पर कन्ट्रोल लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं और जिस किसान का गन्ना 12 या 14 रुपये में बिका करता था वह आज 8 और 10 रुपये में धक्के खाता फिरता है। आप उसे देने के लिये मजबूर करते हैं और वह बेचारा देता है। जब आपको सामाजिक न्याय के लिये जमीन की आवश्यकता होती है हरिजन भाइयों और छोटे बन्धुओं के लिये तो ग्रामीण अन्चलों के कृषकों की भूमि से काट कर उनके प्रति सामाजिक न्याय करने की आप घोषणा करते हैं। गल्ले की अगर आपको जरूरत होती है तो आप उन पर गल्ले की लैवी लगा देते हैं। पिछले वर्ष हमने देखा आपने व्यापारियों से समझौता किया, उन्होंने आपको धोखा दिया और उनके द्वारा धोखा दिये जाने पर आपने किसानों को जेलों में बन्द किया, उन्हें सजायें दीं और डी0 आई0 आर0 में बन्द किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप चेयर के माध्यम से माननीय मन्त्री जी को कहें।

श्री यशपाल सिंह—

श्रीमन्, आपके द्वारा ही माननीय मन्त्री जी से कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यशपाल जी आप अब समाप्त करें। 7 मिनट हो चुके हैं।

श्री यशपाल सिंह—

श्रीमन्, मुझे कुछ और समय दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, एक मिनट और बोल लें।

श्री यशपाल सिंह—

श्रीमन्, जब ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपना वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं तो आप किसान को कहते हैं कि तुम भी आहुति के रूप में दान करो। तो डेवलपमेंट लैवी उन पर लग जाती है, वे खुशी से दे देते हैं लेकिन जब उसको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो आप मजबूरी जाहिर कर देते हैं। अगर सीमेंट के लिये वे कहते हैं

[श्री यशपाल सिंह]

कि दाम बहुत अधिक हैं तो आप अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आता है, डालडा की जब उन्हें जरूरत होती है तो आप अपनी मजबूरी जाहिर कर देते हैं। किसान को जितने भी एग्रीकल्चर के इम्पलीमेंट्स होते हैं, उनकी बढ़ी हुई कीमतों के बारे में जब वे रोष प्रकट करते हैं तो उनके बारे में भी कास्ट ओफ प्रोडक्शन के बढ़ने का बहाना लेकर अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। जब आपकी किसी चीज की जरूरत होती है तो उसे किसान खुशी-खुशी देता है और जब उसको किसी चीज की जरूरत होती है तो मजबूरी हायल हो जाती है।

जी में आता है कि लगा दूं आग कोहेतूर को, पर ख्याल आता है कि मूसा बेवतन हो जायेगा ?

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री सत्यवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मद के सम्बन्ध में अपने विचार रखने का अवसर दिया।

मान्यवर, देश और इस प्रदेश में खाद्यान्न की सबसे बड़ी समस्या है। यहां का वितरण और उत्पादन दोनों ही परिस्थितियों के विरुद्ध हैं। जिस दिन पता चलेगा कि यहां पर कितने आदमी अंधे हुए और क्यों मरे उस दिन शासन की आंख खुलेगी। क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के नवीनतम सर्वेक्षण से पता चला है कि 75 लाख व्यक्ति भारत में अंधे हैं और इसका कारण उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 5 वर्ष के बच्चे को पौष्टिक आहार जितना मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। प्लानिंग आयोग ने भी आंकड़े दिये हैं कि भारत में 60 प्रतिशत जानता को भर पेट भोजन नहीं मिलता। 4 करोड़ 12 लाख व्यक्तियों की प्रति माह आय 35 रुपये है। सरकार गेहूं और चीनी जिस रेट पर दे रही है इतनी आमदनी में उनका पेट भरना सम्भव नहीं है ; 22 करोड़ व्यक्ति, जो भारत की आबादी का 40 प्रतिशत बैठता है, गरीबी के स्तर के नीचे हैं। पूरे भारत में 32 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के चेयरमैन एन० आर० मिर्धा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भारत में खाद्य की कमी नहीं है बल्कि उसके लिये दोषी यहां की खाद्य नीतियां और जो लैवी वगैरह है, यह है। उनका कहना है कि समस्त भारत को 8 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्कता है परन्तु पाला, वर्षा, प्राकृतिक प्रकोप के बाद भी 9 करोड़ टन खाद्यान्न भारत में पैदा होता है। 1 करोड़ टन कहां जाता है उसके लिये कौन जिम्मेवार है ? उसके लिये यह भ्रष्ट शासन जिम्मेवार है या खाद्य मन्त्री जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो खाद्यान्न की तस्करी होती है और वितरण व्यवस्था ठीक न होने से भ्रष्टाचार बढ़ता है लोगों की नैतिकता गिर रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता और उत्पादन को देखते हुये आज उत्तर प्रदेश की स्थिति में कन्ट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिये प्रत्यक्ष प्रमाण है डालडा। 1973 में 74 में कन्ट्रोल में जनता को डालडा नहीं मिला था। इसी सदन में माननीय खाद्य मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम प्रति व्यक्ति को डालडा नहीं दे पायेंगे। परन्तु कन्ट्रोल हट जाने के बाद आज डालडा की कोई कमी नहीं है। आज जो भी जितना डालडा चाहे मिल सकता है जबकि डालडा का प्रोडक्शन गिरा है। मूंगफली और कपास, दो मुख्य चीजें जो डालडा बनाने के काम में आती हैं, 1969-70 में मूंगफली की पैदावार 2.56 लाख टन हुई थी, 1970-71 में 2.2 लाख टन, 1971-72 में 1-83 लाख टन हुई। इसी तरह से इन्हीं वर्षों में कपास की पैदावार 1969 से 1972 तक 0.9 लाख मिलियन टन, 0.8 लाख मिलियन टन और 0.5 लाख मिलियन टन हुई। 1973-74 में कपास और बिनौले का प्रोडक्शन गिरा लेकिन फिर भी आज जनता को आसानी से डालडा मिल रहा है। इसका साफ मतलब है कि जो आरोप इस भ्रष्ट शासन पर लगाया गया था कि 2 करोड़ रुपया डालडा वालों से अपनी कुर्सी बचाने के लिये लिया है वह सही था। यह भी साफ जाहिर है कि जो कन्ट्रोल यह सरकार लगा रही है यह सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिये लगा रही है।

इसके अलावा गेहूं का उत्पादन 1960-70 में 12.0 क्विन्टल प्रति हैक्टेयर था, 1970-71 में 11.9 क्विन्टल प्रति हैक्टेयर और 1971-72 में 12.65 क्विन्टल प्रति हैक्टेयर था। 1973-74 तक जो सहूलियत किसान को मिली वह इनकी नीतियों के कारण मिली। इसीलिये जिस रेशियों में प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था वह 1974 से गिरना शुरू हो गया। यह मुख्य बात है। जब किसान का प्रोडक्शन गिर रहा है और फिर लेवी के लिये चाहिये तो वह कैसे दे? अगर किसान का लड़का इन्जीनियर हो जाय तो 10 शादियां आने लगेंगी, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिये उसको तो हर क्षेत्र में परेशानी होती रहती है। (लाल बत्ती होने पर)

अन्त में मैं चीनी के बारे में निवेदन करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय हो गया है, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री सत्यवीर सिंह—

शहरों में प्रति यूनिट एक किलो चीनी दी जाती है। जब कि गांव में प्रति परिवार एक किलो है और वह भी मिलती नहीं है। कन्ट्रोल में 2.15 रुपये किलो चीनी का भाव है, बाजार में 4-5 रु0 किलो बिकती है। जिनके खिलाफ आरोप थे उनका कोटा डी0 एस0 ओ0 द्वारा निरस्त कर दिया गया। कोटा न मिलने के कारण गांव वालों को चीनी नहीं मिली। चीनी जिनको एलाट की गयी उन्हें नहीं मिली।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री सत्यवीर सिंह—

साकल के प्रधानों ने जिनके लिये रिकमेन्ड किया उनको चीनी नहीं मिली, डी० एस० ओ० ने जिसको चाहा उनको चीनी एलाट की। डी० एस० ओ० ने पैसे लेकर जिसको चाहा उसको दी, जिसको न चाहा नहीं दी। इसकी जांच की जाय कि ऐसे लोगों को चीनी दी गयी जिनको डी० एस० ओ० ने रिकमेन्ड किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अपना स्थानग्रहण करें।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्द शहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात को अच्छी तरह से अहसास करता हूं कि माननीया खाद्य मन्त्री जी के ऊपर इस प्रदेश की पुलिस, फौज और शहरी जनता को खिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज के खाद्य संकट के समय में उन्होंने जिस खूबी से इस रसद विभाग के कार्य को चलाया है वह सराहनीय है। लेकिन मैं 2-4 बुनियादी बातों की तरफ माननीया मन्त्री जी का ध्यान दिलाना बहुत आवश्यक समझता हूं। जहां खाद्य के वितरण की जिम्मेदारी आपकी है। लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, वहां कृषि उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की भी आपकी जिम्मेदारी है। जब हम कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें सोचना होगा कि क्या कृषि उत्पादन बढ़ा है? कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से क्या हम किसान को उसकी लागत दिलाने के लिये कोई योजना बना रहे हैं? आज हमारे देश में गेहूं के भाव को लेकर, आलू के भाव को लेकर, गन्ने के भाव को लेकर, उत्पादन के प्रश्न को लेकर क समस्या खड़ी हो गयी है। उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना होगा। भारत सरकार ने गेहूं की जो कीमत तय की है हमें उसके अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करना होगा, यह बात सही है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी सोचना होगा कि किसान के दिल में कहीं यह भावना न आ जाये कि उत्पादन बढ़ाने का क्या जरूरत है।

दूसरी एक और बुनियादी बात की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। किसान जो उत्पाद न करता है उसकी सही कीमत दिलाने के लिये तो सरकार हमसे सहमत नहीं होती है, लेकिन किसान को जो चीज चाहिये, जैसे टीन, सीमेंट, चीनी, या खाद वगैरह, उनकी कीमत के बारे में या उनके वितरण के बारे में कुछ कहते हैं तो सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारी लाचारी है। मैं जानता हूं कि लाचारी है, मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में उनकी कीमत घटाना नहीं है लेकिन इस पर हम अवश्य विचार करें कि कहीं किसान भी यह न कहने लगे कि हमारा माल सस्ते दाम पर ले लिया जाता है और उसकी जरूरत की चीजें अधिक मूल्य पर दी जाती हैं और इस तरह से कोई दिक्कत की बात पैदा हो जाय।

ये दो बुनियादी बातें मैंने इसलिये उठायी हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के आर्थिक ढांचे व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये दोनों बुनियादी बातें उस नीति को बनाने के लिये बहुत जरूरी हो गयी हैं। मैं उनसे यही जोर दूंगा कि वे इस नीति का ऐलान करें। मैं यह सुझाव देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इन दोनों बुनियादी बातों पर बैठकर विचार करे क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की कृषि की तरक्की तथा उत्तर प्रदेश के लोगों की आवश्यकतायें

पूरी होने का बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है, और उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिये बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। चूंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी गम्भीर जिम्मेदारी है, जो उन्होंने बजट अनुदान रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन के साथ-साथ जो दो-तीन बुनियादी बातें मैंने उठायी हैं, मुझे आशा है कि माननीया खाद्य मन्त्री जी और उत्तर प्रदेश का मन्त्रि-मन्डल इस पर बुनियादी तरीके से विचार करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

मान्यवर, आज हमारे खाद्य मन्त्रालय के सामने तीन मुख्य समस्यायें हैं—पहली समस्या है कि किसानों को कृषि सम्बन्धी साधन समय पर और उचित मूल्य पर मिलें, दूसरी समस्या है अनाज की वसूली और तीसरी समस्या है वसूल किये हुये अनाज का वितरण। मान्यवर, अन्न संकट एक राष्ट्रीय प्रश्न है और इसलिये राजनीति और पार्टी बन्दी से ऊपर उठ कर हमें इस पर विचार करना चाहिये। मान्यवर, जल और हवा के बाद मनुष्य के लिये सबसे आश्यक चीज जो है, वह अनाज है। इस देश की यह हालत है कि यहां की 22 करोड़ जनता की औसत आमदनी 20 रुपये से कम है और उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिला पाता लेकिन हमारी समाजवादी सरकार द्वारा समाजवाद का खाना देकर लोगों को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, बड़ा शोर हुआ हरित क्रान्ति का, कि हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गये और कृषि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका नतीजा यह निकला कि हमारा उत्पादन गिरा, इसके आंकड़े दूं कि 1970-71 में उत्तर प्रदेश में जहां 194 लाख टन पैदा होने के हैं वहां 1971-72 में वह घट कर 176 लाख टन हो गया। इस वर्ष भी बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि बम्पर क्राप्स आने वाला है और इसीलिये बाजार में भाव गिर रहा है। मान्यवर, जो लोग कृषक हैं, जो खेती-बारी जानते हैं उनको पता है कि यह बम्पर क्राप्स का सिर्फ हल्ला मचा हुआ है।

मैं आपके माध्यम के उनको बतला देना चाहता हूं कि इस वर्ष खेती में हवा निकलने से इस वर्ष बम्पर क्राप नहीं आ रहा है। जहां पहले सोचा गया था कि 40 मन प्रति एकड़ अनाज पैदा होगा वहां अब केवल 20 मन प्रति एकड़ अनाज ही पैदा हो सकेगा। उत्पादन गिर रहा है और इस उत्पादन के गिरने का मुख्य कारण यह है कि किसान को उसके द्वारा पैदा किये हुये अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता है और यही कारण है कि उत्पादन गिरता चला जा रहा है। और इससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। कृषि मन्त्रालय की रिपोर्ट है कि 1969-70 में दो हजार आदमियों ने इसलिये आत्महत्यायें कीं क्योंकि वे खुद को तथा अपने परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सके। पैदावार घटने का कारण मैं जैसा कि बता चुका हूं कि मूल्य कम देना है।

आप देखें कि राष्ट्रीय बीज निगम है, जो एक सरकारी संस्था कही जा सकती है, इससे पिछले साल 112 रुपये लागत मूल्य किसान का बताया था और जो पिछले साल सरकार ने भाव दिया था वह 105 रुपये प्रति क्विन्टल, गेहूं के लिये दिया था। इस वर्ष

[श्री राम प्रकाश यादव]

जबकि खाद की कीमत बढ़ गयी है, सिंचाई की दर बढ़ गयी है, बिजली के रेट बढ़ गये हैं, ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गयी है परन्तु हमारे किसान का गेहूं 105 पर लिया जा रहा है। यह किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है। यह इसलिये हो रहा है कि किसान की कोई यूनियन नहीं है, वह हड़ताल नहीं करता है। जो लोग हड़ताल करते हैं वह जबरदस्ती सरकार से अपनी बात मनवा लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कानूनी हक से जबरदस्ती लेवी द्वारा 105 रुपये में आप चाहे गेहूं खरीद लें परन्तु यह नैतिक हक नहीं है क्योंकि सब चीजों के दाम बढ़ गये हैं। लेकिन आप गल्ला सस्ता खरीद रहे हैं। मान्यवर, सरकार की वसूली नीति भी स्थिर नहीं है। 1972-73 में सरकार ने अपने हाथ में गल्ला वसूली को लिया था लेकिन पारसाल व्यापारियों को दे दिया और जब व्यापारी बेईमानी करने लगे तो फिर अपने हाथ में ले लिया। यही कारण था कि किसान पहले व्यापारियों को गेहूं बेच चुका था पर उससे जबरदस्ती गल्ला वसूल किया गया उसको चोर बनाया गया, किसान के घर से जबरदस्ती गल्ला निकाला गया।

यह जो आपकी वितरण व्यवस्था है वह बड़ी दोषपूर्ण है। गांव वालों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है और यही कारण है कि हमारी समाजवादी सरकार शहरों में 1 किलो चीनी प्रति यूनिट देती है और गांव वालों को 250 ग्राम चीनी प्रति परिवार देती है। मान्यवर, गांव के गरीब लोगों ने जिन्होंने कुछ दिनों पहले 200 रुपये क्विन्टल बाजरा खाया है, बाजार से खरीद कर खाया है और जब आज उनकी फसल तैयार है तो यह सरकार उस पर आंख लगाये बैठी है; डकैतों की तरह से 105 रुपये में उससे जबरदस्ती खरीदा जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम के मन्त्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं कि जो अपना वह गल्ला 135-138 पर बेचेंगी क्या वह साल भर तक किसानों को दे पायेंगी क्योंकि किसान अपने कर्ज को चुकाने के लिये और दूसरे कामों के लिये गल्ला उस समय बेंच देगा। पर जब वह 2 महीने बाद खरीदने जायगा तो वही गल्ला वह 250–200 रुपये क्विंटल उसको मिलेगा।

मान्यवर, चीनी की दुकानें जो देहातों में हैं उनके बारे में कई साथी कह चुके हैं। यह सारी दूकानें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये हैं। कांग्रेस के चन्द लोग जो इनके गीत गाते हैं यह दूकानें उन्हीं को एलाट की जाती हैं। उनसे भ्रष्टाचार होता है और सब ब्लैक में बेच दी जाती हैं। मेरा सुझाव है कि जितनी चीनी की दूकानें गांवों में हैं उनको समाप्त कर दिया जाय और गांवों के लोग जो गल्ला खरीदने जायं उनके लिये न्याय-पंचायत पर सरकार सस्ते गल्ले की दूकानें खोले और उनसे उनको सस्ती दर पर गल्ला दिया जाय। इतना कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से खाद्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा बजट प्रस्तुत किया।

अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जिन्होंने लेवी के बारे में कुछ कहा है। जहां तक लेवी का प्रश्न है इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेवी के माध्यम से, उत्पादक लेवी के माध्यम से सरकार अन्न संग्रह करेगी और उसका वितरण निर्बल वर्ग को करेगी। जहां तक भाव का प्रश्न है उसमें मतभेद हो सकते हैं। लेकिन शासन ने बहुत सोच-समझ कर, केन्द्रीय शासन ने तमाम परिस्थितियों को देखकर 105 रुपया का भाव निर्धारित

किया है। जहां तक इस बात का प्रश्न है जो हमारे गल्ले की खरीद होती है वह एक एफ0 सी0 आई0 के माध्यम से होती है। एफ0 सी0 आई0 के बारे में केन्द्र में बहुत चर्चा हो चुकी है। 28 रुपये खर्च पड़ता है और इसको जोड़कर हम अपना राशन 133 रुपये में देते हैं। गल्ला देते हैं।

मैं खाद्य मन्त्री महोदया से एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी प्रदेश स्तर पर खाद्य निगम की स्थापना की है। जो भी लेवी की खरीद की जाय अपने प्रदेश में वह इस खाद्य निगम के माध्यम से करें दो मैं समझता हूं कि अगर इसके माध्यम से आप परचेज करें तो इससे कम खर्च पड़ेगा। खर्चे को कम करके आप किसानों का कुछ दाम बढ़ा सकती हैं। इसमें केन्द्रीय शासन को भी असुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम गेहूं खरीदते हैं वही राशन होल्डरों को दें। लेकिन विदेशी जो गेहूं दिया जाता है वह अच्छा नहीं है। जो नगरों में गेहूं दिया जा रहा है जैसे कानपुर में तो उससे बीमारी फैल रही है। इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो गेहूं खरीद रहे हैं वही दें।

मान्यवर, वितरण की जो व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां हैं। मैं खाद्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो ग्रामीण अंचलों में गल्ला, शकर, सीमेंट, तेल आदि बांटते हैं उसमें प्राफिट इतना कम होता है कि व्यापारी लोग भ्रष्टाचार को ढूंढ़ते हैं और इससे सभी परेशान रहते हैं। कोटा होल्डरों के पत्रों आदि पर विधायकों की सिफारिशें होती हैं। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह दुकानें तोड़ दें और कुछ मिनी स्टोर्स गांवों में खोलें और उनमें सभी सामान कृषकों को एक स्थान पर मिले। कार्ड तो बन गये हैं इसलिये उनको असुविधा भी नहीं होगी। एक कमेटी भी बना दें जिसमें चयरमैन, ब्लाक प्रमुख और गांव प्रधान, सदस्य हों जो इनको देखते रहेंगे। साथ ही साथ जब मिनी स्टोर में सब चीजें होंगी तो उनका मारजिन आफ प्राफिट भी ज्यादा हो जायगा और इससे दुकानें चलेंगी।

मान्यवर, खाद्य निगम तो बना दिया गया है, उसमें पूंजी लगा दिया है इसलिये उसे कायदे से काम करना चाहिये। चेयरमैन नियुक्त कर दिया है किन्तु उनके पास स्टाफ की कमी है ? इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो गेहूं लेवी से वसूल करें वह इसी के माध्यम के ग्रामीण अंचलों में वितरण की व्यवस्था करें।

मान्यवर, आजकल भ्रष्टाचार की बात हर जगह पर हो रही है जिसके कारण अव्यवस्था पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिये कोयले का मसला है ईंट के भट्ठे कानपुर नगर में है व जिले की बड़ी फैक्टरियों में फर्जी यूनिट्स बनी हुई हैं उनका कोयला नं0 2 में भट्ठे वाले खरीदते हैं। पी0 सी0 एफ0 का 300 रु0 टन जाता है उसको कोई नहीं खरीदता है। इसलिये मन्त्री जी से निवेदन है कि यदि गांवों में ईंट सस्ती दिलाना चाहते हैं, तो उनको चाहिये कि भट्ठे वालों को अधिक से अधिक रेलवे के माध्यम से कोयला दिलावें। लेकिन जो कोयला अभी आप दे रहीं हैं उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मुझे विश्वास है कि हमारी माननीया खाद्य मन्त्री जी जो सजग हैं, सक्षम हैं और बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है, जो सुझाव मैंने दिये हैं उनपर विचार करेंगी ? इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस खाद्य विभाग में एक सबसे बड़ी समस्या है मानव जीवन से सम्बन्ध रखने वाली और वह है मिलावट की। खाद्य में इतनी मिलावट हो रही है कि लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है। भविष्य अंधकार में है—क्या होगा और क्या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना मिलावट के बिक रहीहो। आज दिन तक इन 27 सालों में इस सरकार ने मिलावट के मामले में जितना उपेक्षा की और बराबर वह उपेक्षा जारी है, तो नतीजे के तौर पर, मान्यवर, अभी आगरा में जो परीक्षण हुआ था लेबोरेटरी में आपने भी पढ़ा होगा कि 'मसाले में घोड़ा की लीद'—'मिर्च में ईंट का चूरा'—इस तरह की चीज सामने न आई होतीं। केन्द्रीय सरकार भी भाषण करती है रहती है बड़े-बड़े, कि मिलावट में पाबन्दी लगायेंगे, रोक लगायेंगे और इसी तरह से प्रान्तीय सरकार भी इसी तरह के आकर्षक भाषण करती है, लेकिन आज दिन तक वह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार आंख मीचे हुये है, तो उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी।

मान्यवर, हिन्दुस्तान के एक चावल के व्यापारी ने जर्मनी सरकार को चिट्ठी लिखी कि हमें एक ऐसी मशीन बनाकर दीजिये कि जो चावल में पत्थर को इस तरह से मिक्स कर दें कि उससे मालूम न हो सके कि वह चावल है या पत्थर। जर्मनी की सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि इस मिल को जब्त होना चाहिये और मिल मालिक को जेल भेजना चाहिये। अगर कोई अच्छी सरकार होती, जनता की तरफ देखने वाली सरकार होती तो यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध था और मिल मालिक को जेल में सड़ा दिया गया होता जिसने यह हरकत की थी।

दूसरी समस्या यह है कि कांग्रेस के जितने विधायक बोले हैं। मैं समझता हूं कि सभी ने जो लेवी के मूल्य हैं उसका विरोध किया है। मैं कहना नहीं चाहता कि जब सब लोगों की यह राय है कि यह जो तय किया है मूल्य 105 रुपये क्विन्टल का वह बहुत कम है और किसानों के साथ अन्याय है, तो आपकी अन्तरआत्मा कहां सो रही है, उसने आपको क्यों रोक रखा है। किसानों के साथ इतनी बड़ी राहजनी होने जा रही है और पता नहीं आपने 105 रु0 जो तय किया है वह कहां से आपने निकाल लिया और कहां से आंकड़े ले लिये। कोई तर्क है, कोई युक्ति है, कोई न्याय संगत आधार है या नहीं। कोई न्यायसंगत आधार नहीं। 105 रुपये में किसान की लागत भी नहीं आयेगी यह कांग्रेस के एम0 एल0 ए0 भी स्वीकार करते हैं।

पिछली बार से खाद महंगी हुई, बिजली का रेट मंहगा हुआ, सिंचाई का रेट ज्यादा हुआ, हर चीज महंगी हुई। अगर आपकी नजर इन्साफ पर होती तो कोई तो न्यायसंगत आधार होता। यही वजह है कि आज किसान यह कहने लगा है हमारे क्षेत्र में कि अगर गेहूं की जगह घास बो दें जिसमें पानी का जरूरत नहीं, खाद की जरूरत नहीं, जो अपने आप उग आतीं हैं तो उससे ही ज्यादा आमदनी मिल जायगी। अब यह हालत है तो आखिर जाय कुछ विवेक से भी काम लेंगे या नहीं। आप देश और प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं। इतनी बड़ी राहजनी किसान के साथ हो रही है कि उसे उसका लागत मूल्य भी नहीं देना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते। हां जबान से अवश्य कहते हैं कि उसे मूल्य कम मिल रहा है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो फिर आपको रोक कौन रहा है, आप क्यों नहीं दिल्ली की सरकार से लड़ते। अगर आपके अन्दर अन्तरात्मा है और कोई विवेक नाम की चीज है तो गांधी जी के नाम पर, उनका यह फोटो भी लगा हुआ है, सक्षम हैं, विरोध कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह सारें के सारें मगरमच्छ के आंसू हैं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि मूल्य के मामले में कम से कम दोबारा गौर करें और केन्द्रीय सरकार को मजबूर करें कि वह ज्यादा मूल्य दे। आप किसान के साथ राहजनी कर रहे हैं इसीलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ध्रुव नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीया खाद्य मन्त्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले खाद्य मन्त्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि अभी पिछली बार जब हमारे यहां विकराल बाढ़ आई थी तो मन्त्री जी ने दौरा किया था और हम लोगों के निवेदन पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को गल्ला दिया जिससे जनता को राहत मिली। इसलिये खाद्य मन्त्री जी से हम लोगों को उम्मीद है कि हम जो सुझाव रखेंगे वे उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगी। मैं आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो वितरण व्यवस्था है उसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भेद-भाव क्यों लगाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रति यूनिट एक किलो चीनी मिलती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार पर आधा किलो चीनी दी जाती है। चीनी तो ऐसी चीज है जिसको सभी लोग खाते हैं। हां यह जरूर है कि शहरी क्षेत्रों में अमीर ज्यादा रहते हैं लेकिन वह सबको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र जहां गरीब लोग रहते हैं वहीं अन्न पैदा होता है। गन्ना वहीं पैदा होता है जिससे चीनी बनती है, जिसे सरकार बाहर भेजती है और उससे रुपया मिलता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस शहर और ग्रामीण क्षेत्र के भेद-भाव को भुला दें और जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में चीनी देते हैं उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीनी दें।

एक बात और आश्चर्य की है। आप लेवी वसूल करते हैं और गेहूं लेकर आप देते हैं शहरों में जहां कि बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, कोठियों में रहने वाले लोग हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूरी करते हैं और भूमिहीन किसान हैं उनको आप सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला नहीं देते। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लेवी से गेंहू वसूल करते हैं तो उन लोगों को भी गल्ला दें जो भूमिहीन हैं, मजदूर हैं और रुपया डेढ़ रुपया रोज पैदा करते हैं। मैं मन्त्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो वितरण व्यवस्था है इससे ग्रामीण अंचलों में काफी क्षोभ है क्योंकि जिस दुकान को भी लें उसके सम्बन्ध में रोजाना शिकायतें आती हैं। हम इन शिकायतों को किसी अधिकारी के पास ले जाते हैं तो वह सप्लाई इन्सपेक्टर को जांच के लिये दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी बात की कोई वकत नहीं जबकि सप्लाई इन्सपेक्टर की बात की वकत होती है। पहले हर जिले में खाद्य सलाहकार समिति बैठती थी लेकिन इधर वह नहीं बैठती जिसमें हम सुझाव दे सकें, शिकायतें रख सकें। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से

[श्री ध्रुव नारायण सिंह]

कहना चाहूंगा कि आप जिलेवार और विकास क्षेत्र पर खाद्य समितियां बनायें। अभी हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया मिनी स्टोर के जरिये आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था करने का। वह अच्छा सुझा है और इस पर गौर करना चाहिये।

एक निवेदन और है। लेवी के सम्बन्ध में सभी लोगों ने कहा। मेरा निवेदन यह है कि जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं उनको लेवी से मुक्त रखा जाय। ऐसे क्षेत्रों में एक ही फसल होती है और उसी पर किसान का सारा काम चलता है। इसलिये ऐसे क्षेत्र में को लेवी से मुक्त कर दें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं जो मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है।

*श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने केलिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं जो देहाती इलाकों में चीनी आदि वितरण के सम्बन्ध में हैं। मान्यवर, 1962 की जनगणना के आधार पर चीनी वितरित की गयी है जबकि 13 वर्ष बाद आज हर जगह 10, 20 और 50 परिवार ज्यादा हो गये हैं। इसलिये सभी न्याय पंचायतों को उनकी जन-संख्या के अनुसार कार्ड नहीं मिल पाते, जिससे ठीक ढंग से सभी को चीनी नहीं मिल पाती। कहीं 1-2 गांवों को चीनी बंटती है और 2-3 गांव एकदम छूट जाते हैं। अत: खाद्य मन्त्री जी से निवेदन है कि इसकी व्यवस्था करायें। जब मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुयी तो उन्होंने बताया कि सरकार ने कार्ड ही नहीं बांटे और न छापने के ही आदेश आये हैं, इसलिये कार्ड पूरे नहीं हो सकते। इसलिये खाद्य मन्त्री जी से निवेदन है कि देहाती इलाकों में यदि कार्ड ठीक ढंग से नहीं मिलेंगे, तो सबको चीनी बांटना मुश्किल होगा।

मान्यवर, कुछ जगहों में मोटा अनाज के वितरित करने की व्यवस्था की गयी थी। हमारे जिले में 9,000 क्विन्टल मोटा अनाज देहाती इलाकों के लिये दिया गया लेकिन एक दाना भी नहीं बटा। जितने व्यापारी थे और सस्ते गल्ले के दूकानों के होल्डर थे, उन्होंने पूरे गल्ले को ब्लैक कर दिया। हमने, और गिरजाशंकर पाठक जी ने इस सम्बन्ध में जब प्रश्न किया तो बताया गया कि 9,000 क्विन्टल गल्ला दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसमें एक दाना भी नहीं बांटा गया।

चीनी के वितरण के सवाल के बारें में कई सदस्यों ने कहा कि चीनी का वितरण ठीक नहीं है। मान्यवर, इस सरकार के सामने दो तरह के नागरिक हैं। शहर के नागरिक नं0 (1) के नागरिक हैं और देहात के लोग नम्बर 2 के नागरिक हैं और इसलिये शहर में प्रति यूनिट एक किलो शकर दी जाती है और देहात में प्रति परिवार 700 ग्राम या आधा किलो शकर दी जाती है। मान्यवर, यह कैसा विरोधाभास है कि गन्ना किसान पैदा करें और शकर दी जाय शहर वालों को। गेहूं किसान पैदा करे, और सस्ता गल्ला वितरित किया जाय शहर वालों को। इस सरकार के राज्य में जो पैदा करे, वह खाने का हकदार नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां कारपेट बनते हैं। इस काम में करीब डेढ़ लाख मजदूर काम में लगा है, जिनको 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये प्रति दिन से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती। लेकिन उन मजदूरों के लिये सस्ते गल्ले की कोई व्यवस्था नहीं। शहरों में एक हजार के कम तनख्वाह पाने वालों को सस्ता गल्ला देते हैं लेकिन हमारे एरिया में इन 100 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये पाने वाले मजदूरों को सस्ता गल्ला देने की कोई व्यवस्था नहीं। कारपेट से हमारी तहसील से इस सरकार को और पूरे देश को करीब 30 करोड़ देशी और विदेशी मुद्रा मिलती है। पूरे देश का फारेन इक्सचेंज 60 करोड़ है और अकेले एक ही तहसील में उसका आधा यानी 30 करोड़ फारेन इक्सचेंज देता है। लेकिन यहां के गरीब मजदूरों के लिये दिन भर काम करने के बाद पेट भारने के लिये भोजन भरपेट नहीं मिल पाता। न तो उन्हें पूरी चीनी मिलती है और सस्ता गल्ला और न दवा दारू। अगर उनको भरपेट भोजन दिया जाय तो शायद उस एरिया की और ज्यादा उन्नति कारपेट की ही हो क्योंकि अगर मजदूर दिन भर मजदूरी करने के बाद भरपेट भोजन नहीं पावेंगे, तो कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकेंगे।

जहां तक गेहूं का सवाल है, परसाल 105 रुपये क्विन्टल गेहूं लिया गया था। इस वर्ष जबकि बिजली के भाव बढ़ गये खाद के भाव दूने हो गये, हर चीज के भाव बढ़ गये हैं, फिर भी बावजूद इन सब बातों के, गेहूं का भाव 105 रुपये प्रति क्विन्टल रखा गया है जबकि सरकार किसान को गेहूं का बीज बोने के लिये ढाई रुपये क्विन्टल के हिसाब से देती है। सरकार के आंकड़े हैं कि कृषि फार्म में जो गेहूं पैदा होता है, उसकी लागत 135 रुपये प्रति क्विन्टल है। 175 रुपये क्विन्टल बाहर का गेहूं आता है। तो क्या वजह है कि देहात के लोगों से गेहूं 105 रुपये क्विन्टल के हिसाब के लिया जायेगा। इसका क्या तर्क है? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी माननीय खाद्य मन्त्री जी शहरी इलाके के ही रहने वाली हैं और इसीलिये उनको नहीं मालूम कि हमारा किसान किस तरह खून-पसीना एक करके गेहूं पैदा करता है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, कि माननीय खाद्य मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कह सकूं। यह जो खाद्य एवं रसद विभाग है यह बना भी इसीलिये है कि जिन वस्तुओं का अभाव हो उनका वितरण इस प्रकार से किया जाय कि जो कमजोर वर्ग हैं उसे वे वस्तुयें नियन्त्रित मूल्य पर मिल सकें। हमारा यह भी पुनीत कर्तव्य है कि हम तुलना करें पिछले वर्ष से इस वर्ष का कि क्या प्रगति हुई और इस विभाग ने कौन से कदम उठाये जिनसे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाये। पिछले वर्ष जब चुनाव ...

(इस समय 1 बजकर 41 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा, पीठासीन हुये।)

हुआ और सब चीजों का अभाव था जैसे गल्ले, मिट्टी के तेल, चीनी, साबुन तथा डालडा आदि का तो विरोधी पार्टी के लोग यह कहते थे चुनाव के समय कि प्रदेश के बाहर से कांग्रेस सरकार सारी सामग्री मंगवा कर सस्ते गल्ले की दूकानों के द्वारा बंटवा रही है और चुनाव ज्यों ही

[श्री देव बहादुर सिंह]

खत्म होगा ये सब चीजें मिलने वाली नहीं हैं लेकिन आज खुशी होगी विरोधी दल को यह जान कर कि आज किसी की वस्तु भी कमी नहीं है और भगवान की कृपा से खाद्यान्न की भी कमी नहीं है (व्यवधान) यह सही है कि बारिश न हो उस पर हमारा भाग्य कुछ न कुछ तो निर्भर करता ही है। पिछले साल जब रसायनिक खाद की अच्छी व्यवस्था भी थी और बारिश नहीं हुई थी तो जो हमारा लक्ष्य खाद्य उत्पादन का था उसे पूरा नहीं कर सके थे। इस वर्ष महंगा खाद होने के बावजूद और बिजली कम होने के बावजूद जो लक्ष्य हमारा है उससे अधिक उत्पादन होगा। विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्हें निश्चित रूप से धन्यवाद देना होगा कि सारी चीजें हमें उपलब्ध होने लगी। सहकारिता के माध्यम से, जो सामग्री उपलब्ध होती है उसका वितरण हम करायेंगे और आशा है कि जो कमियां हैं वे दूर हो सकेंगी।

पर्वतीय अंचल के बारे में भी मैं दो शब्द कह देना चाहता हूं। इस प्रदेश में बहुत से ऐसे अंचल हैं जहां खाद्यान्न एवं उपभोक्ताओं की वस्तुयें पहुंचानी पड़ती हैं क्योंकि निश्चित रूप से वे डेफिसिट एरिया हैं। मेरा सुझाव है कि वहां भंडार गृह बनाने की कृपा की जाय जिसमें सारी सामग्री वहां एकत्रित की जा सके और वहीं से उचित समय से वितरिन कराया जा सके। इससे वहां के लोगों को काफी सुविधा मिल सकेगी। कई बार इसकी चर्चा होती है कहीं सूखा अथवा बाढ़ का प्रकोप हुआ। ऐसी स्थिति में जवाब यह दिया जाता है कि सामग्री वहां भेजी जा रही है। मेरा निवेदन है कि जब निश्चित रूप के सामग्री पर्वतीय अंचल में भेजनी ही है तो फिर समय से पूर्व ही क्यों न भेज दें। आये दिन वहां परिवहन की कठिनाई डीजल की कमी से पड़ती रहती है जिससे पूर्ति व्यवस्था टूट जाती है लिहाजा मेरी मांग यह है कि पहले ही से वहां क्यों न सामग्री की व्यवस्था कर दी जाय? वहां इसकी व्यवस्था की जाय ताकि समुचित मात्रा में गेहूं, चावल, आटा, मिट्टी का तेल आदि का वितरण हो सके, सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराया जायेगा इसके लिये भी माननीय मन्त्री जी ने व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि सस्ते कपड़े की हम काफी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें कि जो कपड़ा आता है वह घटिया किस्म का कपड़ा आता है और वही कपड़ा गरीबों पर लाद दिया जाता है। यह नहीं होना चाहिये। इसे लोगों में असंतोष होता जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर वे विचार करने की कृपा करें।

लेवी के बारे में यहां पर बहुत चर्चा की गई और कहा गया कि बाजार भाव 105 रुपये क्विन्टल गेहूं की कीमत निर्धारित की गई है जिसे बढ़ना चाहिये। लेवी के एक अंश की कीमत 105 रुपये रखी गई है। कहीं वह 15 प्रतिशत वसूल की जायेगी, कहीं 50 प्रतिशत और कहीं 60 प्रतिशत तक होगी। अगर 105 रुपये क्विन्टल से अधिक होगा तो उसका लाभ किसान उठायेगा और 50-60 प्रतिशत क्विन्टल गेहूं वह खुले बाजार में बेचेगा। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में बताया कि 3 रुपया ढुलाई के रूप में दिया जा रहा है और बाकी यह प्रयास किया जा रहा है कि सीमेन्ट चीनी, सस्ता कपड़ा, लोहा, टिन की चादरें, बैलगाड़ियों के टायर आदि उपलब्ध कराये जायं? मैं मानता हूं कि जो हमारी क्षति होगी उसकी पूर्ति माननीय मन्त्री जी करेंगी और उससे किसानों को संतोष होगा। मैं यह भी मानता हूं कि पिछले वर्ष गड़बड़ हुई थी। मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो इस वर्ष परचेजिंग सेन्टर्स हैं वहीं पर एक दूसरी दुकान भी लगायी जाय

जिसमें ये सारी चीजें लोगों को उपलब्ध कराई जायं तभी लोगों में संतोष की भावना आयेगी। विरोधी पार्टियों का प्रयास यह है कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति लेवी के विरोध से उन को है। लेकिन यह होने वाला नहीं है! अब बाजार भाव 115 रुपये हो गया है और 110 तथा 108 रुपये तक होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री देव बहादुर सिंह—

एक मिनट सिर्फ और लूंगा। तो माननीय मन्त्री जी ने 10 लाख टन का जो आपका लक्ष्य रखा है उससे अधिक गेहूं लेवी का प्राप्त होगा और इससे काफी परेशानी दूर हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

सिर्फ 5 मिनट का मौका मुझे आप दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि अभी कटौती के समर्थन में माननीय राज ब्रजराज सिंह जी को बोलना है और 25 मिनट खाद्य मन्त्री जी को बोलना है। इसलिये मुश्किल है, समय नहीं है।

*राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

मान्यवर, मुझे आधे घंटे का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

35 मिनट आप बोल चुके और ढाई बजे इसको समाप्त होना है इसी बीच आपको बोलना है।... आप शुरू करें।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

25 मिनट दिये जायं। मान्यवर, खाद्य एवं पोषक-आहार के विषय पर वाद-विवाद हुआ और दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त किये। मुझे खुशी हुई कि हमारे अधिकांश कांग्रेसी विधायकगण जो सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, उन्होंने भी बहुत से मुद्दों पर दबी हुई जबान से सरकार की आलोचना की है कि वितरण प्रणाली ठीक नहीं है? बहुत सी चीजें इसके अन्तर्गत ऐसी हैं जिनसे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उनकी जांच करने में सरकार सक्षम नहीं रही है? इसके साथ ही साथ दोनों पक्षों के अधिकांश लोगों ने केवल एक-दो को छोड़कर गेहूं के भाव के विषय पर कहा कि उसका भाव कम है जिसे उत्पादन को देखते हुये बढ़ना चाहिये। सबसे पहले देव बहादुर ने वितरण प्रणाली का समर्थन किया।

मान्यवर केवल श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्सी को छोड़कर सभी ने सरकार की योजना की खाद्य एवं पोषक आहार की आलोचना की। श्रीमती बक्सी ने तो केवल इन्दिरा गांधी की जै जै कार की और डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेई की सराहना की और महिलाओं की बातें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज ब्रजराज सिंह]

कहीं लेकिन वह विषय पर कम बोलीं। दूसरे माननीय सदस्यों ने चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों सभी ने कहा कि गेहूं के भाव कम हैं और इस पर विचार किया जाय। मान्यवर हमारी पार्टी सिद्धान्ततया इसका विरोध करती है लेवी प्रणाली का ही नहीं बल्कि हर प्रकार के कन्ट्रोल का हमारी पार्टी विरोध करती है। लेकिन सरकार इस चीज को स्वीकार करती है कि कन्ट्रोल तब लगता है जब किसी चीज का अभाव हो या कमी हो। तो एक तरफ सरकार घोषणा करती है कि बड़ी अच्छी पैदावार है और उनकी जो रिपोर्ट आती है वह भी खाद्यान्न के बारे में यही होती है? दूसरी तरफ कृषि आयोग की रिपोर्ट भी आती है और आपके शिंदे साहब भी ऐलान करते हैं कि गेहूं का इस साल कीर्तिमान उत्पादन हो रहा है। फिर भी आप लेवी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप विदेशों से गल्ला मंगा रहे हैं। अगर फसल अच्छी है तो फिर क्या आवश्यकता है। आठ लाख टन विदेशों के आपने मंगाया है और शायद 40 लाख टन और मंगाने का इरादा रखते हैं। तो यह दोनों बातें अपने आप विरोधभास करती हैं। मान्यवर कन्ट्रोल किसी चीज की जब कमी होती है या उसके ज्यादा ऊंचे भाव हो रहे हैं, या अभाव हो रहा है तो कन्ट्रोल होना चाहिये। जब अभाव नहीं है, काफी अनाज आपके स्टाक में है और बाहर स्थिति खराब नहीं है फिर भी आप लेवी लगाने का इरादा रखते हैं तो फिर तो काश्तकारों का आप शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं इसलिये कि वह हर प्रकार के आपके चंगुल में रहें उनसे आप गेहूं वसूल करें।

आपने स्वीकार किया है कि गेहूं के भाव कम हैं। आपने कहा कि हम बड़े काश्तकारों से, मध्यम श्रेणी के काश्तकारों से बहुत कम अंश में केवल 15 परसेंट और 20 परसेंट लेवी लेंगे बाकी ज्यादा मूल्य में बेचने के लिये छूट देंगे जिससे कि वह अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर सके। मान्यवर यह आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि कृषि के जो उपकरण हैं उनके दाम पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत बढ़ गये हैं फिर भी भाव आपने जो पिछले वर्ष था वही 105 रुपये रखा। आप कहते हैं जो आपके पास बेचेंगे उनको अधिक सुविधायें देंगे। पिछले वर्ष भी इसी तरह से किया गया कि शकर, सीमेन्ट और डालडा और दूसरी चीजों का वितरण मान्यवर किया था। तो पिछले वर्ष का अनुभव बताता है कि आप गेहूं के ब्लैक को रोकने के लिये और चार-पांच चीजों का ब्लैक करवा रहे हैं। मेरा सरकार पर चार्ज है कि एक चीज की ब्लैक रोकने के लिये चार-पांच चीजों में ब्लैक करा रहे हैं।

काश्तकार जो झोपड़ी में रहता है, जो कच्चे मकान में रहता है वह सीमेन्ट लेकर क्या करेगा आप उसको गेहूं के बदले सीमेंट देंगे वह उसको सिवाय ब्लैक में बेचने के और क्या करेगा। इसी तरह से डिजल की बात है जिसके पास ट्यूबवेल नहीं है वह डिजल से क्या करेगा सिवाय ब्लैक में बेचने के और कुछ नहीं करेगा। पिछले वर्ष भी मन्त्री जी ने आदेश भेजे थे मैं लखीमपुर खीरी की बात कहता हूं और जगह भी वही हालत है। आपने सीमेन्ट, डिजल, मिट्टी का तेल या डालडा या जो दूसरी आवश्यक जीवन यापन की वस्तुयें हैं उनको गेहूं के बदले में देने के लिये कहा तो उसमें यहां तक हुआ कि जो माहवारी कोटा था वह भी नहीं मिला। दुकानों को दो-दो महीने तक सप्लाई रोके रखी। तो गांवों के अन्दर दरिद्रता के कारण कीड़े-मकोड़े की तरह लोग जीवन यापन करते रहे।

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या 67 48– खाद्य तथा पोषाहार, अनुदान संख्या 43–सामान्य आर्थिक सेवायें तथा अनुदान संख्या 78---खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय

मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि यह सरकार ने पिछले वर्ष आदेश दिया कि एक बोरी गेहूं लेकर एक बोरी सीमेंट देंगे, एक बोरी गल्ले में ढाई मीटर कपड़ा। एक बोरा पर एक पीपा मिट्टी का तेल और 10 लीटर डीजेल दिया गया। यही शायद आप इस वर्ष भी प्राविधान करेंगे। पिछले वर्ष भी मान गये थे।

मान्यवर, मुझे एक शिकायत है आपसे, पिछले वर्ष की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो टाईप होती हैं यानी आपकी विधान सभा की जो कार्यवाही होती है वह तारीख 17 तक की प्रकाशित हो चुकी है और 18 तारीख की जिसमें खाद्य मन्त्री का वक्तव्य है, वह आज तक प्रकाशित नहीं हुई है। इसलिये उसको हम कैसे जानेंगे। पिछले वर्ष जो घोषणायें हुई हैं, उनको पूरा करने में सरकार कहां तक सक्षम हुई है या नहीं हुई है---यह सब हम कैसे उसके बिना जान सकते हैं। आपके कार्यवाही विभाग में उस तारीख की पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मैंने सरकार पर इस चीज का आरोप पिछले वर्ष भी लगाया था और अब फिर कहता हूं कि यह सरकार एक चीज का ब्लैक रोकने के लिये 4-4, 5-5 चीजों का ब्लैक करा रही है। आपने कहा था कि हम गेहूं का दाम अवश्य कम दे रहे हैं, लेकिन जो वस्तुयें सस्ते में दे रहे हैं, उनका मूल्य ज्यादा है, इसलिये किसानों को कोई घाटा नहीं होगा। शायद यही वह इस वर्ष भी करेगी। मेरी समझ में नहीं आता है कि घुमाकर नाक पकड़ने का क्या फायदा है।

कृषि उत्पादन में बढ़ते हुये व्यय को देखते हुये, पिछले वर्ष की अपेक्षा जो कृषि संसाधनों में वृद्धि हुई है तथा हर वस्तु में वृद्धि हुई है---क्या कपड़ा क्या सीमेंट, आप उनको न्यायसंगत मूल्य दीजिये और उनके साथ न्याय कीजिये। मैं नहीं समझता कि आप इसका जवाब देने में सक्षम होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा यह कहेंगी कि दाम बढ़ाना कृषि मूल्य आयोग के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो आपका कोई दोष नहीं है और आप इस पर खेद ही व्यक्त कर सकती हैं कि आपकी इच्छा होते हुये भी और कनविंस्ड होते हुये भी आप इसके मूल्य बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। आप यह बताइये कि इसका भाव बढ़ाना चाहिये या नहीं। इसलिये नहीं कि पैदावार अच्छी हो गई है और विदेशों से आयात गल्ला दिया जायगा। विदेशों से जो आपने गल्ला मंगाया वह मिल गया, भीख आपको मिल गई। लेकिन पिछले वर्ष का अनुभव बताता है वह विदेशी गेहूं लाल था और जिसको खाकर अनेक लोग बीमार पड़े। इसके बारे में नियम 56 में भी चर्चा हुई और आपने उत्तर भी दिया। जो किसान पीला गेहूं पैदा करता है वह 105 रुपये के काबिल है और जो लाल है वह 145 के भाव के काबिल है, यह कहां की समझ है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दोनेरिया (जिला आगरा)---

क्या आप यह नहीं समझते हैं कि यदि लेवी हट जाये तो किसान का गेहूं 80 रुपये मन बिकेगा और व्यापारी फायदा उठायेंगे और किसान नुकसान उठायेगा।

श्री राज ब्रजराज सिंह–

यह चीज भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कन्ट्रोल जब-जब हटा है, चीजें सस्ती हुई हैं। डालडा पर से नियन्त्रण हटा, वह 12 रुपये से 10 रुपये में आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समय का ध्यान रखें।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

हमें तो अभी बहुत बोलना है, हमें अभी समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इसीलिये कह रहा हूं आप समय का ध्यान रखें। एक चीज के बार-बार पुनरावृत्ति करने से कोई फायदा नहीं। ढाई बजे यह सब अनुदान पास हो जाने हैं और अभी मन्त्री जी भी बोलेगी। यह सम्भव नहीं होगा कि आप बोल लें और मन्त्री जी को समय न दिया जाये। इसलिये आप व्यर्थ समय नष्ट न करें।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

10 मिनट का समय और दे दीजिये। आपके रफी अहमद किदवाई साहब कन्ट्रोल के खिलाफ थे और उन्होंने कन्ट्रोल हटाया मान्यवर, विदेशी लाल गेहूं खाने से परेशानी होती है। देशी गेहूं अच्छा होता है इसलिये सस्ता लिया जाये और विदेशी गेहूं खराब होता है फिर भी महंगा लिया जाये। यह कैसी बिडम्बना है। आप लाल गेहूं खिलाकर लोगों को लाल करना चाहते हैं तो बात दूसरी है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यदि आप चाहते है कि गेहूं का भाव नीचा न हो तो आप काश्तकार के लिये गेहूं की सपोर्ट प्राइस 125 रुपया या 130 रुपये प्रति क्विन्टल फिक्स कर दीजिये। लेवी के द्वारा काश्तकार का गेहूं लिया जाना कोई औचित्य नहीं है।

आप वितरण की बात कहते हैं। आपने शहर में 25 लाख कार्ड होल्डर्स की व्यवस्था की है और आपने 80 प्रतिशत गांव में रहने वाली गरीब जनता की जिसके पास दो जून खाने को नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं की है? आप उनको गेहूं न खिलायें लेकिन मोटे अनाज की तो व्यवस्था कर दीजिये? आप अपनी जिस मशीनरी से काम लेंगे उसके बारे में अर्ज कर दूं और मैं इस सम्बन्ध में डेली ऐक्शन दिनांक 12 अप्रैल, 1975 की रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि —

"Union Minister of State for Industry and Civil supplies Sri B. P. Maurya said here today that a large number of people in India were living below poverty line because of the defective distribution system."

माननीय चन्द्रजीत यादव जो उस समय खाद्य मन्त्री थे उन्होंने स्वयं कहा है कि सरकार की मशीनरी सक्षम नहीं है कि वह सही ढंग से इसको चला सके। आप स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं वह भी आसान नहीं है। आपको अच्छी मशीनरी बनानी पड़ेगी। वह आपके पास नहीं है। आपकी मशीनरी की हालत यह है फिर भी आप इस तरह की बाते करते हैं। आपने व्यापारियों से समझौता किया लेकिन वह सफल नहीं हुआ। फिर आपने किसान से गेहूं लेना शुरू किया वह भी सफल नहीं हुआ। आपने स्वयं कहा है कि आपके अधिकांश अधिकारी शिथिल हैं और अयोग्य है। आपने दस राजपत्रित अधिकारियों को निलम्बित किया, 12 राजपत्रित अधिकारियों को अनिवार्य सेवा से निवृत किया, 4 राजपत्रित अधिकारियों को प्रत्यावर्तित किया। 143 अराजपत्रित कर्मचारियों को निलम्बित किया, 19 को अनिवार्य सेवा से निवृत्त किया, 23 को प्रत्यावर्तित किया,

82 अस्थाई कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कीं। आप स्वयं स्वीकार करते हैं और दोनों सदनों में इस पर बहस हुई और आरोप लगाये गये। मैं निवेदन करूंगा कि आप उन आरोपों की विशेष रूप से जांच करायें और दोषी अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दें जो आपके प्रदेश में एक उदाहरण हो।

सब से पहले मैं निवेदन करूंगा कि आज जो शहर और ग्रामों में भेद चल रहा है वह समाप्त होना चाहिये। शकर, मिट्टी का तेल शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से वितरित करें। शकर गांवों में प्रति परिवार केवल एक किलो देते हैं और शहरों में एक किलो प्रति यूनिट देते हैं गांव वाले पैदा भी करना जानते हैं, तो खाना भी जानते हैं और उनका मौलिक अधिकार और आपका नैतिक दायित्व भी है। आप गेहूं के बजाय आटा जो वितरित करते हैं, इसको रोक दें। आटे में चूना और अन्य चीज पिसी हुई मिली रहती हैं। आप उसके बजाय गेहूं वितरित करें। गेहूं के भाव निर्धारित करें। गेहूं की किस्म के ऊपर आप गेहूं के भाव निर्धारित करें। यदि गेहूं अच्छे किस्म का है, तो उसका दूसरा भाव रखें और यदि गेहूं खराब किस्म का है तो उसका भाव आप दूसरा रखें। हम लोगों को अनुभव है कि लोग लाइन लगाते हैं, दूकानों पर, कभी डालडा ले आते हैं, कभी शुगर ले आते हैं।

मान्यवर, आवश्यक वस्तुओं के अन्दर जो भी सामान उनको मिलना है, उनको एक समय पर दिलाने की व्यवस्था करें। आप जो एलाटमेंट दूकानों का करते हैं, आप एलाटमेंट उन व्यक्तियों के नाम करते हैं, जो सोर्स लाते हैं या जो पैसे देते हैं। एलाटमेंट करते समय देख लें कि उसके पास पूंजी है कि नहीं, क्योंकि अधिक लाइसेंसी दूसरे होते हैं और दूकान दूसरे चलाते हैं। 10 पैसे प्रति किलो आप उनको कमीशन देते हैं, लिहाजा वे दूकानदार बेईमानी करते हैं, आप उनको कमीशन अधिक दीजिये जिससे वे अपनी दूकान का खर्च निकाल सकें। आप एलाटमेंट के लिये समिति नियुक्त कर दें जिसमें विधायक को भी आप उसमें रखें। जो दूकानों पर कपड़ा मिलता है, उसमें 3-4 मीटर कपड़े मिलते हैं। अब 3-4 मीटर में उसका कोई भी काम नहीं हो सकता है।

मान्यवर, यह सब जो हमने सुझाव दिये हैं, मुझे आशा है कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे। अंतिम बार मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि जो लोग खुशी से सरकार को 105 रुपये में गेहूं देना चाहें उनसे आप गेहूं लें, जोर-जुल्म को आप त्याग दें, अन्यथा इस प्रदेश के अन्दर एक ऐसी आंधी आयेगी, जिससे कि आपकी सरकार टिकेगी नहीं और आपका तख्ता पलट जायगा। मान्यवर, जो लेखपाल होते हैं, वे आजकल किसानों को परेशान करते हैं। मान्यवर, जो रकबा बोया भी नहीं गया था, उस पर लेवी ली जा रही है। मान्यवर, आप इसकी इन्क्वायरी करा लें और साथ ही साथ आर्डर्स भी भेज दें कि जितना रकबा लोगों ने बोया है, उसी पर लेवी ली जाय।

आपसे मेरा निवेदन है कि आप गेहूं की रिकवरी छोटे किसानों से न करें। आप छोटे काश्तकारों पर रहम करें। मेरा निवेदन है कि 2 हैक्टर तक के जो किसान हैं उनको गेहूं की लेवी से मुक्त कर दें। आप लेवी प्रणाली को दुबारा विचार कर लें। किसान जो खुशी से दे वही लें, अन्यथा इसके भयंकर परिणाम होंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अभी आपके खाद्य आयुक्त ने आदेश निकाला है कि जितने मिट्टी के तेल के लाइसेंस थे सबका एग्रीमेंट भराया जायेगा। हमारे जिले में लगभग 1770 दुकानें हैं। उनका वेरीफिकेशन होगा। उसके बारे में भी आप कह दें।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इधर के और उधर के माननीय सभी सदस्यों की बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने खाद्य के सिलसिले में अपने सुझाव दिये हैं। मैं विशेष रूपसे उधर के माननीय सदस्य श्री भगवती सिंह और रावत जी की भी आभारी हूं जिन्होंने व्यक्तिगत तरीके से कुछ शब्द भी कहे, साथ ही साथ उन माननीय सदस्यों की भी आभारी हूं जिन्होंने हमारे विभाग की प्रशंसा की।

उत्तर प्रदेश में खाद्य की स्थिति और वितरण की प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाया गया है उसका सभी ने समर्थन किया है। मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है और जिन बातों को कहा गया है उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी, सभी का उत्तर देना तो सम्भव नहीं होगा। क्योंकि समय बहुत ही कम है।

मैं इस सम्बन्ध में दो तीन बातें कहना चाहती हूं, एक तो मौलिक रूप से भिन्नता इस बात की है कि हमारी खाद्य नीति क्या हो हमारे दल की नीति और भारतीय जनसंघ के दल की नीति में मौलिक अन्तर है। हमारा समाजवादी व्यवस्था पर विश्वास करने वाला दल है। हम एक दाम नीति पर, हम एक रैगुलेटेड इकोनामी पर विश्वास करते हैं और आगे आने वाले जमाने में जो कमजोर वर्ग है जिसको जिन्दा रखने के लिये इतना अधिक चर्चा होती है चाहे वह शहर के हों या देहात के मेहनतकश मजदूर हों, जिनको खरीद कर खाना पड़ता है। जितनी आवश्यकता की वस्तुयें हैं उनकी व्यवस्था करना हमारा परम कर्तव्य है। जो हमारा कान्स्टीट्यूशन है, वह कहता है कि जिसके अन्दर नीति निदेशक तत्व हैं जो स्टेट के आवश्यक कर्तव्य हैं। उन वर्गों के लिये जिनकी जिम्मेदारी सरकार पर है उनकी हम उचित व्यवस्था करें।

हमारे जनसंघ के माननीय सदस्य ने इशारा किया कि बाजार को खुला छोड़ दिया जाये इसका मतलब यह है कि हम व्यापारियों की मरसी पर जनता को छोड़ दें। हमें तो एक निश्चित व्यवस्था करनी है। उसी व्यवस्था के तहत हमारी भारत सरकार ने पिछले तीन वर्ष में जो दाम नीति घोषित की है यह उसी का एक हिस्सा है। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो मोनोपोली परचेज की तो असफल हुए। पिछले वर्ष ट्रेंडर्स लेवी की उसमें फेल हुए और इस बार किसानों के ऊपर लेवी लगा रहे हैं, इसमें भी असफल होने जा रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि मनुष्य अनुभव से ही सीखता है और उससे जो सीखा है, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाया है, प्रोड्यूसर्स लेवी का इस प्रदेश की जनता और प्रदेश के किसानों की मदद से पूरी सफलता मिलने वाली है? मैं ऐसा समझती हूं कि माननीय सदस्य उस दृष्टिकोण को अपनाने में असमर्थ रहे जो हमारी सरकार लेकर चलना चाहती है।

लेवी के सिलसिले में मैं स्पष्ट कर दूं कि हम किस प्रकार से लेवी लगा रहे हैं और उससे कितने कम लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह कहना कि गांवों के लोगों के या सारे किसानों से अनाज ले लेकर हम केवल शहर में रहने वालों को खिलाते हैं। शहर में निवास

करने वालों के लिये ही सारी चीजें कर रहे हैं और गांव वालों की उपेक्षा करते हैं, यह बात भी तथ्यों से परे है। जो लेवी स्कीम हमने लगाई है वह होल्डिंग के दृष्टिकोण से लगाई है और होल्डिंग में भी जितने एरिया में गेहूं बोया गया है। हमारे प्रदेश में 3 1/8 की होल्डिंग वाले किसानों की संख्या 1,15,72,552 है जो कि हमारी गेहूं की रबी की पैदावार में 72.4 प्रतिशत आती है। 3 1/8 से लेकर 6 1/4 एकड़ तक एरिया की होल्डिंग की कुल संख्या 27,09,466 आती है जो कि केवल 17 प्रतिशत है। और 6 1/4 एकड़ से 12 1/2 एकड़ वाली होल्डिंग की संख्या 11,95,872 है जो कि 7.4 होती है और 12 1/2 एकड़ से 20 एकड़ तक की कुल संख्या 3,59,694 आती है जो कि 2.2 प्रतिशत पड़ती है तथा जो 20 एकड़ के अधिक की होल्डिंग हैं, वे 1,50,210 हैं जो कि केवल 1 प्रतिशत हैं। तो इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि सरकार ने जो ग्रेडेड लेवी लगाई है, वह किस परसेन्टेज से है। 1 प्रतिशत 20 एकड़ से अधिक आती है। उनसे 60 प्रतिशत लेवी हम लेंगे और 40 प्रतिशत उनके लिये छोड़ देंगे? इस प्रकार से 2.2 जो 12 1/2 से अधिक के किसान हैं उनसे भी हम जो लेवी लेंगे उसमें भी हम काफी छोड़ देंगे। 60 प्रतिशत छोड़ रहे हैं, 40 प्रतिशत ही ले रहे हैं। जो 6 1/4 से 12 1/2 एकड़ वाली होल्डिंग्स के किसान हैं, उनसे केवल 25 प्रतिशत ही ले रहे हैं, 75 प्रतिशत उनके लिये छोड़ देंगे और जो 3 1/4 से 6 1/4 एकड़ के किसान हैं, उनसे केवल 15 प्रतिशत ही ले रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अनाज की पैदावार कम हो रही है। ये जो आंकड़े दिये हैं वे भी गलत है। भारत वर्ष और उत्तर प्रदेश में पैदावार बढ़ी है। यह कहना कि यहां पर हरित क्रान्ति नहीं हुई है, यह भी सही नहीं है। पिछले 4 वर्षों के आंकड़े मेरे पास हैं। केवल 1970-71 ही वर्ष था जब कि 61 लाख टन की पैदावार हुई। इसके अगले वर्ष में हर साल लगभग 75 लाख टन अनाज, केवल गेहूं की पैदावार रही और इस वर्ष भी आंकड़े बता रहे हैं कि विन्टर रेन्स होने की वजह से और सरकार ने जो बिजली देने की पूरी कोशिश की उसकी वजह से पैदावार 75 लाख टन से बढ़कर 77 लाख टन होने जा रही है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को सूखा ही सूखा दिखायी पड़ता है और किसानों का या इस राज्य की जनता का मनोबल गिराने के लिये अभाव की स्थिति ही देखना चाहते हैं और कह रहे हैं कि बम्पर क्राप नहीं है तो बात दूसरी है। सरकार के अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जा कर काम कर रहे हैं। अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार पिछले वर्ष जो गेहूं लोगों ने ज्यादा कीमत पर बेचा था आज फसल अच्छी होने की वजह के पुराना गेहूं लोग निकाल रहे हैं और प्रात: काल वित्त मन्त्री जी ने बताया कि उनके क्षेत्र से उनके एक विश्वस्त कार्यकर्ता ने समाचार दिया है कि जसपुर की मन्डी में कल 100 रुपये क्विन्टल तक गेहूं बिका। मुरादाबाद में जो इन्टीरियर देहात में पैंठ होती है वहां भी 100 रुपये क्विन्टल तक गेहूं के भाव आ गये।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री हरि केवल के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।) पहले मेरी बात सुनें। आप बैठें, पहले मेरी बात सुनें। इनका कुछ भी नहीं लिखा जायगा। (श्री हरि केवल के बैठ जाने पर।) नियम यह है कि जब कोई बात आप कहना चाहें तो पीठासीन अधिकारी

[श्री उपाध्यक्ष]
से स्वीकृति लें, इसके बाद ही आप कुछ कह सकते हैं। यहां कोई परेड के बाजार में नहीं है कि जब मन चाहा खड़े होकर बोलने लगे। पहले आप स्वीकृति लें उसके बाद ही कुछ कहें।

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)--

आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से कुछ सफाई जानना चाहता हूं। जो सूचना मन्त्री जी को प्राप्त हुई है कि 100 रुपये क्विन्टल गेहूं बाजारों में आ गया और वह पिछला गेहूं है, मन्त्री जी ने लेवी कितने लोगों पर लगायी इसका सवाल नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष--

भाषण नहीं ?

श्री हरि केवल--

मन्त्री जी ने जो दाम नीति तय की है वह क्या है, इस सदन में वह स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो भाषण में आप कह चुके हैं। बैठिये। (श्री राम निहोर के खड़े होने पर।) आप बैठने की कृपा करें। केवल 5 मिनट रह गये हैं कटौती के प्रस्ताव पर मत लेने में।

श्री राम निहोर (जिला वाराणसी)--

एक एकड़ में कितनी खाद पड़ती है। मन्त्री जी शहर की रहने वाली हैं, खेती कैसे होती है, इनको पता नहीं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

सरकार की दाम नीति बहुत स्पष्ट है। सरकार ने 105 रुपये क्विन्टल गेहूं का दाम निर्धारित किया है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित हुआ है। और यह हमारी सपोर्ट प्राइस है। इसके नीचे हमारी सरकार कीमत गिरने नहीं देगी और इसीलिये हमने विभागीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि पूरे सूबे में लेवी के अतिरिक्त जगह-जगह क्रय केन्द्र खोले जायं जहां लेवी के अतिरिक्त किसान आ कर गल्ला बेचेगा जिससे किसानों को 105 रुपये से कम न मिले। और जो आज माननीय सदस्य आलू के सिलसिले में कह रहे थे या लाही और सरसों की जो बात उठी थी कि उसकी भी कीमत आधी हो गयी, और किसान परेशान हो रहा है तो मैं आपके और इस सदन के माध्यम से प्रदेश के किसानों को यह आश्वासन दूंगी कि हमारी सरकार गेहू के दाम को 105 रुपये क्विन्टल से नीचे नहीं गिरने देगी।

इसके अतिरिक्त भी किसान की सहूलियत की जो अन्य चीजें हैं, जैसे सीमेन्ट है, डीजल है, चीनी है, कपड़ा है, यह सब भी हम उन किसानों को देंगे जो हमारे केन्द्र पर आकर गेहूं देंगे। लेवी के अतिरिक्त भी जो बेचेंगे उनको भी यह सहूलियतें दी जायेंगी। हम किसानों को लुटने नहीं देंगे कीमत कम करके। हमने व्यापारियों को मार्केट में रहने दिया है। हो सकता है लोग कोशिश करें और किसान के माल को कम कीमत पर खरीदें, इसीलिये हमने अन्य क्रय-केन्द्र खोलने का निश्चय किया है ताकि जो कर्जदार किसान हैं उससे व्यापारी कम दामों पर गेहूं खरीदने की कोशिश न करें। इस तरह हम किसानों को वे सारी सहूलियतें देंगे जो उनके इनपुट्स के लिये जरूरी हैं।

एक बात माननीय हरि केवल प्रसाद जी ने कही कि मैंने दो दूकानें अपने दस्तखत से रिकमन्ड कीं। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि आज तक प्रदेश भर में किसी भी जगह कोई दूकान मैंने अपने दस्तखत से रिकमन्ड करके नहीं दी है, जो सूचना उनकी है वह गलत है।

कल श्री विद्याशंकर जी ने वाराणसी के ए0 डी0 एम0 व डी0 एस0 ओ0 के जिक्र करते हुये एक लाख रुपये के गल्ले के मिस एप्रोप्रिएशन की बात कही थी। इसके लिये मैंने फौरन जांच करने के आदेश दे दिये हैं। जैसा कि मैंने कल बताया, हमारे विभाग की यह नीति है और मेरी भी यह नीति है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बरदाश्त नहीं किया जायेगा, चाहे वह छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो। जो कल आंकड़े हमने दिये उससे स्पष्ट है कि किस तरह से हमने सख्त कार्यवाही से काम लिया है। (व्यवधान) देहात में ज्यादा से ज्यादा तेल वितरित हो सके इसके लिये भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस समय मिट्टी के तेल का वितरण जो एक लीटर या दो लीटर है उसे भी बढ़ाने की बात है चूंकि आज हमें तेल ज्यादा मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यों को जो शंका समाधान करनी हो वे माननीया मन्त्री जी के कमरे में जाकर कर सकते हैं। अब समय नहीं है। इसे समाप्त करना है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

(व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं आशा करती हूं यह सदन इन अनुदानों को स्वीकार करेगा।

एक सदस्य--

पिछले साल के किसानों का पैसा अभी तक नहीं मिला है (व्यवधान)।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब बैठने की कृपा करें? राज ब्रजराज सिंह जी आप कृपया नियमों को जानिये। आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री राज ब्रजराज सिंह--

मैं माननीया मन्त्री जी से दो एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठें। काम करने के लिये कुछ नियम बने हुये हैं और उनसे आप बंधे हुए हैं। पहले आप नियम के अनुसार बोलना सीखें। आप कृपा करके बैठें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48--खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,23,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43-सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,17,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78--खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,83,33,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 52--वन अनुदान संख्या 65--पर्यटन, अनुदान संख्या 80--वनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 85--पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा वन मन्त्री को पुकारने पर तथा वन मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

आप आपत्ति को सुनेंगे या व्यवस्था के प्रश्न को सुनेंगे? माननीय वन मन्त्री ने तो अभी बोलना शुरू भी नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था का प्रश्न सुना जा सकता है न। यह सही है कि माननीय मन्त्री जी ने अभी बोलने की शुरुआत भी नहीं की, फिर आपकी क्या आपत्ति है ?

श्री मोती लाल देहलवी---

वन मन्त्री जी अनुदान पेश करना चाहते हैं उस पर मुझे आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी यह आपत्ति कोई आपत्ति नहीं है। माननीय मन्त्री जी को बोलने दें। (व्यवधान)।

माननीय देहलवी जी, पहले जो नियम बने हुये हैं उनके अन्दर आप थोड़ा बोलना सीखिये। मैंने वन मन्त्री जी को बुलाया और वे खड़े हुये। उनके बोलने के पहले ही आपने आपत्ति पेश कर दी। मेरा तात्पर्य यह है कि हम नियम के अन्दर बंधे हुए हैं। माननीय वन मन्त्री जब बोल लें, फिर आप आपत्ति करें। (व्यवधान) मैं आपकी व्यवस्था को रूल आउट करता हूं। आप माननीय वन मन्त्री जी को बोलने दें।

वन एवं पर्यटन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52---वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,38,22,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65---पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,08,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89---वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85---पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, वन और पर्यटन के अनुदान को रखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि वन द्वारा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने प्रदेश में एक बहुत ही आवश्यक कार्य होता है जैसे वर्षा और बहुत सी चीजों की जरूरतें वन से पूरी होती हैं। आप लोगों को यह भी

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

मालूम है कि वनों का क्षेत्रफल हमारे प्रदेश में बहुत कम है। हमारे प्रदेश में कुल वनों का क्षेत्रफल 50,150 वर्ग किलोमीटर है। इससे यह जरूरी है कि हम लोगों का प्रयास हो कि वनों का क्षेत्रफल और बढ़ाया जाय। जैसा कि आप जानते हैं वनों के अलावा हमारे पास ऊसर, बंजर जमीन बहुत गांवों के पास पड़ी है जिनमें वन लगाये जा सकते हैं। अब हमारे शासन ने तय किया है कि जो इस तरीके की जमीनें गांवों के पास पड़ी हुयी हैं और जिन पर वन लग सकते हैं, तो उन पर वन लगाये जायं। इसीलिये शासन ने इस कार्य के लिये 1 करोड़ रुपये की स्कीम बनाकर केन्द्र को भेजी है और आशा है की जाती है कि अगर वहां से अनुमति मिल जायगी तो अगले वर्षों में इन क्षेत्रों में हम जल्दी से जल्दी वन लगा सकेंगे।

इस बर्ष थोड़ा सा एक्सपेरीमेंटल तरीके से कुछ जिलों में जो खाली जमीनें पड़ीं थी वहां वन लगाने का प्रयास किया गया है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वहां के लोगों ने इसको बहुत अच्छा कहा और अपना योगदान देने के लिये वहां के लोग तैयार हैं। आशा की जाती है कि बहुत जल्दी यह स्कीम कामयाब हुयी तो उसकी वजह से जो गांवों में बहुत सी जमीनें पड़ी हैं वहां पर और वन लगाये जायेंगे। इन वनों से जलाने की लकड़ी गांव वालों को मिलेगी जो उनके जलाने के काम आयेगी। इस तरह से जो गांव वाले गोबर को जलाने में इस्तेमाल करते हैं वह बचेगा और खाद के काम आयेगा जिससे कृषि का उत्पादन, ज्यादा उपज हो सकेगी। इस तरह के जो जंगल लग रहे हैं आप लोगों को मालूम होगा कि 1973-74 तक करीब 1,26,695 हेक्टेयर भूमि पर आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण किया गया है। इसके अलावा 1,20,729 हेक्टेयर भूमि पर शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण किया गया है।

इस तरह से वृक्षारोपण जो किया जाता था वहां पहले जमीन बड़े-बड़े ठेकेदारों को बृक्षारोपण के लिये दी जाती थी। तीन साल के लिये काश्त के लिये देते थे और वह वृक्षारोपण करते थे। परन्तु अब सरकार ने निर्णय किया है कि छोटे-छोटे जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है अगर वह इस तरीके से काश्त करना चाहते हों तो 3-4 साल के लिये उनको जमीन दी जा सकती है और वह वहां पर आकर यह कार्य कर सकते हैं। उससे उनका भी फायदा होगा और वृक्षारोपण भी अच्छे तरीके से हो पायेगा।

श्रीमन्, इस तरीके से पहाड़ों पर पंचायती वनों के कार्यकलापों से बड़ी क्षति हुई है। इसलिये इस साल पंचायती बनों के वहां पर 4 डिवीजन कायम किये हैं और बन विभाग के निरीक्षण में वहां पेड़ लगाये जायेंगे। गांवों के पास जो जमीन खाली पड़ी है वहां वृक्षारोपण किया जायेगा। इस तरीके से जो बन खराब होते चले जा रहे थे उनका अच्छा इन्तजाम हो सकेगा। पहाड़ के जो रहने वाले हैं उनके दिल या दिमाग में यदि यह चीज आये कि इससे वहां बन विभाग का कब्जा हो जायेगा तो मैं उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि वहां बन विभाग का कब्जा होने वाली कोई बात नहीं है। उनके हक वैसे ही कायम रहेंगे।

मान्यवर, पहाड़ों पर पहले नीलामी बड़े-बड़े लाटों की होती थी लेकिन इस साल छोटे-छोटे लाटों का इन्तजाम किया है और उससे स्थानीय छोटे- लोगों को काफी फायदा हुआ है और उन्होंने काफी लाटें खरीदी हैं।

श्रीमन्, पहाड़ों पर लीसा टिपान से नुकसान होता था इसलिये टिहरी वृत्त में हिमाचल पद्धति को बन्द कर दिया है और अब वृक्षों को नुकसान नहीं होगा। इस वर्ष, पहले हिमाचल पद्धति से काम होता था उसमें नुकसान हुआ है, उन लोगों पर आठ गुना जुर्माना करके वसूल किया गया है? इस तरह से पेड़ों की हानि धीरे-धीरे खत्म हो जायेगी। इसके अलावा मान्यवर, वहां और चरागाहों का इन्तजाम कर रहे हैं।

श्रीमन्, जैसा कि पहले बताया कि मैदानी क्षेत्र में जो वृक्षारोपण करते थे उसमें अब सहकारी समितियों को भाग लेने के लिये कह दिया है। वहां इस प्रकार इस साल करीब 12 टुकड़े लकड़ी के ठेके के सहकारी समितियों को ठेके पर दिया गया है, 23 लीसे की ठेके का और एक तेन्दू पत्ते का ठेका सहकारी समिति को दिया गया है।

मान्यवर, और भी बातें जो पहाड़ों के लिये कही जाती हैं जिनसे वहां के लोगों को नुकसान होता था उनको दूर किया गया है। जो पंचायती रूल बने थे उनको हमने लागू कर दिया है, खासतौर से, टिहरी वृत्त में। पहले जो लागू थे उनमें थोड़ा भेद भाव था तो उसके लिये एक कमेटी बनायी गयी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती रूल भी लागू कर दिये गये हैं।

एक और चीज कहना चाहता हूं कि पहाड़ों पर जो पैकिंग केसेज बनते थे, तो वहां लकड़ी नहीं उपलब्ध होती थी। इस वर्ष पैकिंग और छोटे उद्योग जैसे माचिस के लिये लकड़ी वहां के लोगों को हम काम के लिये देंगे।

मान्यवर, एक और बात कही जाती थी कि पल्प बना कर नीचे भेजें तो पल्प बनाने की जितनी इकाइयां आयी वह अनइकोनामिकल रही हैं। इसलिये एक कमेटी बनायी है जिसमें फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट के पेपर व पल्प के इन्चार्ज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी। इस कमेटी में प्रदेश के पेपर टेकनालोजी के स्कूल के प्रिंसिपल व खादी कमीशन के पेपर के जो विशेषज्ञ हैं, इनकी एक कमेटी बनाकर इसमें उनकी संस्तुति मांगी गई है और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी कि पेपर पल्प की कोई यूनिट लग सकती है, तो हम उसके लिये विचार करेंगे।

श्रीमन्, जैसा आपको मालूम है कि इस वर्ष वन निगम की स्थापना हुई है और इसकी स्थापना इसलिये की गई है ताकि जो ठेकेदारी प्रथा हमारे यहां प्रचलित थी उसको समाप्त किया जाय और इस तरह से जो फायदा ठेकेदार को होता था वह हमको होगा और अनियमितता भी जो हुआ करती थी वह भी नहीं होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि धीरे-धीरे वन निगम जो कार्य करेगा उससे हमारे प्रदेश को लाभ पहुंचेगा। पहाड़ों में टेहरी में और मैदानी क्षेत्र में गोंडा और पीलीभीत में कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

श्रीमन्, वन लगाने की एक और योजना बनाई जा रही है और उसमें जो स्कूलों के विद्यार्थी हैं उनका भी योगदान होगा। पहाड़ों पर इस सम्बन्ध में एक बड़ी स्कीम बनाई जा रही है कि जितने भी स्कूल हैं और उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं तथा अध्यापक हैं, वह सब मिलकर वृक्षारोपण करने में हाथ बंटायेंगे। मैदानी क्षेत्रों में भी एक-दो जिलों में यह स्कीम चलाई जा रही है जिसमें स्कूलों और गांव समाज के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोग भी भाग लेंगे और वन लगाने का प्रयास किया जायेगा।

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

जहां तक जंगली जानवरों के सम्बन्ध में बात है, आपको मालूम ही है कि एक ऐक्ट पास हो चुका है जो हमारे रिजर्व फारेस्ट हैं उनमें जो जानवर हैं उनका मारना बन्द कर दिया गया है, लेकिन साथ-साथ कुछ ऐसे जानवर हैं जो काश्तकारों के खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिये छूट दे दी गई है। गोंडा और गोरखपुर में कुछ जंगली गायें हैं जिनसे खेतों को अधिक नुकसान होता है। पहले नियम यह था कि ठेके पर उन गायों को पकड़वा लिया जाता था। होता यह था कि ठेकेदार उन गायों को पकड़ता था और जो अच्छी गायें हुआ करती थीं उनको पकड़ लेता और बाकी को छोड़ देता था। इसलिये अब यह प्रयास किया गया है कि अगर उनमें गांव वालों का सहयोग मिलेगा तो हमें बहुत कामयाबी होगी।

जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हमारी आबादी बहुत बढ़ी चली जा रही है और लोगों की निगाह ज्यादातर जमीन की ओर लगी हुई है, इस कारण जमीन का एन्क्रोचमेंट बढ़ता चला जा रहा है। इसको रोकने के लिये और नाजायज कटान रोकने के लिये इस वर्ष 3 पुलिस के दस्ते कायम किये गये हैं जो इसकी देखभाल करेंगे और अतिक्रमण और नाजायज कटान को रोकेंगे। जो विभाग द्वारा पुस्तिका वितरित की गई है उसमें सभी कुछ विस्तार से यह बातें दी हुई हैं।

अब थोड़ा सा मैं पर्यटन के बारे में बताना चाहता हूं। अपने प्रदेश में ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनका उद्धार करने के लिये शासन हमेशा कोशिश करता रहा है, लेकिन धनाभाव के कारण अभी उतना कार्य नहीं हो पाया है जितना होना चाहिये था। पर्यटन के लिये मथुरा में टूरिस्ट बैंग्लो बन चुका है और बाकी जगह में जैसे बांदा व चित्रकूट में बन रहा है। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में भी हमारे पास बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनको देखने के लिये बाहर ही से नहीं, देश और प्रदेश से भी लोग आते हैं। वहां पर सिर्फ रहने की सुविधा ठीक करनी है और धीरे-धीरे उसे कर रहे हैं। जैसा कि इधर दो-तीन वर्षों में देखा गया होगा पर्यटन काफी बढ़ा है और मुझे विश्वास है आगे भी और बढ़ेगा। श्रीमन् इन चन्द शब्दों के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य अच्छे-अच्छे सुझाव इन दोनों विभागों के बारे में देंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री उपाध्यक्ष––

15 मिनट में ही समाप्त करें, क्योंकि यह पांच बजे तक हो जाना है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ––

माननीय उपाध्यक्ष जी, समय थोड़ा है लेकिन यह मामला बहुत गम्भीर भी है और प्रदेश के हित के लायक भी है। मैं आपके आदेश का पालन करते हुये बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी ने इस विभाग को बहुत पहले से संभाला है और इसमें प्रगति के लक्ष्य और विकास के लिये जो धनराशि लगायी उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। उत्तरोत्तर इसमें अवनति होती गयी है और असुविधायें बढ़ती गयी हैं। मन्त्री जी ने अभी-अभी कहा कि कुछ जमीनें गांव समाज की हमें लेनी है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जमीनें जहां तक मुझे मालूम है ऐसी हैं जिन पर गांव के गरीब लोगों का कब्जा है। अगर आप उनको उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो आगे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात मन्त्री जी ने कहा कि बनों का प्रसारण होगा। मैंने एक पत्र मुख्य मन्त्री जी को लिखा था। ऊसर जमीनों के विषय में उन्होंने कहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिये अनाज की पैदावार बढ़ाने का मेरा उद्देश्य है। मैं नहीं समझ पाता कि अनेक मन्त्रि-गण अनेक बात करके किस दिशा में जाना चाहते हैं। मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी की नीति का पालन होगा या वन नीति का पालन होगा। प्रदेशीय सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय। कुटीर उद्योगों को काफी बचत की जमीन दी जा रही है। इससे ऐसा लगता है कि आप वनों के विकास में सक्षम नहीं होंगे।

मैं सर्वप्रथम इस विभाग के जो सचिव हैं श्री एन0 पी0 त्रिपाठी ऐसे कि साहबजादे की कहानी बताना चाहता हूं। मुख्य अरण्यपाल के मकान में फरवरी, 1974 से रहते रहे हैं और इन्होंने विभाग से कुछ लेश मात्र कर्जा लेकर चांदगंज में मकान बनवाया। मालूम हुआ है कि वह उस बंगले से 15,000 रुपये प्रति माह की आमदनी कमा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि सचिव महोदय ने करीब 500 एकड़ जमीन सुरक्षा विभाग को दे दी और सिताली की जमीन को वापस लेना था, जिसको वापस नहीं लिया। इस तरह से जमीन के मामले में भी काफी घपला किया गया है।

दूसरी बात यह है कि अरण्यपाल जो होते हैं, वे कई हैं। 14 वृत्त हैं। उनमें से कुछ के मुकाबिले में सीनियर रहे हैं, लेकिन अधिकांश से ये जूनियर रहे हैं और इन्होंने 15 दिसम्बर, 1974 को मुझे बताया गया, एक गढ़वाली परिवार में शादी करके मुख्य मंत्री जी के काफी निकट हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करें। वह यह बतायें कि अगर मान लिया जाय, वह मन्त्री होते, तो क्या करते ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब वन विभाग के सचिव इस तरह का कार्य करेंगे, जो कि शासन की नीतियों का परिपालन करने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं कि सरकार अपने लक्ष्य में सफल हो सकेगी।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

उपाध्यक्ष जी, मेरी सलाह यह है कि विरोधी दल के लोग अब से बताया करेंगे कि किस लड़की की शादी किससे हो। तब गड़बड़ नहीं होनी चाहिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मुख्य अरण्यपाल इनसे सीनियर हैं और कुछ दूसरे अरण्यपाल भी इनसे सीनियर हैं। लेकिन उनको सचिव न बनाकर, इनको सचिव क्यों बनाया गया?

मान्यवर, वन निगम बनने जा रहा है। मुझे पता चला कि उन्हें उसमें चेयरमैन बनाया जा रहा है, जबकि होना यह चाहिये कि शासन मुख्य अरण्यपाल को ही चेयरमैन बनायें।

मान्यवर, अब मुख्य मन्त्री समझ गये होंगे कि इनके विषय में कितनी शिकायतें हैं। वैसे 7 प्वाइन्ट्स हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं बोलूंगा लिखकर दे दूंगा।

वन मन्त्री जी ने कहा कि वन आच्छादित भूमि बहुत कम है जबकि ख्याल यह है कि यह करीब 13 से 17 प्रतिशत तक हो सकती है। पहाड़ों पर भी यह 60-65 प्रतिशत के आस-पास बैठती है। यह माना गया है कि वन सम्पदा होते हुये भी यह वन आमदनी के स्रोत हैं। पहाड़ों पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जिनसे हमारा व्यापार होता है। लीसा प्राप्त होता है। लीसा के लिये सरकार ने उसमें ऐसा कर रखा था कि सरकारी आदमी होते थे, वे पैसा स्वयं वसूल करके उस पैसे को अपने पास रखते थे और सरकार के पास जमा करने की तिथि के अन्दर नहीं देते थे, इस तरह से लीसे के व्यापार में बड़ी धांधली हुयी है।

तेंदू की पत्ती, जिसका राष्ट्रीयकरण हो गया है, मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने ठेकेदारी की प्रथा को तोड़ा है जिसके कारण काफी भ्रष्टाचार था। माननीय मन्त्री जी का यह कदम साहसपूर्ण है लेकिन ठेकेदारी को तोड़ने के बाद निगम को कितना फायदा होगा इसे भविष्य में देखना होगा। बरेली में अल्मोड़ा, गढ़वाल की ओर से प्राप्त सामग्री से जो कारखाना चलता है वैसा ही कारखाना अब अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में भी सरकार बनवा दे ताकि वहां के लोगों की भी बेकारी की समस्या हल हो सके। मेरा यह भी अनुरोध है कि जो औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं वे अधिकांशतः घाटे पर चल रही हैं। इसका कारण यह है कि उनमें कुछ ऐसे कीटाणु घुस गये हैं जो एक जगह वर्षों तक रह कर वहां उन्होंने अपनी आमदनी का स्रोत बना लिया है। इस की सर्वे कराने की आवश्यकता है।

एक चीज यह है कि जंगलों में कुछ ऐसी जातियां रहती हैं जिनकी सुविधा के लिये कुछ व्यवस्था कर रखी है। उन जातियों में टांकिया जाति है जो वनों में पेड़ लगाने का काम करती है लेकिन आज तक उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बार-बार इस सदन में चर्चा की गयी लिहाजा माननीय वन मन्त्री उस टांकिया जाति के लिये कुछ साधन मुहइया करेंगे।

इस जंगल विभाग के कुछ पेड़ पी0 डब्ल्यू0 डी0 से सम्बद्ध होते हैं और वह विभाग कहीं कहीं अपने मनमाने ढंग से पेड़ कटवा लेता है। इसके लिये एक नियम बना हुआ है कि जंगल से दो चार फर्लांग की दूरी पर जो मकान होते हैं उनमें रहने वाले लोग जंगलों की रक्षा के एवज में पी0 डी0 (P. D.) राइट्स के अन्तर्गत लकड़ी पाते हैं लेकिन आजकल होता यह है कि अधिकारी वर्ग अपने मित्रों को, सम्बन्धियों को ये पेड़

दे देते हैं और गांव वालों से जिनको लकड़ी लेने का राइट है उनसे एक-एक पेड़ के सैकड़ों रुपये ले लिये जाते हैं। गोरखपुर में पी0 डी0 के अन्तर्गत पेड़ों की सप्लाई हुई है और वहां जंगल के इर्द-गिर्द रहने वाले समुदाय को बहुत हानि हुई है। यह भी हुआ कि जो पेड़ काटने लायक नहीं थे उन पर मार्क लगा कर काफी मात्रा में पेड़ काट दिये गये उनको अफसर ने ले लिये हैं।

जो आपके रिजर्व वन हैं उनके किनारे-किनारे खाई बनवा दी जायं क्योंकि उनसे निकल कर जानवर पास की खेती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कोई उन जानवरों को मार सकता नहीं क्योंकि अगर कोई मारता है तो उस पर हजार-हजार रुपया जुर्माना हो जाता है। माननीय मन्त्री जी मेरे इन सुझावों की ओर ध्यान देंगे। कई बार कमेटीज भी इन सब चीजों के सम्बन्ध में बनीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दीं। इसके अलावा पी0 एस0 लोकनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी जिसने 65 में रिपोर्ट दी। आप नई-नई कमेटीज तो बनाते हैं लेकिन जो संस्तुतियां आज तक शासन को प्राप्त हो चुकी हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान संक्षेप में पर्यटन की ओर भी दिलाऊंगा। यह भी एक उद्योग है जो आज कल चमत्कारिक रूप से बढ़ रहा है और लगभग 20 प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष यहां आ रही है। इस उद्योग से सरकार अर्जित कर रही है लेकिन खेद की बात है कि इन पर्यटकों के लिये सरकार न रहने की व्यवस्था करती है और न पर्यटक स्थान पर शैयाओं की ही व्यवस्था करती है। नतीजा यह होता है कि पर्यटक जो आता है वह दूसरे लोगों के यहां टिकता है और सरकार को काफी आर्थिक हानि होती है, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

लखनऊ शहर के बारे में भी कहना चाहूंगा कि यहां का चिड़िया घर और अजायब घर लेशमात्र भी नहीं रह गया है। लखनऊ नगर आपके नाम पर रो रहा है। अधिकांशत: सभी जिलों के लिये पर्यटक गृहों की योजना बनायी हुई है। पश्चिमी जिलों में मेरठ जैसे शहर में विशेष ध्यान इस ओर नहीं दिया गया है जब कि वह जिला स्वतन्त्रता संग्राम के समय में काफी अग्रणी रहा है। इसके बाद मैं मन्त्री जी का ध्यान गोरखपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शासक पक्ष के श्री वीर बहादुर सिंह जब डिप्टी मिनिस्टर थे उन्होंने रामगढ़ ताल में पर्यटकों के लिये बड़े-बड़े विभागाध्यक्षों को बुलाकर जिसमें चीफ इन्जीनियर, स्टेट प्लानर्स आदि थे, एक योजना बनायी थी। वहां पर सारनाथ आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर कि विदेशों से लोग आते हैं। अत: इस स्थान को आकर्षक बनाने के लिये आवश्यक था कि पर्यटक विभाग योजना बनाये और वह बनायी गई लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर कुसमी एक स्थान है वहां पर छोटे-छोटे हट बनाने की योजना थी किन्तु उस ओर भी अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार के अधीन जो निर्माण कार्य अभी अवशेष पड़े हुये हैं जहां पर पर्यटकों के ठहरने, खाने-पीने आदि की व्यवस्था नहीं की गई है, उसे पूरा कराया जाय। पर्यटकों को विशेष सुविधा दी जाय। इससे हमें विदेशी मुद्रा अधिक मिलेगी और विदेशी व्यापार में हम आगे बढ़ सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कटौती का प्रस्ताव पेश करने का अवसर दिया।

कुमारी रमा पन्त (जिला अल्मोड़ा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय वन तथा पर्यटक मन्त्री द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक के समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। मान्यवर, यह सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का जंगलों से भावात्मक सम्बन्ध है। जंगल वहां के जन जीवन के लिये अनिवार्य हैं। जंगलों से ही वहां के पानी स्रोत जीवित रहते हैं, साथ ही भूस्खलन को भी रोकते हैं, पशुओं को चारा मिलता है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, कृषि से सम्बन्धित औजार बनाने के लिये लकड़ी प्राप्त होती है। साथ ही यह भी सत्य है कि विगत अनेक वर्षों से हमारे जंगलों का बुरी तरह से विनाश हो रहा है। मुख्य कारण वन विभाग की दोषपूर्ण पद्धति है। खास तौर से लीसा जिस तरह वहां से निकाला जाता है उससे और जो कटान होता है उससे वन-विनाश को बढ़ावा मिला है।

इस सम्बन्ध में स्टार पेपर मिल का मैं उल्लेख करना आवश्यक समझती हूं। मान्यवर, अक्तूबर, 1961 में इस पेपर मिल के साथ सरकार ने 20 साल का अनुबन्ध किया है। ट्विस्टेड चीड़ के कटान का अनुबन्ध इस मिल के साथ किया गया है लेकिन इस ट्विस्टेड चीड़ के नाम पर इस मिल ने पूरे वन को ही ट्विस्ट कर लिया है। इस सम्बन्ध में चर्चा करते हुये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि जो वनीकरण की योजना उन्होंने बनायी है, जो कार्य क्रम निर्धारित किया गया है उसको तेज से तेजतर करें।

जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया पर्वतीय क्षेत्रों का सम्बन्ध जंगलों से भावात्मक होता है इसलिये वहां का छात्र एवं युवा वर्ग इस योजना को सफल बनाने के लिये सहर्ष सरकार के हाथ बटाने के लिये तैयार है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त वन के सम्बन्ध में मैं दो-एक बातें रचनात्मक सुझाव के रूप में रखना चाहती हूं। जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने भी कहा, एक वन निगम की स्थापना की गई है। सरकार की जो यह योजना है वह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इससे एक ओर हमारे जंगलों की व्यवस्था ठीक होगी। आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि उससे दूसरी ओर वनों का विनाश रुकेगा और जो हमारी फारेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और दूसरे उद्योगों को बढ़ावा मिलने के कारण हमारे यहां जो बेरोजगारी है उसके निराकरण में भी सफलता मिलेगी।

मान्यवर, हमारे यहां जैसा कि आपको ज्ञात है और आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो दो यूनिवर्सिटीज गढ़वाल और कुमाऊं खोली गई हैं वहां पर विद्यार्थियों के लिये वनों एवं कृषि सम्बन्धी विषय खोले जायं जिस पर कि विचार भी हो रहा है। तो जब इस प्रकार शिक्षा लेकर वहां के विद्यार्थी निकलेंगे जो स्थानीय विषयों के सम्बन्ध में शिक्षा ग्रहण किये हुये हैं तो फिर वह वहां पर वनों पर आधारित उद्योग विकसित करेंगे। क्योंकि वहां पर लोगों में, विद्यार्थियों में, वन विकास की बड़ी आकांक्षा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां पर इस तरह के उद्योग स्थापित हो सकेंगे और जो विद्यार्थी इन विषयों को पढ़ कर निकलेंगे उनको रोजगार के साथ-साथ पहाड़ों की सेवा करने का भी मौका मिलेगा।

मान्यवर, पहाड़ों के सन्दर्भ में मैं एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करूंगी। जिसका सम्बन्ध वन विभाग से है हमारे यहां वन पंचायतें हैं और जिलों की बात तो मैं

नहीं कह सकती हूं लेकिन मेरे जिले में वन विभाग से इन पंचायतों को जो रॉयल्टी का पैसा मिलता था वह 5 साल से नहीं मिला है। यह वन पंचायतों का रुपया जो है अभी तक 5 साल से ग्राम सभाओं के कोष में नहीं जमा हुआ है। जिससे कि वह विकास का कार्य करते थे। तो उसका नतीजा यह है कि ग्राम सभायें काम नहीं कर पा रही हैं और इसके लिये अलग-अलग ग्राम सभाओं ने जिलाधीश के पास आकर और कई बार प्रार्थना-पत्र देकर ध्यान दिलाया है। वहां पर विकास का कार्य अवरुद्ध हो गया है। तो मैं यह कहना चाहती हूं आपके माध्यम से कि वह जो 5 साल से रॉयल्टी ग्राम सभाओं को नहीं मिली है उसके बारे में पता लगाया जाय कि कहां पर रुकावट है, क्यों नहीं पैसा मिल रहा है? उनको यह पैसा दिलाया जाय ताकि जो काम रुके हुए हैं वह आगे बढ़ सकें।

मान्यवर, मैंने कहना तो बहुत था लेकिन समय कम है। अब मैं पर्यटन के बारे में भी कहूंगी। पर्यटन के लिये पर्वतीय क्षेत्र एक नैसर्गिक और कलात्मक स्थान रखते हैं उसमें बहुत काम करना है, बहुत सी मंजिलें तय करनी हैं। जब एक-एक मंजिल तय हो जायेगी तो हमारे पहाड़ों का विकास हो सकेगा और वह ऊंचे उठ सकेंगे। जब वहां पर सभी साधन पर्यटकों को मिल जायेंगे तो वह भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां आयेंगे इससे हमें विदेशी मुद्रा भी हासिल होगी।

पर्यटन और फारेस्ट पर चर्चा करते हुये मेरा कहना है कि जैसे टूरिस्ट कम्प्लेक्स काफी बन गये हैं जैसे कालका है, कौशानी है, उसी तरह कालका फ्लैलरा में द्रोणागिरी हैं। वहा पर स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई। एक जगह पांडुखोला है वहां से 10-15 किलोमीटर कौशानी है और इसके बीच में बहुत सुन्दर जंगल है। वन विभाग इसकी जांच करवाये। उसमें भी जिम कारबेट नेश्नल पार्क जो हल्द्वानी के पास है उसी तरह की सेंचुरी की स्थापना की जाय तो वह एक बहुत सुन्दर पर्यटन स्थल बन सकता है। तो इन शब्दों के साथ मैं वन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत पर्यटन और वन विभाग की मांगों का समर्थन करते हुये आपका आभार प्रकट करती हूं।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, राजा साहब का यह बजट है और बड़े शान से यहां पर पेश हुआ है तो उसका समर्थन और विरोध भी शान से ही होना चाहिये। मान्यवर, आपका जो पर्यटन विभाग है उसकी बहुत महत्ता है। पर्यटन विभाग का मैं विशेष स्थान समझता हूं। और उस दृष्टि से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपना महत्व रखते हैं। अभी तक क्या होता रहा है, वह यह होता रहा है कि हमारा पर्यटन विभाग केवल इस मुद्दे पर सीमित था कि विदेशी अतिथि आते हैं हर की पैड़ी में घुसकर विभिन्न स्थानों को देखते हैं, इसलिये जो जब विदेशी वहां जाए तो एक अच्छा इम्प्रेशन ले जाये। उनकी आवश्यकताओं को देखकर आपने पर्यटन विभाग का विकास किया।

इसके अतिरिक्त एक दूसरा दृष्टिकोण आपका और होना चाहिये। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी भूमि नहीं है, जिसके साथ एक इतिहास न जुड़ा हो। गोंडा जिले में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुमारी रमा पन्त]

1857 की लड़ाई में देवीबख्श सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी, उसका इतिहास के पन्नों में नाम आता है। इतिहास के पन्नों में तो नाम दिया गया, लेकिन सरकार के पन्नों में उसका अभी तक नाम नहीं आया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 27 साल बाद भी, स्वतन्त्रता संग्राम के उस अमर सेनानी की पुण्य स्मृति में उनकी जन्मभूमि में कोई निर्माण न हो सके, यह सरकार के माथे पर कलंक का टीका है। गोंडा नगर में वह स्थान है, जहां उन्होंने मन्दिर बनवाया और निवास किया, किन्तु वह स्थान सरकार की उपेक्षा से आज कूड़ाघर बना हुआ है। राजा साहब ने भी उसे देखा होगा।

पर्यटन विभाग की जितनी आमदनी होती है, वह इनकी पुस्तिका में दिया हुआ है और उसी में पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है कि पर्यटन विकास एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इसके माध्यम से बिना किसी एक्सपोर्ट किये विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अब आप देखें कितनी अर्जित होती है। सन् 1972 में 3,42,950 विदेशी पर्यटक भारत आये; सन् 1973 में इनकी संख्या बढ़कर 4,09,895 हो गई। ऐसे ही उत्तरोत्तर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आमदनी देखें, सन् 1972 में 48.3 करोड़ और 1973 में 70.6 करोड़। तो इतने रुपयों की आमदनी बिना कुछ खर्च किये हुए, बिना कुछ दिये हुये विदेशों से हमको प्राप्त होती है। इसके विपरीत इस पर हमारा विभाग खर्च क्या करता है, यह आप देखें—कहीं 12 लाख, कहीं 23 लाख और कहीं 24 लाख। मैं जानना चाहता हूं कि इससे इतनी शुद्ध आय आपके प्रदेश को होती रही है, उसके लिये आप रिटर्न क्या दे रहे हैं विदेशियों के लिये या प्रदेश के रहने वालों के लिये?

हमारा जिला एक ऐसा जिला है, जिसका चप्पा-चप्पा ऋषियों, महा ऋषियों और साहित्यकारों से भरा हुआ है। सन्त तुलसीदास का सूकर क्षेत्र वहां ही मौजूद है। हमारी विधान सभा के अध्यक्ष महोदय वहां गये थे, उन्होंने उसके दर्शन किये। उस भूमि को साहित्यकार देखने के लिये उतावले हो चुके हैं और देखना चाहते हैं कि वह सन्त तुलसीदास की भूमि कैसी है, लेकिन आपके विभाग ने या सरकार ने वहां के लिये जो सड़कें बनाई हैं, उस पर अध्यक्ष जी गये थे, हजारों हचके खा-खा कर उनकी बुद्धि ठिकाने हो गई। इस बारे में मन्त्री जी से भी कहा होगा और आप जायेंगे तो आप भी उसे अनुभव करेंगे और तब शायद आप उसके विषय में विचार करें। सूकर क्षेत्र के विकास के लिये पर्यटक विभाग सोचे और बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आपके ही कर कमलों के द्वारा वहां का उद्घाटन हो जाय। उसको ऐसा आप बनवा दें कि लोगों को लखनऊ से यात्रा करने में मजा आ जाये। जिन साहित्यकारों के पास पैसा कम है, वह भी वहां जाकर सन्त तुलसीदास के चरणों में नतमस्तक हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है, सिर्फ दो मिनट शेष हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अच्छा, अब मैं वन विभाग पर आ रहा हूं। वन विभाग में आपने क्या किया? श्री मिर्धा साहब नेशनल एग्रीकल्चरल कमेटी के चेयरमैन थे। उस कमेटी की रिपोर्ट में यह पाया गया कि कन्जरवेटर सिस्टम को बदल देना चाहिये। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और हमारे यहां उसके अनुसार उसकी स्थापना कर दी।

लेकिन आपका वन विभाग इतनी दुर्गति कर रहा है कि जिसके लिय कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपके ज्ञान में होगा कि बहराइच में जो शीशम के पेड़ थे वे एक ही रात में कैसे काट लिये गये। आपके पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग ने कैसे काट लेने दिये? आज वन की नीति अच्छी नीति है। मैंने जिलाधिकारी का ध्यान दिलाया कि उत्तर प्रदेश में इतनी खाली भूमि क्यों पड़ी है। यहां जंगल लगाकर प्रदेश में उद्योग बढ़ाये जायं। मैंने कहा कि गोन्डा जिले में साखू के वृक्ष लगाये जा सकते हैं। आपके नियोजन विभाग में अधिकारियों की इतनीं बड़ी फौज है। उनके पास कोई काम नहीं है। मैं उनको काम देता हूं। यहां पर साकू के दो लाख पेड़ लगाये जायं। वहां का जिलाधिकारी श्री राजेन्द्र नाथ जब इतने कुयें खुदवा सकता है तो दूसरा जिलाधिकारी इतने पेड़ क्यों नहीं लगा सकता है? मैंने कहा कि आप दो लाख पेड़ लगाइये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह पहले बता दिया होता तो बात दूसरी थी। खैर मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिये। मेरा यह कहना है कि हमारे राजा साहब अक्सर बलरामपुर जाया करते हैं क्योंकि उनको शिकार का बहुत ज्यादा शौक है। जब वह हरे भरे वृक्ष देखते होंगे तो बड़े प्रसन्न होते होंगे। मैं चाहता हूं कि उस प्रसन्नता को वह बनाये रखें। आवश्यकता इस बात की है कि लकड़ी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। आप इन उद्योगों के लिये क्या कर रहे हैं? इनके लिये लकड़ी की आवश्यकता है। आप इसकी बुवाई करायें। हमने देखा है कि बहुत छोटे-छोटे पेड़ थे। अगर राजा साहब जितना समय शिकार में लगाते हैं अगर उतना समय हम पेड़ों में लगायें तो प्रदेश की बहुत तरक्की हो सकती है। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय....,

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको बुलाया नहीं। आप कैसे बोलने लगे?

श्री गोपाल दत्त ओझा—

भारतवर्ष में जितने हमारे यहां प्रदेश हैं उनमें से सब से कम हमारे यहां वन हैं। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.3 प्रतिशत में वन होने चाहिये। पहाड़ों में 60 प्रतिशत और मैदानों में 20 प्रतिशत में वन होने चाहिये। लेकिन देखा गया है कि पहाड़ों में और मैदानों में जंगल कम हैं। हमारे देश में जीवन स्तर बढ़ा

[श्री गोपाल दत्त ओझा]

है और हमारे देश में लकड़ी की खपत भी बढ़ी है लेकिन हमारे प्रदेश में लकड़ी की खपत बहुत कम है। भारतवर्ष में 0.02 प्रतिशत है और हमारे यहां 0.01 प्रतिशत है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वन मन्त्री जी पहले भी इसी काम को करते थे, और हमारे सचिव जो हैं उन्होंने बहुत वर्षों से फारेस्ट विभाग की सेवा की है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी दक्षता से इस विभाग का कार्य सम्भाला है। उन्होंने फारेस्ट विभाग के बारे में बड़ी दिलचस्पी ली है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वन मन्त्री जी ने इस विभाग को लेकर सबसे बड़ा काम फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना की है ? आज तक जंगलों को ठेकेदार बरबाद करते थे, तो यह वन निगम इसलिये बनाया गया है कि इससे कम से कम इक्सप्लायटेशन हो और जो ठेकेदारों की बेरहमी से जंगलों को बरबाद करते थे, उसको रोका जाय। जो जमीनें ऐसी थीं जिससे कि मैदानों में बाढ़ आ रही थी तो उसके लिये उन्होंने पंचवर्षीय योजना में सिविल एवं सोमेम वनों की एक योजना बनाया है कि जंगलों में ताड़ लगाये जायं। जंगलों में चारागाह की व्यवस्था की जाय। हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है, 33.3 परसेन्ट से ज्यादा यहां पर जंगल हों, उसकी पूर्ति के लिये माननीय मन्त्री जी ने प्रयास किया है।

मैं माननीय मन्त्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो शीघ्र पेड़ आने वाले हैं, यूकिलपटस के, पेड़ लगाये गये हैं, जिसके लिये कहा जाता है कि 10 साल के अन्दर वे पेड़ तैयार हो जाते हैं वहां के पर्वतीय क्षेत्र की मांग है कि वहां पर पेपर मिल लगाई जाय, परन्तु आज तक जोकि हमारी 1965-66 में एक प्राक्कलन समिति बनी थी, और उसने इसकी संस्तुति की थी कि वन विभाग किसी ठेकेदार को या किसी उद्योगपति को उस उद्देश्य से दे दिया जाय कि वह पेपर उद्योग की स्थापना करे। मैं आपके माध्यम से माननीय वन मन्त्री जी से कहूंगा कि वहां के लोगों को रोजगार देने के लिये वहां पर जो पेड़ तैयार हैं, वहां पर पेपर मिल की स्थापना शीघ्र कर दी जाय। वहां पर करीब ढाई लाख कुन्टल लीसा, चीड़ से उत्पादन किया जाता है। जो लीसा पैदा होता है उससे 36 किस्म की चीजें बनती हैं। उससे तारपीन का तेल बनता है, रीजन उससे बनता है, वारनिस में भी वह काम आता है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जोकि रोजिन निकाला जा रहा है, जिसकी मात्रा पहले कम थी आज उसकी दुगुनी हो गई है, तो उसके लिये कम से कम एक सूखे पेड़ों से सोल्मेन्ट एक्सेक्टशन प्लान्ट हल्द्वानी में लगाई जाय और लीसा कमेटी को मूल्य निर्धारित करने की ताकत दी जाय।

इस समय 20 करोड़ की कम से कम जंगलात विभाग से आमदनी है पर जंगलों में सड़क नहीं है। वहां पर सौन्दर्य के बहुत से स्थल हैं, ऐसे स्थलों पर कोई भी आफिसर देखने नहीं जाते हैं। हमारे पिथौरागढ़ जिले में 100 मील की दूरी पर जंगलों में कोई सड़क नहीं है और इतनी आमदनी फारेस्ट से होती है। मेरा निवेदन है कि वहां की सड़कों का सुधार किया जाय। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री जी से कहूंगा कि 1911 में फारेस्ट का सेटेलमेंट हुआ। किसी ग्राम को केवल 10 घन फिट लकड़ी मिलती है, किसी को कुछ नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि फारेस्ट का हक निर्धारित किया जाय। पुन: वहां दरों का बन्दोबस्त किया जाय।

मैं माननीय वन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें। कुमायूं और गढ़वाल वालों का जितना वनों से सम्बन्ध रहा है उतना किसी भी क्षेत्र का नहीं रहा है। उनको जलाने के लिये लकड़ी और मकान बनाने के लिये लकड़ी मिलनी चाहिये। अगर उनको लकड़ी नहीं मिलेगी तो असंतोष होगा। मान्यवर, मैं आध मिनट का समय और लूंगा तब अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जड़ी बूटी जो हैं उसकी ओर अभी तक गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। जड़ी बूटी के विकास के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आप इस पर गम्भीरता से सोचें। जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनायी जाती हैं इसके लिये जड़ी बूटी की बड़ी आवश्यकता है। दूसरा निगम बनाया जाय इन शब्दों के साथ मैं माननीय वन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, खासकर जो विधायक हैं उनकी बातों को सुने। मान्यवर, कहनी तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय कम है, सूक्ष्म में मैं अपने विचार रखूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और वन मंत्री जी ने कहा कि वनों को बढ़ाने के लिये बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। आपने आंकड़े दिये हैं कि 1973-74 में 27 करोड़ रुपये की आमदनी वनों से हुई और 1974-75 में 34 करोड़ रुपये की आमदनी सम्भावित है और इनके विकास के लिये सड़कें प्रस्तावित हैं 1974-75 में मैदानी इलाके में केवल 15 किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्र में 19 किलोमीटर 1975-76 के लिये मैदानी भाग में 15 किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिये 10 किलोमीटर। आपने जो अनुदान की मांग की है वह 5 करोड़ 38 लाख रुपये की है और इसी तरह से पूंजीगत मांग 8 करोड़ की है। मैं कहना चाहता हूं अभी तक वनों को राज्य की आमदनी का स्रोत ही समझा गया। लेकिन इनके विकास में पूरे राष्ट्र का हित है। आप उसी नीति पर चलते रहे हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार चली आ रही है। यहां पर बड़ी लूट होती है उसको आप बन्द करें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतों पर उद्योग लगाये जायें और इसके साथ ही साथ जो ठेकेदारी प्रथा है उसको समाप्त किया जाये और जो वहां के मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी मिल सके। वन निगम की स्थापना हो। वन सचिव ने रेडियोग्राम किया, नीलामी से पहले इस बात के आदेश दिये कि नीलाम के जो टेन्डर्स हों, उनमें एक शर्त यह हो कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन क्या होगा। ढुलान का, चिरान का क्या होगा और बहाने का क्या होगा? यह वाकायदा निश्चित कर दिया गया था लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि माननीय मन्त्री जी आपके साथी और आपके नौकरशाही, दोनों मिलकर आपकी इस नीति को लागू नहीं करना चाहते हैं। क्या यह सही नहीं है कि आपने छोटे-छोटे लॉट्स बनाकर टेन्डर्स इन्वाइट करने के लिये नहीं कहा? लेकिन जिस दिन नीलाम होना था उस दिन 9-9 और 4-4 लॉट्स को एक-एक में मिलाकर ठेका दिया गया इसलिये कि बड़े-बड़े मालदार लोग उन लॉट्स को ले सकें और छोटा आदमी उनका मुकाबला न कर सके, उनके सामने बोली न बोल सके।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

हमसे यह भी कहा गया कि छोटे-छोटे लॉट्स इसलिये नहीं बेचे जाते हैं क्योंकि वे एकोनोमिक नहीं बनते हैं क्योंकि जो नालियां बनती हैं, उनका नीलाम नहीं आता है। हमने 4-4 लॉट्स को अगर अलग-अलग बेचा होता तो उससे कई हजार पया ज्यादा आता। 70 हजार रुपया तो उसकी सिक्योरिटी के रूप में जमा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने ऐसा किया, उसके खिलाफ आपने कौन सा कदम उठाया जिसने आपकी और वन विभाग की इजाजत के बिना और चीफ कन्जरवेटर की इजाजत के बिना मौके पर इतने बड़े बड़े लॉट्स में इन जंगलों को बड़े-बड़े ठेकेदारों को बेच दिया? आपने मजदूरी तय की, जो जी0 ओ0 वन सचिव की ओर से गया, वह वापस ले लिया गया। फिर आपके कक्ष में एक मीटिंग हुई जिसमें वन सचिव ने आश्वासन दिया कि 31 मार्च तक जो नया वेतन निर्धारण हुआ है, वह हो जायगा। आज 15 अप्रैल हो गई है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। जब माननीय मन्त्री जी अपना उत्तर दें तो इस बात को स्पष्ट कर दें कि आपने श्रमिकों का जो वेतन मान तय किया था, जो सरकार ने तय किया था, और जिसके बारे में जी0 ओ0 भी इश्यु हो गया था और जिसके लिये टेन्डर्स में एक शर्त भी लगा दी थी, उसकी स्थिति आज क्या है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने वन निगम बना दिया है। एक पर्वतीय विकास निगम और एक वन निगम और तीसरा एक पर्यटन विकास निगम बना दिया है। जंगल का काम वन निगम द्वारा भी देखा जाता है और अब वह पर्वतीय विकास निगम और पर्यटन विकास निगम द्वारा भी देखा जायगा। क्या मखौल है? जितने भी आपके अधिकारीगण रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी भर्ती करके इन निगमों में रखा जा रहा है। इन निगमों में कोई जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। इनमें केवल नौकरशाही की ही भर्ती हो रही है। इन निगमों के बन जाने पर इस सदन का ही कोई अधिकार नहीं रह जायेगा। और निगम वाले मनमाने तौर पर जो चाहेंगे, वह करेंगे। हम तो यहां पर इनके बारे में प्रश्न भी न पूछ सकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप पर्यटन निगम को अपने नीचे ही रखें?

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम वन मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसका रस्मी तौर पर नहीं, जो तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं, विभाग द्वारा और स्टैटिस्टिक डिपार्टमेन्ट के जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, यह आंकडे यह सिद्ध करते हैं कि जबसे इस विभाग का भार मंत्रीजी के कन्धों पर पड़ा है निरन्तर वनों से प्राप्त होने वाली आय बढ़ती जा रही है। माननीय जी ने, जो हमारे पूर्व वक्ता थे, प्रारम्भ में उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। यह आंकड़े हैं जिधर मैं सदन का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं। 60-61 में कुल आय 6,09,114 रुपये थी। 72-73 में इसकी आय 2,46,591 रुपये हो गयी। यह आंकड़े करोड़ में हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

गणित कुछ कमजोर है।

श्री रामायण राय--

गणित कमजोर नहीं है। आपके पाठशाला में तो नहीं पढ़ा था लेकिन जिन गुरुओं ने पढ़ाया 100 में से 99 नम्बर भी कभी नहीं मिले। मैं कह रहा था कि आंकड़े यह सिद्ध

करते हैं कि वनों से होने वाली आय निरन्तर बढ़ती जा रही है। कमियां हैं। हमारे पर्वतीय इलाके के भाई हमको क्षमा करेंगे, उनको ऐसा लगा होगा कि शायद हमने उनका समय लेलिया। आपकी इस कृपा के चलते में एक विशेष बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जिस इलाके से आता हूं आये दिन बाढ़ की चर्चा हुआ करती है, सूखे की चर्चा होती है। जो राष्ट्रीय नीति है वनों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि किसी भी प्रदेश के 35 परसेंट भू-भाग पर वन होने चाहिये। लेकिन वन विभाग द्वारा जो पुस्तिका दी गयी है इसमें स्वीकार किया गया है कि हमारे प्रदेश में कुल 17 प्रतिशत वन हैं और वह भी पर्वतों पर और तराई के इलाके में हैं।

वन मंत्री जी ने अपने शासनकाल में इतना जरूर किया कि राजपथों के दोनों किनारे वनों को लगाने का काम संभवतः वन विभाग को सुपुर्द किया है। मेरा उनसे आग्रह है कि जिस प्रकार राजपथों के दोनों किनारों पर वनों को लगाने का काम उन्होंने वन विभाग को दिया है ठीक उसी तरह से हमारे प्रदेश की नहरों, हमारे प्रदेश की जो छोटी-छोटी नदियां हैं उनके किनारे भी अगर वनों को लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय जो उससे रोजगार भी मिलेगा और साथ ही मौसम को नियन्त्रित करने में बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। ये नहरें 1-2 मील नहीं हैं। (व्यवधान) माननीय त्रिवेणी सहाय जी, आप भी लाभान्वित होंगे। गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सभी लाभान्वित होंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इन नहरों की लम्बाई की तरफ दृष्टिपात करें और विभाग से कम से कम इस वर्ष में सर्वेक्षण करा लें। आपको अतिरिक्त भूमि इस कार्य के लिये नहीं लेनी पड़ेगी। जमीन फालतू पड़ी हुई है।

हमारे साथी दिवेजी जानते हैं, जो नाना प्रकार के नाले हैं छोटे छोटे, झाड़ झंखा पड़े हुये हैं, अगर उन स्थानों पर फलदार वृक्ष और कुछ ऐसे वृक्ष जिनकी लक किसी और काम में लायी जा सके लगाये जांय तो मैं समझता हूं कि उससे प्रदेश की सम्पत्ति का भी विकास होगा साथ ही मौसम के नियन्त्रण पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

मान्यवर, पिछले दिनों बाढ़ की विभीषिका के सिलसिले में मंत्री जी ने ही एक मीटिंग बुलायी थी तो मैंने एक योजना पूरे ब्योरे के साथ उनके सामने रखी थी जिसमें कितनी मील लम्बी नहरें हैं और उनके किनारे वन लगाने से कितनी आमदनी होगी और कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा, उस सबका क्या प्रभाव पड़ेगा आदि पर प्रकाश डाला था और मंत्री जी ने उस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था। मैं उम्मीद करता था कि इस वर्ष वन विभाग द्वारा उस योजना के सर्वेक्षण का काम अवश्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अब मैं पर्यटन विभाग के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जब से माननीय वन मंत्री जी आये हैं तब से पर्यटन विभाग में कुछ प्रगति हुई है। लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरा एरिया बुद्धिस्ट काम्पलेक्स का है जहां तमाम यात्री आते हैं। यात्रियों को जो सुविधायें उपलब्ध होना चाहिये वह हमारे यहां नहीं हैं। जब भी कोई पर्यटक कहीं जाता है तो उसके सामने पहली समस्या होती है कि वह कहां रहे। हर शहर में, प्राइवेट और सरकारी होटल खुले हुये हैं। क्या आपके विभाग के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह यह जानकारी रखे कि किस होटल में कितनी शैय्यायें उपलब्ध हैं? केवल

[श्री रामायण राय]

रहने की जगह की तलाश में ही पर्यटकों का काफी समय और पैसा बरबाद चला जाता है। आपके पर्यटक निवास बने हैं, बगल में होटल भी बने हैं। जब भी कोई पर्यटक आता है यह होटल वाले उसको किस प्रकार लूटते हैं मैं कहना नहीं चाहता। अन्त में पर्यटक विभाग ने जो नयी नीति चलायी है तथा जो प्रगति की है उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हुआ अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री मधुकर दिघे--

वन मंत्री महोदय का शायद हर साल एक काम यह हो गया है कि वे एक बात कह देते हैं कि वन इतने प्रतिशत होना चाहिये। सन् 1960 से लेकर सन् 1975 तक की सभी किताबों को देखने से मुझे यही पता चला कि प्राप्ति कभी १६ प्रतिशत, कभी १७ प्रतिशत, कभी १९ प्रतिशत ही रही। वन मंत्री जी बार बार यहां आश्वासन दें, पर वह पूरा न हो, १५ साल बीतने के बाद भी काम वे न कर पायें, माननीय नेगी जी नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर कम्युनिस्ट कन्ट्री होता तो ऐसा न करने पर वन मंत्री को तो फांसी हो जाती और विभाग के अधिकारियों को साइबेरिया के जंगल में जाना पड़ता।

श्री त्रिवेणी सहाय--

तमाम वन मंत्री चले गये, मगर फांसी आपने दी राजा साहब को ही। (हंसी)

श्री मधुकर दिघे--

मैं वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक लक्ष्य बना लीजिये कि इतने प्रतिशत वन चाहिये, वह लक्ष्य अगर पूरा नहीं होता तो अरण्यपाल से लेकर नीचे तक के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक यह फर्ज अदायगी हो कर रह जायेगी।

दूसरी बात यह कि आप सोचें वन में उत्पादन कितना हो रहा है। उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान में बन उत्पादन जो है वह एक हेक्टेयर में .२२९ क्यू मी० से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है जब कि फ्रांस में ४ क्यू० मी० हेक्टर प्रतिशत और दूसरे स्थानों पर भी इसी के लगभग है। अपने देश में तो १ क्यू० मी० तक भी नहीं पहुंच पाया। जब तक वन नहीं बढ़ता, तब तक वन विभाग में माननीय रामायण राय जी जैसे विद्वान लोग भी स्टेटिक्स पढ़ कर, किताब खोलकर भ्रम में पड़ जायंगे। श्री रामायण राय जी ने बतलाया है कि इस वर्ष २,४६,५९१ आमदनी और पहले ६९ हजार, परन्तु इस वर्ष की जो स्थिति है, आप देखेंगे तो वह ६० हजार ही है। आमदनी बढ़ी है या घटी है, यह तो देख नहीं सके। तो श्री रामायण राय जी जैसे हमारे दोस्त इस पूरे स्टैटिक्स में इसी तरह से फंसा करते हैं जब कि हम यह दिखलाते कि रुपये की कीमत कितनी हो गयी है। मैं तो कहना चाहता हूं और ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमारे बड़े-बड़े आफिसर और वन मंत्री जी ईमानदारी पर आ जायं कि हमें यह लक्ष्य पूरा करना है और यदि नहीं कर सकते तो वन मंत्री इस्तीफा दे देंगे, निकल जायेंगे और अधिकारियों को भी निकाल देंगे, इस तरह का दिमाग बना कर जब तक आप नहीं चलेंगे, तब तक कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आज वनों में कितनी लूट है, टांगियों की कितनी लूट है। एक बार नहीं, पिछले दस साल से जितने भी भाषण हुए, मैंने पढ़ डाला, उनसे मालूम हुआ कि प्रत्येक साल इस सदन में कहा गया कि बनों में अपार लूट है, लकड़ी की लूट है, वन में जो और चीजें पैदा होती हैं उनकी लूट है और

एक एक अधिकारी के घर चला जाये और उनकी जांच कर ली जाय तो लाखों करोड़ों रुपये की जायदाद उनके यहां है ।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट आप और बोल लें ।

श्री मधुकर दिघे—

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन टांगियों की लूट के सिलसिले में जो बातें कही गयीं, बनों की लूट के सिलसिले में जो बातें कही गयीं, उन पर आप विचार कर लें । अगर यह बन्द हो जाय तो बनों की आमदनी आठगुनी दसगुनी बढ़ायी जा सकती है । यह मेरा जैसा आदमी कहता है जिसको वन विभाग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है । फिर बनों को सुधारने के सिलसिले में, बनों की रक्षा के सिलसिले में भी मुझे कुछ कहना है । श्री रामायण राय जी ने सही कहा कि बहुत सी इफरात जगह ऐसी पड़ी हैं जहां पेड़ लगाये जा सकते हैं । हिन्दुस्तान में जो खेती करने वाले लोग हैं वे भी अपनी खेती के थोड़े हिस्से में फलों के या दूसरे प्रकार के पेड़ इमारती काम आदि के लिये लगा सकते हैं । केवल इसके लिये उनको सिखलाने की, रास्ता दिखलाने की केवल बात है । लेकिन यह काम बन विभाग द्वारा नहीं किया जाता । वहां सारा काम सिफारिशी चलता है, आफिसर भी सिफारिश पर रखे जाते हैं । तथा दूसरे तरह के लोग भी सिफारिशी तौर पर ही रखे जाते हैं जिससे बन विभाग का भी नुकसान हो रहा है । इसके लिये बन विभाग को अपनी कोई नीति बनानी पड़ेगी । इस सम्बन्ध में कई बार कहा जा चुका है लेकिन अभी तक बन विभाग इस सिलसिले में अपनी कोई नीति नहीं बना सका है ।

एक बात मुझे वन्य पशुओं से होने वाली हानि के बारे में कहनी है । मेरे गोरखपुर जिले के अपने क्षेत्र में हजारों एकड़ लहलहाती हुई फसलों को बन्य पशु अकसर चर जाया करते हैं । इसके लिये कई बार कहा गया कि या तो बनों कि किनारे-किनारे तार लगा दिये जायं, या कोई खन्दक वगैरह खोद कर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे जंगली पशु आकर खेती का नुकसान न करें । लेकिन अभी तक इस सिलसिले में बन विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की । इससे इर्दगिर्द बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हो रहा है । मैं चाहता हूं कि बन मंत्री जी इस पर भी थोड़ा बहुत विचार करेंगे और वन विभाग के अधिकारियों को आदेश देंगे कि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए देश को फायदा पहुंचाने के लिये मेरे बताये हुए रास्ते पर चलें ।

तो मान्यवर, मेरे इन बताये हुये रास्तों पर चलने के लिये कोई न कोई कदम इस संबंध में उठायें । ऐसे लोगों की जो बनों के संबंध में जानकारी रखते हैं उनकी बैठक बुलायें या कोई कमेटी नियुक्त करें और पूरे निर्णय लेने का काम करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

दिघे जी, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती सरस्वती टमटा (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं आपने इस बजट पर बोलने का मुझे समय दिया । मैं माननीय वन मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उस पर बोलूंगी ।

[श्रीमती सरस्वती टमटा]

मान्यवर, जंगल हमारे प्रदेश और देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। जंगल हमारे राष्ट्र की सम्पदा हैं। हमारे देश और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में जंगलों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश और हमारे प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्रों में और भावरी क्षेत्रों में वन पर्याप्त मात्रा में आच्छादित हैं और हमारे प्रदेश के क्षेत्रफल का 17 प्रतिशत भाग में जंगल हैं।

मान्यवर, दूसरी से चौथी योजना में हमारे जंगलों में काफी सुधार हुआ है। लेकिन मान्यवर, इस समय इस वित्तीय वर्ष में जो रूप रेखा प्रस्तुत की गयी है उसमें काफी कमी है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, आपके द्वारा वन मंत्री जी को देना चाहती हूं।

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में यातायात और संचार साधनों का बहुत अभाव है। जिसके कारण हमारे यहां की अतुल वन संपदा का उपयोग नहीं हो पाता है। यातायात की कमी के कारण वहां पर वन विभाग के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मैं पिछली बार अपने क्षेत्र के भ्रमण पर गयी थी और वहां पर पूरी घाटी में दालचीनी, तेजपत्ता एवं अंगूर के वृक्षों से पूरा जंगल भरा पड़ा है लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। यह सब यातायात के साधनों की कमी का कारण है। वहां चामखड़ी के पेड़ों से जंगल भरे पेड़ हैं, लाखों पेड़ हैं। छड़ी जिसके पेड़ को धिगारू कहते हैं बहुत बड़ी मात्रा में हैं। जो छड़ियां यहां 6—7 रुपये में मिलती हैं उनके जंगल नष्ट हो रहे हैं।

यातायात के सुधार में माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। वहां पर वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड) हैं उनका एरिया बड़ा विस्तृत होता है जिसके कारण वह पूरा नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में जमीन भी उतार चढ़ाव और ऊबड़ खाबड़ होती है। जिसके कारण वह ठीक से देखरेख नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है कि उनके क्षेत्र को घटा दिया जाय। इससे जो जंगलों का अवैध कटान होता है वह रुक जायगा।

दूसरी बात मान्यवर, वन जन्तुओं की रक्षा के बारे में है। वन जन्तु रक्षा अधिनियम, 1973 में लागू हुआ है। यह हमारे सिविल वनों में भी लागू है लेकिन इसका पालन नहीं हो सका है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि इस पर समुचित कार्यवाही की जाय और पर्वतीय क्षेत्रों में भी जन्तुशाला खोली जाय।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जब जंगलों में आग लगती है तो गांव वालों को आग को बुझाने के लिये जाना पड़ता है। इसके लिये कई इकाइयां भी चतुर्थ योजना में बनी हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में गांव वालों को आग बुझाने के लिये जाना पड़ता है। उसके बदले उनको मकान बनाने के लिये पेड़ दिये जाते हैं। यह हक ब्रिटिश शासन से ही प्रारम्भ हुआ और वही हक आज भी लागू है। जबकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मान्यवर, उनके हक में वृद्धि होनी चाहिये। यह तो बेगार जैसी प्रथा है। अगर कायम रहे तो इस बेगार की प्रथा के क्षति रूप में हक बढ़ने चाहिये। अन्यथा मैदानी भावरी क्षेत्र के अनुरूप आग बुझाने वाली इकाइयां स्थापित की जाय।

मान्यवर, वन संपदा की सुरक्षा कराने के लिये सही रूप से वन सम्पदा का सर्वेक्षण होना जरूरी है। क्योंकि सन् 1911 में वन बन्दोबस्त हुआ था तब से पुनः बन्दोबस्त करवाने

पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस सर्वेक्षण से एक फायदा होगा कि मालूम हो जायेगा कि कहां पर हमें इमारती चीड़ की लकड़ी मिलेगी और कहां पर खेल के सामान बनाने की लकड़ी मिलेगी। इसके अलावा जो गांव समाज की जमीन खाली पड़ी है वहां पर बृक्ष लगाये जा सकते हैं। इसलिये बनों का सर्वेक्षण होना जरूरी है।

मान्यवर, पिछले साल बन निगम की स्थापना हुई जिसका कार्य अभी सामने नहीं आया है। वन निगम द्वारा बनों पर नियंत्रण रहेगा जिससे भ्रष्ट अधिकारी व ठेकेदारों के ऊपर भी नियंत्रण रहेगा जिससे सरकार की जो लाखों रुपये की रेवेन्यू भ्रष्ट अधिकारियों व ठेकेदारों की जेब में चली जाती है वह सरकार की बचेगी। मान्यवर, नदी घाटी योजना को, अल्मोड़ा जिले में कहां नदियां बहती हैं उन घाटियों के किनारे खेत होते हैं जहां सर्वेक्षण लगाकर लागू किया जाय। उससे खेतों के पैदावार को बनवाने से बचाया जा सकेगा। इसलिये यह योजना सभी पर्वतीय जिलों में लागू की जाय।

मान्यवर, चीड़ के पेड़ों से जो लीसा निकलता है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाय जिससे ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों को जो फायदा होता है वह बन्द हो सके और सरकार की रेवेन्यू बढ़ सके।

मान्यवर, पर्यटन विभाग द्वारा जो कौशानी कम्पलेक्स बनाने को था उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसका क्या कारण है? पिन्डारी गलेश्यर के अलावा सुन्दर ढूंगा गलेश्यर, ककनी गलेश्यर में मार्ग न होने के कारण वहां टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं। सरयू नदी का उद्गम स्थान शहस्त्र धारा है जहां बैशाखी पूर्णिमा को धार्मिक मेला लगता है वहां भी सड़क न होने के कारण दर्शक लोग नहीं जा सकते हैं। इसलिये इन स्थानों पर मार्ग और पर्यटक गृह बनवाने पर मंत्री जी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं बन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बनों का बड़ा महत्व है। कृषि और बनों का आपस में अटूट सम्बन्ध है। कृषि में एक नाइट्रोजन चक्र बनता है जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। बनों के व वृक्षों के बगैर वह नाइट्रोजन चक्र पूरा नहीं होता है। जीवन में बनों का जितना महत्व है उसको हमारी सरकार अभी तक आभास नहीं कर सकी है। इसलिये बनों और कृषि के लिये बड़ा महत्व है। 27 वर्ष में हमारी सरकार ने खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिये जब प्रधान मंत्री को विदेशों में जाकर कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ा तब खेती का महत्व मालूम पड़ा।

इसी प्रकार इस देश में बनों का भी बड़ा महत्व है। हमारे देश और प्रदेश में आज जो खाद्य समस्या चल रही है उसके पीछे बनों का बड़ा महत्व है। आज जो खाद्य समस्या की पूर्ति के लिये जो खादों की कमी है जिसको सरकार पूरा करने में असमर्थ है उसको पूरा करने के लिये पुराने तरीकों को अपनाना पड़ेगा। पुराने तरीकों से कम्पोस्ट खाद बनाना पड़ेगा और वह तभी सम्भव है जबकि बनों को लगाया जायेगा। बनों की पत्ती को लेकर खाद बनाकर हमें खेत की उत्पादन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार जंगल हमारी उत्पादन शक्ति को बढ़ाते

[श्री दल सिंह यादव]

हैं और भूमि के कटाव को रोकते हैं। हमारे जीवन में वातावरण स्वच्छ होना चाहिये, उसके लिये जो पेड़ पौधे हैं वह आक्सीजन छोड़ते हैं और कारबन डाइआक्साइड ग्रहण कर लेते हैं।

मान्यवर, इतना ही नहीं उद्योग धंधों को चलाने के लिये वनों से लकड़ी मिलती है, जानवरों की खालें मिलती हैं। इतना महत्व होते हुये भी आज हर वर्ष जंगलों की मात्रा घटती चली जा रही है। हमारे शाहजहांपुर की तरफ महमदी के पास मैं देखता हूं कि हर वर्ष जंगल काटे जा रहे हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं है। आज हमारे देश में 16 लाख करोड़ एकड़ ऊसर और बंजर भूमि है। अगर हम वहां पर बबूल के ही पेड़ लगा दें तो उन वृक्षों से लकड़ी तो मिलेगी ही, ऊसर भूमि भी ठीक कर सकते हैं। समय की कमी की वजह से मैं अधिक बात वनों के सम्बन्ध में न कह कर पर्यटन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

जिस तरह से नैनीताल और रानीखेत पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन के लिये अधिक महत्वपूर्ण स्थान हैं वैसे ही अपने देश में बरेली का भी पर्यटन के लिये एक स्थान है। यह एक बहुत बड़ा मण्डल भी है। वहां पर पर्यटन का एक केन्द्र खोल दिया जाय जहां पर पहाड़ी स्थानों पर जाने के लिये बसें उपलब्ध हो सकें, टूअर करने के लिये सुविधा मिल सके। इस सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था शासन की तरफ से हो उसकी सूचना सदस्यों को भी दी जाय जिससे हम लोगों को भी लाभ हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जहां के कुल क्षेत्र का 60–65 प्रतिशत क्षेत्रफल वनों से ढका हो, वहां के जन-जीवन से वन का बहुत सम्बन्ध रहता है। राज्य सरकार ने नई वन नीति के अन्दर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, इसलिये मैं माननीय वन मंत्री जी को बधाई देता हूं—जैसे वन निगम की स्थापना, लीसा का राष्ट्रीयकरण की योजना, आदि। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें दो हैं—एक तो यह है कि वनों पर आधारित उद्योगों का निर्माण किया जाना जिससे वहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके और दूसरे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को, हरिजनों को, सैनिकों को वन की भूमि दिये जाने का निर्णय लेना जो वृक्षारोपण के योग्य नहीं हैं। साथ ही साथ प्लान्टेशन के लिये पढ़े-लिखे लोगों, हरिजनों और कोआपरेटिव बेसिस पर लोन देने की जो नीति बनाई है, वह वास्तव में एक नई दिशा की द्योतक है।

हमारे मित्र ने एक चर्चा की और कहा कि रुपये की कीमत के आधार पर वन सम्पत्ति का मूल्य बढ़ा है। शायद वह यह नहीं कहते अगर वह यह समझते कि सन् 60 से लेकर 65–66 तक जो वन मंत्री रहे उनका क्या योगदान रहा और उन्होंने साइबेरिया भेजने और फांसी पर लटकाने की बात कही, वह शायद न करते। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि उस काल में वन मंत्री चौधरी चरण सिंह जी रहे और शायद उनका यह ख्याल था राजा साहब वन मंत्री रहे हों।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वनों का वहां के जन-जीवन से जो सम्बन्ध है उसकी कभी-कभी कठिनाहट आती रहती है जैसे भूमिहीनों की समस्या, वनों की भूमि के एन्क्रोचमेंट की समस्या अभी भी बनी हुई है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कैबिनेट की जो समिति बनायी है वह जल्दी निर्णय करे कि कौन सी भूमि दी जायगी, किस शर्त पर दी जायगी और कहां-कहां दी जायगी। अगर लगातार दबाव बढ़ता गया तो बन कटते जायंगे और जो प्लान्टेशन करना है वह नहीं हो पायेगा। पिछली बार यह हुआ कि बांझ यानी ओक को काटने की मनाही की गयी। यह सही है कि जल को रोकने के लिये और भूमि के कटान को बचाने के लिये ओक के वृक्षों को जीवित रखना आवश्यक है। लेकिन इससे हमारे यहां समस्या पैदा हो गयी। बांझ से कोयला बनता है और लोगों के इस्तेमाल में आता है लेकिन पिछली सर्दी में वह लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ। मेरा सुझाव है कि भावर और तराई के जंगलों से सोखों की लकड़ी व कोयला इस्तेमाल के लिये लोगों को दी जाय जिससे वहां लोगों की समस्या दूर हो जाय और आपके बांझ के वृक्ष भी बच सकें।

मान्यवर, फारेस्ट पंचायतों और सोयम वनों का नियंत्रण सरकार ने लिया है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह गांव वालों की सम्पत्ति रहेगी और वन विभाग की सम्पत्ति नहीं होगी। यह एक सराहनीय कदम है और इससे जनता को लाभ होगा। इसी के साथ यह कहना है कि टिहरी में वन पंचायतों का निर्माण आवश्यक है। जहां तक हमारे हक-हकूक की बात है लकड़ी चाहिये हल फाली के लिये, जलाने के लिये और छप्पर के लिये घास चाहिये। इनका दिया जाना वहां के लोगों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। दूसरे हमारे साथियों ने भी इस पर जोर दिया है।

एक निवेदन यह करना है कि वनीकरण किया जाय तो सघन वनीकरण होना चाहिये और केवल भूमि घेरने की बात नहीं होनी चाहिये। जो वन निगम बना है उसके माध्यम से पल्प फैक्टरी उस क्षेत्र में बनायी जाय, यह भी मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है। इसी प्रकार यह निवेदन करना है कि पर्यटन को एक उद्योग के तौर पर लिया जाना चाहिये। पहाड़ी क्षेत्रों में और ऐतिहासिक स्थानों में जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सारनाथ, कौशाम्बी, बिठूर, और पहाड़ों में सौन्दर्य स्थल व ग्लेसियर हैं वहां रहने की सुविधा और आवागमन के साधन होने चाहिये। इसके लिये पर्यटन विभाग और वन विभाग में आपसी सहयोग होना चाहिये। आपने एक पर्यटन निगम बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन खरीदने के लिये जो धन उपलब्ध कराया गया है वह अत्यन्त कम है। जब इन वनों से 20 करोड़ की आमदनी पर्वती जिलों से होती है तो वहां के टूरिज्म के विकास में, सड़कों के निर्माण में इसका विकास होना चाहिये। इससे वहां फॉरेन एक्सचेन्ज आयेगा।

इसी तरह से फॉरेस्ट की जो सड़कें हैं उनका भी निर्माण होना चाहिये जिससे वनों की देखरेख हो सके और पर्यटकों को भी सुविधा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से अपना प्रदेश खनिज पदार्थ से भरा हुआ नहीं है बल्कि यों कहें कि यहां बिल्कुल खनिज पदार्थ नहीं है, जबकि दूसरे प्रदेशों में हैं। हमारा सौभाग्य है कि इसकी पूर्ति हम अपने वनों से कर सकते हैं। इसलिये वनों का विकास हमारे प्रदेश के लिये अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन गम्भीर खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव नहीं दिया जा सकता कि जहां कृषि योग्य भूमि है उसमें भी वन लगा दिया जाय।

[श्री गोरे लाल शाक्य]

कृषि योग्य भूमि छोड़कर भी हमारे पास इतना एरिया है कि जिस पर वनों का विकास किया जा सकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जहां नदी-नाले हैं और नहरें, वहां पर वनीकरण किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हर माननीय सदस्य गांवों में जाते होंगे। वहां पर एक-एक, दो-दो मील लम्बे ऊसर पड़े हैं, या ऐसी जगहें हैं, जिन पर पर 10/15 साल पहले खेती होती थी, लेकिन अधिक वृष्टि के कारण अब वह कृषि योग्य भूमि नहीं रही और वहां पर रेह व भादी हो गयी है। इस तरह चार-चार, पांच-पांच मील लम्बी जमीन के टुकड़े पड़े हुये हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। हर जिले और हर तहसील में इस तरह के मीलों लम्बे प्लाट पड़े हैं जिसमें खेती नहीं होती है और वहां पर वृक्ष लगाये जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वहां पर आम या सेव के वृक्ष ही लगाये जायं। अगर बबूल की तरह के भी वृक्ष वहां पर लगाये जाय, तो कालांतर में वह भूमि अच्छी बन सकती है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी के बीच इलाके में पड़ने वाले स्थान संकिला की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है, जहां पर कम्बोडिया, श्याम, चीन और जापान के बुद्धिस्ट आते हैं। अगर वहां पर एक पर्यटन गृह बना दिया जाय, तो बड़ा लाभदायक होगा और वहां पर ये लोग आसानी से रुक सकेंगे। अच्छा हो, वहां पर एक पार्क भी बना दिया जाय।

वनों को जो ठेकेदारों को दिया जाता है, उसमें मजदूरों का तो शोषण होता ही है, साथ ही साथ ये ठेकेदार अधिकारियों, छोटे कर्मचारियों को कुछ धनलाभ कराकर एलाटेड एरिया से अधिक एरिया के वृक्ष काट लेते हैं, जिससे सरकार के रेवेन्यू का काफी नुकसान होता है और मेरा माननीय वन मंत्री जी से निवेदन है कि इस ओर वे कृपया ध्यान दें।

*श्री भारत सिंह (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे समय दिया। मान्यवर, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वन अनादि काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति के जन्म-दाता रहे हैं। धीरे-धीरे औद्योगीकरण के विकास के साथ-साथ वनों का ह्रास होता गया और आज स्थिति यह है कि अगर पहाड़ों को निकाल दिया जाय, तो केवल 12 प्रतिशत वन ही हमारे हिस्से पड़ते हैं। इस प्रदेश में हमारे प्रदेश में बाढ़ और सूखे की अनेकों समस्यायें हो जाती हैं और करोड़ों रुपयों का नुकसान सरकार का होता है। आवश्यकता इस बात की है कि वृक्षारोपण हो। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से वन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ओर कदम बढ़ाये और वनीकरण स्कीम चालू की। यह बहुत उपयुक्त स्कीम है जिसको बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार पहाड़ों पर जिस कदर से पेड़ों को काटा जा रहा है, उसका नतीजा यह हो रहा है कि काफी बाढ़ आ जाती है और जमीन कट जाती है। 1970 में बेलकूची काण्ड ऐसा ही काण्ड था। अपरगंगा नहर सारी की सारी रेह के अन्दर आ गयी थी। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। रामगंगा परियोजना बनी और डैम बना। इस डैम की लागत 132 करोड़ है। कहा गया कि यह 15000 वर्ष चलेगा लेकिन स्वायल इरोजन के कारण अब यह अंदाज लगाया जा रहा है कि इसकी आयु

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

50 साल से ज्यादा नहीं होगी। अगर वनीकरण नहीं किया गया रामगंगा के पास तो इस डैम की आयु 50 साल हो जायेगी और इससे प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा।

अलकनन्दा परियोजना में वनीकरण की योजना लागू की है, जो बहुत अच्छी बात है। इससे बाढ़ रुकेगी और जलवायु सुन्दर होगी और साथ ही साथ सरकार को जो वनों से लाभ होगा, वह अलग चीज होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों में गांवों में अपने वन हैं वहां धीरे-धीरे जंगल घट रहे हैं। गांव वालों के पास खेती लायक जमीन उपयुक्त नहीं है। वह चाहते हैं कि वन विभाग के साथ उनकी जमीन ट्रान्सफर हो जाय। अगर ट्रान्सफर मान लिया जाय तो इससे सरकार को लाभ होगा।

मेरे क्षेत्र में नेशनल कार्बेट पार्क है। उससे थोड़ी दूर पर बहुत से गांव हैं और जो जानवर होते हैं उनसे खेती नष्ट होती है। उन गांवों की खेती को बचाने के लिये आप फेंसिंग करें ताकि खेती को नुकसान न हो। दूसरे हमारे यहां बहुत वन जन्तु हैं और उसके लिये आप वन जन्तु योजना बनायें क्योंकि यह उसके लिये बहुत उपयुक्त स्थान होगा।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्री का ध्यान वनों की ओर आकृष्ट करता हूं। वन विभाग में जितना घाटा है उतना किसी अन्य विभाग में नहीं है। जो कुदरती पेड़ पौधे होते हैं वहां अगर उनको छोड़ दें और फिर आमदनी का हिसाब लगायें तब आपको पता चल सकेगा कि हमने वन लगाने से इतनी आमदनी की है। पहाड़ों में जंगल में जो पेड़ लगते हैं वे तो कुदरतन पैदा होते हैं। आपको कोई पेड़ नहीं लगाना होता है लेकिन उस आमदनी को आप जोड़ लेते हैं और आप खुश होते हैं कि इतनी आमदनी की। पुराने जमाने में जमींदार थे वह वनों की रक्षा गांव के लोगों के द्वारा कराते थे और उस पर कुछ खर्चा नहीं होता था और उसके लिये कुछ हिस्सा उनको दे दिया करते थे। आज आप जंगलों के चारों ओर बड़े-बड़े तार लगाते हैं और उसके लिये हजारों-लाखों रुपया खर्च करते हैं और उस तार को भी कर्मचारी व अधिकारी बेंच लेते हैं। मैं कहता हूं कि जंगलों के चारों ओर खाई खुदवा दें उससे जंगल की सुरक्षा हो सकेगी और तार व खम्भे लगाना बन्द कर दें।

मैदानी इलाके में जंगल के लिये जमीन आप एक्वायर करते हैं उसके लिये ऊसर बंजर जमीन एक्वायर करते हैं। ऊसर में वन लगायें तो ऊसर नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप अच्छी जमीन जो खेती लायक है उसे पेड़ लगाने के लिये ले रहे हैं जिससे अन्न की पैदावार घटेगी। इसके अलावा जंगलों की शोभा जानवर व चिड़िया हैं। चिड़ियों की चरचरहाट है। लेकिन शरीफाबाद तथा सफदरगंज में शिकारी शिकार खेलने जाते हैं और चिड़ियों तथा जानवरों को मार कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके ऊपर रोक होना चाहिये। जंगलों में जानवर चराने की जगह भी नहीं रखी जाती है। चोरी डकैती भी बढ़ रही है। इसके लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। जंगल आप घेरते जा रहे हैं लेकिन जिनका उन पर जीवन निर्वाह होता था उनके लिये कोई व्यवस्था आपने नहीं की। जहां कोई खेती लायक जमीन है उसे यह विभाग एक्वायर कर लेता है और उस जमीन में जंगल लगा कर अधिकारी खुश होते हैं कि इतने जंगल लगा लिये।

[श्री जंग बहादुर वर्मा]

खेती लायक जमीन हो, उर्वरक हो उसमें क्या करना है ? परिश्रम तो तब आपका है जब खेती लायक जमीन न हो, धरती फट जाती हो, सैलाब को रोकना हो इस जमीन को आप जंगल के लिये तैयार करें और नई चीज पैदा हो। सरीफाबाद और रघुनन्दनपुर इलाके में लोगों की जमीन थी, आबादी थी उनको उजाड़ दिया गया। ज्यादा पेड़ आपको मैदानी भागों में लगाने चाहिये जैसे महुआ है, जामुन है, खैर है इनके लगाने से ज्यादा लकड़ी पैदा होगी और लोगों को रोजी-रोटी का साधन हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मेरे बार-बार खड़े होने पर भी आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया इसलिये मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मोतीलाल देहलवी सदन त्याग कर चले गये।)

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनःपीठासीन हुए।)

श्री गोविन्द सिंह मेहरा—

मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वन मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देनी है कि आज उन्होंने बहुत वर्षों के बाद एक टेक्निकल व्यक्ति को वन सचिव नियुक्त किया है जो कि वन की समस्याओं को समझता है और उनके समाधान का हल समझता है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। वन के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हो चुकी है किन्तु मुझे निवेदन करना है कि कुमाऊं और गढ़वाल के जो हक-हकूक हैं, ब्रिटिश काल से जो हक-हकूक चले आ रहे थे वे ही आज भी मौजूद हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि उनका रीसेटिलमेंट हो। इसके लिए पुनः बन्दोबस्त होना अत्यावश्यक है। मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी का ध्यान वनों में जो प्लान्टेशन हो रहा है उसके सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। जो लोग उसमें पहले से रह रहे थे नैनीताल में जलाशय बने वहां थारू बोक्सर जाति के लोग उसमें थे उनको निष्कासित किया गया उनको कहीं बसाया जाय।

चूंकि समय कम है इसलिये मैं पर्यटन के सम्बन्ध में अपनी बात रखूंगा। जो सैलानी लोग हैं वह इस मुल्क में अशोका होटल देखने नहीं आते हैं, इन्टरकांटिनेन्टल होटल देखने नहीं आते हैं, अवध क्लार्क होटल देखने नहीं आते हैं, पर्वतीय अंचलों में ऐसे स्थान हैं जो उनके आकर्षण के केन्द्र होते हैं। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बैचलर आफ पौलगढ़, मैन ईटर आफ कुमायूं जिसने जिम कार्बेट की किताब पढ़ी होगी वह जानता होगा कि कौन ऐसे रमणीक स्थान हैं। द्रोणाचल और पांडुखोल सैलानियों के लिये बहुत ही उत्तम स्थान हैं। इन स्थानों को आज का पर्यटक देखना चाहता है। इसके अलावा ये ऐसे स्थान हैं जहां पर कि जड़ीबूटियों की निधि है। आज का पर्यटक मनीला की चोटी और रुद्रप्रयाग की घाटियां देखना चाहता है।

मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि एक साल पहले रानीखेत के पास एक टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाने की योजना था जिसमें द्रोणाचल और पांडुखोली को शामिल किया गया था

किन्तु उसका क्या हुआ, कोई सूचना नहीं है। प्रधान मंत्री जब गत वर्ष नैनीताल आई थीं तो उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं मनीला जाना चाहती हूं लेकिन हमारे अधिकारी मुझे नैनीताल और अल्मोड़ा ले आते हैं। यह बहुत ही रमणीय स्थान है। तो हमें इन रमणीय स्थानों को प्रोत्साहन देना चाहिये। चाहे वह मैदानी हिस्सा हो, चाहे पर्वतीय हिस्सा हो उस ओर विशेष ध्यान वह देंगे और साथ ही साथ जहां तक पर्वतों का प्रश्न है उसके बारे में आपके विभाग की दोहरी नीति है कि पर्यटन विभाग को कौन चलाये। उसे टूरिस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन चलाये या हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन चलाये। तो इस पर भी खींचातानी है। मैं समझता हूं कि जहां तक पर्वतीय अंचल का सवाल है वह काम हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन को दिया जाय तो उत्तम होगा। इन शब्दों के साथ जो मांगें वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी इस बहस में अधिकांश सदस्यों ने थोड़े समय में भाग लिया और जो-जो सुझाव दिये वे बड़े ही महत्व के हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वे मेरी बातों को ध्यान से सुनें और उनके बारे में सदन में जवाब दें।

श्री ऊदल—

मान्यवर, हमारे यहां मिर्जापुर में तो वह कुछ करते नहीं है, देखते नहीं है सिवाय वह हिमाचल को देखते हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं माननीय मंत्री जी से बनों के विषय में कहूंगा कि यहां पर सुझाव आये हैं कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है। मंत्री महोदय ने जो ग्राम समाज और सहकारी समितियों के बारे में कहा है उसका अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है। तो उसमें मेरी एक आशंका है, उनके कहने से हो सकता है कि जो उनकी तरफ से भूमि अध्याप्त अधिकारी होंगे वह किस रेट से मुआविजा देंगे, उसके लिए उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। जमीन लेने का आधार क्या होगा ? तो जो भूमि अर्जन अधिकारी होंगे वह जो बन्दोबस्त करायेंगे उससे जनता को काफी नुकसान हुआ है। उससे जनता और अधिकारियों के बीच काफी गैप हुआ है। जो समय-समय पर समितियों ने रिपोर्ट दी है उनकी समीक्षा होनी चाहिये। जो समितियां बना रखी हैं और जो पहले से बनी हुई हैं उनकी जो रिपोर्ट हैं उन पर मुस्तैदी से आप प्रगति की आख्या मंगायें।

अधिकांश सदस्यों ने कहा कि जंगलों में कुछ खाली जमीनें रहती हैं जो नदियों के किनारों में होती है तो वहां पर पेड़ लगवायें जिनसे उद्योग धंधे पनप सकें। अधिकांश रूप से चर्चा में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बनों के होने वाले लाभ के बारे में कहा गया और यह कहा गया कि ऐसे बन लगाये जायं जिनका आर्थिक दृष्टि से महत्व हो और उद्योग धन्धों में विकास हो सके। अगर ऐसा होगा तो उससे हमारे जो बेकार लोग हैं उनको रोजगार मिल सकेगा औ उससे सरकार को भी आय होगी।

इसके अलावा अधिकांश सदस्यों ने पर्यटन के विषय में भी कहा कि उसमें आई0टी0 डी0सी0 द्वारा सारे कार्यों का सफाया कराया जा रहा है, इसकी प्रगति अच्छी नहीं है और इससे हानि हो रही है। जैसा रामायण राय जी ने कहा महत्वपूर्ण जगहों पर पर्यटकों को

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

सुविधा देने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये उनके लिये स्थान की उचित व्यवस्था होनी चाहिये नहीं तो इस वक्त जैसा कि होटल वाले उन्हें लूटा करते हैं। तो दूसरे देशों से आने वाले लोग जो हैं यहां का बुरा प्रभाव ले कर जाते हैं, उन पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जहां पर बिल्डिंगों की व्यवस्था नहीं हुई है उन सब की आप प्रगति की आख्या मंगा कर देखें और जो अधूरे हैं उनको पूरा किया जाय। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को आसानी होगी और जैसा कि हमारा देश आतिथ्य सत्कार में हमेशा आगे रहा है उससे उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी तथा इस उद्योग को भी प्रगति मिलेगी।

पर्यटन विभाग सन् 1961 तक ट्रांस्पोर्ट के पास था। लेकिन 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ, तब उत्तर प्रदेश का ध्यान पूर्ण रूप से पहाड़ों की ओर भी गया। तब से कुमायूं, गढ़वाल के जो दर्शनीय स्थान हैं, वहां पर आपने कुछ ध्यान दिया है। मैदानी इलाके में इलाहाबाद में कौशाम्बी स्थान पर पर्यटकों को कोई सुविधा नहीं प्रदान की गई है। इसी तरह से आगरा, बुलन्दशहर, चित्रकूट आदि अनेक ऐसे स्थान हैं, जहां की यात्रा करने पर यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। इसलिये मैं मंत्री जी से अन्त में अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर जो माननीय सदस्यों ने कहा है, आप उस पर ध्यान दें और तभी इस विषय में कुछ प्रगति हो सकती है, अन्यथा केवल कुछ अनुदान पास करा लेने से कुछ नहीं होगा। न तो उस धन का कोई सदुपयोग होगा और न जनता और प्रदेश का हित होगा। मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आशा करता हूं कि आप और पूरा सदन मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वालों का भी, जो उन्होंने अपने-अपने सुझाव दिए हैं। श्रीमन्, बहुत से माननीय सदस्यों ने जो बहुत से सुझाव दिए हैं, वे ऐसे हैं कि उनका मानना हमारी राय में आवश्यक है और उनको जरूरी मानकर हमें कार्यवाही करनी चाहिये। शुरू में माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं, खास तौर से मुझे खेद है कि मेरे सचिव के बारे में उन्होंने कुछ व्यक्तिगत बातें यहां पर बताईं। उस सम्बन्ध में मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वह बिलकुल ही निराधार है और गलत है और किसी ने उनको शायद गलत सूचना दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सी जमीनें जो गांव समाज के पास हैं या जिन पर गांव वाले खेती करते हैं, उन्हें वन विभाग ले लेना चाहता है। इस बारे में मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे वन विभाग की ऐसी कोई नीति नहीं है कि गांव समाज की जमीन विभाग ले ले। हां, कुछ स्थानों पर ऐसा झगड़ा चल रहा है जो पुरानी बात है, हम सब जानते हैं, उसमें अगर हमारे कायदे के हिसाब से फारेस्ट सेटेलमेंट अफसर होता था, उन लोगों को मौके की सूचना नहीं मिली है, तो वे मुकदमें अभी तक चल रहे हैं। उनको थोड़ी सी परेशानी है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिये एक कैबिनेट की सब-कमेटी बनी हुई है, जो ऐसे समस्त मामलों पर विचार कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी महीने के अन्दर-अन्दर बैठक होगी और ये पुराने झगड़े तय हो जाएंगे।

श्रीमन्, पहाड़ों के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, बहुत सी बातें बताईं, जैसे कि वहां पर जड़ी-बूटियों की आवश्यक प्रजातियां उपलब्ध हैं,

जिनका सदुपयोग न किये जाने के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है। इस बारे में यह सूचना मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं कि एक हिमालयन नेशनल पार्क की योजना बहुत बड़ी बनाई जा रही है, जो पहाड़ी क्षेत्र में लागू होगी, जिससे इन प्रजातियों की काफी देख भाल हो सकेगी।

नेगी जी ने कुछ वेजेज के बारे में जिक्र किया मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वेजेज के बारे में शासन ने कोई भी कदम पीछे नहीं उठाया है। जो हमने पहले तय किया था, वही चीज अब भी है। केवल थोड़ा फर्क यह है कि जब यह मजदूरी की बढ़ोत्तरी की थी, थोड़ी सी वहां पर दिक्कत यह पड़ गई थी कि हिमांचल प्रदेश और कश्मीर में जो रेट्स थे, उसकी जानकारी कराना जरूरी था। इसलिये हमने एक अधिकारी को भेजकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मजदूरी वाला मसला इसी माह में हल हो जायेगा।

श्री गोविंद सिंह नेगी—

मान्यवर, जब कोई काम नहीं करना होता है तो कमेटी बना दी जाती है। मन्त्री जी कोई समय निर्धारित करेंगे कि इसके अन्दर वह इस मसले को तय कर सकेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि मैं कोई कमेटी नहीं बना रहा हूं बल्कि इसी महीने के अखीर तक यह तय हो जायेगा। मैं टालना नहीं चाहता हूं।

श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

मान्यवर, प्रतापगढ़ जिले के विकास खण्ड संडवा चण्डवा में एक कैथों का बन है। क्या मन्त्री जी का विचार है कि वहां पर शीशम के पेड़ लगाये जायं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वह जगह हमने देखी है। बहुत सुन्दर स्थान है। बहुत बड़ा जंगल है। लेकिन फिलहाल इस समय कोई योजना नहीं है। लेकिन जल्दी ही वृक्षारोपण का इन्तजाम किया जायेगा। रहा यह कि गूजरों के बारे में कहना चाहता था कि आरम्भ में . . .

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं एक सूचना चाहता था बांदा जिला में पाठा में ऐसे जंगल हैं जहां एक भी वृक्ष नहीं है। पिछली बार इसको कुछ लोगों ने जोत भी लिया था। क्या मन्त्री जी वन प्लांटेशन वगैरा में इसके सम्बन्ध में कुछ करने जा रहे हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

माननीय सदस्य यदि हमको लिख कर दे देंगे तो हम देख लेंगे। वैसे हमीरपुर, बांदा पौरा में बहुत सी ऐसी जगहें हैं कि जहां जंगल नहीं हैं। लेकिन हर जगह जंगल लगाना सम्भव नहीं है।

श्री देवकुमार यादव—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने यह समस्या रखी थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से एक-एक सवाल का जवाब कैसे हो सकता है ? प्रश्न के जरिये करें।

श्री देवकुमार यादव—

कोई ऐसी प्लांटेशन की योजना हो जिसमें वह सैटिल कर दें।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

कुछ बातें हक हकूक के बारे में कही गईं। पहाड़ी जिलों में जो हक हकूक का सिलसिला है वह ऐसा हो जाता है कि उसको कहीं दूर पर जंगल वाले हक हकूक दे देते हैं। उसके आदेश दे दिये गये हैं कि जो जहां के रहने वाले हैं वहीं उनको हक हकूक दिये जाया करें।

इसी तरह से पर्यटन के बारे में भी बहुत सी बातें कही गयीं। गोरखपुर में बुद्धिस्ट लोग आते हैं। उनके लिये जमीन के सिलसिले में इन्तजाम हो गया है और जमीन ले ली गई है। रामगढ़ ताल के बारे में भी जिक्र हो चुका है और वह जगह बहुत सुन्दर है। हम लोगों ने प्लान बना लिया है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई योजना बना कर कार्यान्वयन किया जाये। कौसानी में काम्पलेक्स तैयार किया गया है और टूरिस्ट्स बंगला बनाने के लिये कार्यवाही शुरू हो जायेगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय फिरंगी प्रसाद जी से अर्ज करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें और सदन अनुदानों को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 52 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52—वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,38,22,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65 के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65—पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,08,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

52–वन, अनुदान संख्या 65–पर्यटन, अनुदान संख्या 80–वनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 85–पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूण अनुदान संख्या 80 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80––वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनरशि के अतिरिक्त 8,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 85 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85––पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

नियम 51 के अन्तर्गत एक माननीय रुद्र प्रसाद का है, मिर्जापुर जिले में तथाकथित अराजकता एवं असुरक्षा की स्थति से उत्पन्न संकट। इसे मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

एक माननीय श्याम मिश्रा का है, लखनऊ में निर्मित गोमती बैराज में ठेकेदार व सम्बन्धित विभाग के अभियन्ताओं द्वारा तथाकथित करोड़ों रुपये का घोटाला। यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

एक श्री दीपनारायण का है, देवरिया जिले के विभिन्न ग्रामों में अग्निकांड की दुर्घटना से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में। यह अग्निकांड में जो वक्तव्य होने को है, उसमें इसको जोड़ दिया जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, वाराणसी के ए0 पी0 ओ0, चेतगंज तथा कोतवाल, चौक के विरुद्ध भारतीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये अनशन के सम्बन्ध में है, उसमें क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

वाराणसी के ए0 पी0 ओ0, चेतगंज तथा कोतवाल, चौक के विरुद्ध भारतीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये अनशन के सम्बन्ध में जो है, उसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, बाकी अस्वीकृत हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, तहसील हाटा, जिला देवरिया के विभिन्न ग्रामों में अग्निकांड की दुर्घटना के सम्बन्ध मे हमारा प्रश्न है, उसमें क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

वह अग्निकांड के बारे में स्वीकार तो है, अग्निकांड में जो स्वीकार किये हैं, उसमें आपका और एक और जोड़ दिया जायगा।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 8 हजार एकड़ जमीन हरियाना को बेंच दी गई, यह बहुत अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष—

बाकी सब अस्वीकार हैं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर, 8 हजार एकड़ जमीन हरियाना को बेंच दी गई, यह बड़ा अहम मसला है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जो जमीन हरियाणा को दे दी गई है उसके बारे में मैंने भी एक सूचना दी थी, उस पर क्या हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने 4 को स्वीकार किया है और शेष अस्वीकृत हैं।

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, एक डी0 एस0 पी0 की हत्या कर दी गई है, उसके बारे में मैंने सूचना दी थी, उसके बारे में क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो सबसे महत्वपूर्ण हो, उसे आप तय कर लें। जैसे 2 दल हैं एक बी0 एल0 डी0 और एक जनसंघ, उनके नेता लोग बता दें कि किसको आप चाहेंगे कि स्वीकार किया जाय उस पर हमें कोई एतराज नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा)—

मान्यवर, गोंडा में आग लगी हुई है। उसमें आपने क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने 4 को स्वीकार किया है। आप अपने दल से तय करके बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण कौनसा है, उस पर हम विचार कर लेंगे। जितने अग्निकांड के बारे में सूचनायें आई हैं, जब इस सम्बन्ध में वक्तव्य होगा उसमें उनके नाम जोड़ दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, चकबन्दी विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया....

(सदन में अत्यधिक शोर होने पर और कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

इसका मतलब यह है कि आप आधे घंटे की चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। क्या मैं ऐसा समझूं।

(व्यवधान)

(सदन में कई सदस्य एक साथ बोलते रहे।)

गोरखपुर जनपद के सहजनवां थानान्तर्गत ग्राम भक्सा के समीप पुलिस की मौजूदगी में दो दलों के मध्य संघर्ष के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि मैंने प्रश्न किया था कि 13 फरवरी, 1975 को प्रातः 9 बजे के करीब गोरखपुर जनपद के सहजनवां थानान्तर्गत भक्सा ग्राम के समीप दो दलों में खेत की फसल के सम्बन्ध में भयंकर संघर्ष पुलिस की मौजूदगी में हुआ और हथगोले और बन्दूकों का प्रयोग हुआ जिसमें अनेक लोग घायल हुए। क्या यह सही है कि उपरोक्त भयंकर संघर्ष की संभावना की जानकारी 3 माह पूर्व जिलाधिकारी को दी जा चुकी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मेरा यह प्रश्न था और माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में यह कहा कि दिनांक 13 फरवरी, 1975 की घटना सम्बन्धी कोई पूर्व सूचना जिलाधिकारी को प्राप्त नहीं थी।

उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि क्या 12 दिसम्बर, 1974 को सहजनवां के थानेदार ने एस0 डी0 एम0, सदर और एस0 एस0 पी0, गोरखपुर को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उसने कहा था कि मुझे सूचना मिली है कि ग्राम भक्सा के किसान आज जिलाधिकारी महोदय के पास समूह बनाकर गये और पत्रक दिया। एस0 पी0 को दे रहे हैं यही। और यह भी दिया उसमें कि हलका कांस्टेबिल ने सूचित किया है कि भक्सा सिसई के निवासियों ने गुप्त रूप से यह तय किया है कि जब जीविका नहीं तो जीव रह कर क्या करेगा और निकट भविष्य में गम्भीर बलवा की आशंका है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इन्कार कर दिया था कि जिलाधिकारी को सूचना नहीं थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

सी0 एल0 पांडे, डी0 एस0 पी0 जो फरेन्दा सर्किल पर थे उन्होंने अगस्त और फिर नवम्बर, 1974 में कई रिपोर्टें फर्जी तौर से यह करायीं कि ग्राम तुर्कीवालिया की आराजी न0 1 की 33 एकड़ भूमि, ग्राम अमसार की आराजी नं0 881(4) 1 की 40 एकड़ जमीन और ग्राम एकना की आराजी न0 220 की 150 एकड़ भूमि और मंगवरा के बारे में उन्होंने एक सूचना एस0 डी0 एम0, सदर को दी कि इन पर भक्सा के लोग जबरदस्ती आकर कब्जा कर रहे हैं और इसको 145 में कुर्क किया जाय। उसी के आधार पर 10 नवम्बर, 1974 को यह हुआ कि जो प्लाट नम्बर दिये गये हैं भक्सा की एक हजार एकड़ जमीन पर पुलिस कब्जा कर ले। इस सम्बन्ध में मैंने भी जिलाधिकारी से बातचीत की। उनसे कहा कि 2 हजार एकड की वह आराजी है, एक हजार एकड की फसल पुलिस जबरदस्ती जब्त कर ले रही है, बाकी इनके 6-6 सौ, 8-8 सौ आदमी आ कर रोज काट रहे हैं। थानेदार ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं दिया कि दिनांक 12 दिसम्बर, 1974 को कि भक्सा से गरीब डेढ़ किलोमीटर दूर होने पर वहां के लोगों की आधी फसल बर्बाद हो जाती है और भक्सा की फसल के नुकसान को देख कर पत्थर भी रो देता है। लेकिन मुझे तरस आ रहा है इस गवर्नमेंट पर और खास कर ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रतिनिधि हैं डी0 एम0 उनसे किसान जा कर मिल रहे हैं। सब-डिवीजन के जो प्रतिनिधि हैं एस0 डी0 एम0 और सी0 ओ0 सर्किल, ये दोनों मिल कर जो लोग खेत काटने आ रहे हैं उनको रोकें। लेकिन वहां गारद नहीं रखी गयी। बजाय इसके भक्सा गांव पर ही गारद लगा रहे हैं और अन्ततोगत्वा गारद की मौजूदगी में दिनांक 14 फरवरी, 1975 को 6-7 सौ आदमी हथगोले और बन्दूकों से लैस हो कर आते हैं और हथगोले फेंकते हैं। हथगोले उसी तरफ के आदमियों को लग रहे हैं। गारद का सिपाही बयान दे रहा है मुकदमा कायम होने पर कि हम लोगों की मौजूदगी में संघर्ष हुआ और सरकार ने कह दिया कि पुलिस मौजूद नहीं थी।

मान्यवर, जब लूटने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जायगा और असल जमीन वालों को हतोत्साहित किया जायगा तो ऐडमिनिस्ट्रेशन और कानून-व्यवस्था में लोगों को कैसे विश्वास होगा। यह भी हुआ कि फसल जब्ती के बाद मैं स्वयं गया वहां पर और मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया कि दजबरदस्ती 7-8 सौ एकड़ फसल भक्सा गांव के लोगों की रोक ली गयी है। उस फसल को काटने नहीं दे रहे हैं जबकि एक भी नम्बर वहां का जब्त नहीं है। उसके बाद मैंने जिलाधीश महोदय से बात की और मुख्य मन्त्री से जो मैंने निवेदन किया था उसका रेफरेन्स दिया। उसके बाद आदेश होता है 12 तारीख को कि दोनों थानेदार मौके पर जायं और भक्सा गांव के सीमांकन को देखें। फसल बरबाद हो चुकी थी। मैं भी कानूनगो, लेखपाल तथा सब-इन्सपेक्टर वगैरह को साथ लेकर गया और मेरी मौजूदगी में सीमांकन हुआ। दोनों जगह के थानेदारों के हस्ताक्षर भी हुये। मान्यवर यहां के सुपरवाइजर कानूनगो ने मुझे लिख कर भी दिया है—

"श्रीमान् जी, भक्सा तथा उत्तर हवेली परगना हसनपुर भगटा, तहसील सदर गोरखपुर की लगभग 500 एकड़ भूमि फसल रबी व गन्ना जातशुदा जमीन ग्राम एकमा, तुर्कीवालिया की फसल के साथ रोक ली गयी है जिसका सर्वेक्षण भी विधायक महोदय, सहजनवां तथा सी0 ओ0 महोदय, सहजनवां के साथ किया गया।" इसमें हस्ताक्षर हैं कृपा नारायण के और प्रमाणित किया है सुपरवाइजर कानूनगो ने। यह दिनांक 13 अप्रैल, 1975 का पत्र है। यह सारी चीज जब कम्पलीट हो गयी, मैं यहां विधान सभा

चला आया उसके बाद वहां सी0 ओ0 पहुंचते हैं मिस्टर पांडेय, यह सी0 ओ0, फरेन्दा थे जब यह जब्ती की गयी थी, इन्होंने पैसा लिया और नाजायज तरीके से एक हजार एकड़ जमीन को बरबाद करवा डाला।

500 एकड़ की फसल को कटवा दिया और 500 एकड़ की फसल को रुकवा दिया और किसानों से कहा कि अब तुम असेम्बली में क्वैश्चन के जरिये जो चाहो कराओ यह प्रजातन्त्र है, जनता अपने प्रतिनिधियों को यहां भेजती है, उनके दुख दर्द को हम यहां रखते हैं। प्रश्न करने वाला यहां पर मैं हूं। उन किसानों ने कोई जुर्म नहीं किया था। उनको अगर किसी प्रकार का बदला लेना था तो मुझसे लेते, सरकार यदि बदला लेना चाहती थी तो मुझसे लेती, उन गरीब किसानों ने उनका क्या बिगाड़ा था। उनका क्या दोष था जो उनकी फसल काटी जा रही थी। कल दिघे जी ने मुझे बताया कि योगेन्दर सिंह इन्सपेक्टर कह रहे थे कि बलवा होने वाला है। मैं जा रहा हूं। मैंने सोचा वे बड़े हमदर्द हैं किसानों के कि वहां जा रहे हैं ये लोग गये। मगर वहां एस0 आई0, सहजनवां के निदेश से किसानों की फसल कट रही थी और उनको तबाह करना शुरू कर दिया गया था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आधा घंटा का समय यदि माननीय सदस्य ही ले लेंगे तो सारा समय इनके भाषण में ही चला जायेगा। (व्यवधान)

श्री शारदा प्रसाद रावत—

इस तरह से एक मिनट हाउस नहीं चलेगा, आधा घंटा की आप बात करते हैं। शर्म नहीं आती। इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपके निकम्मे आफिसर यह सब कर रहे हैं और कहने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

मैं एक मठेरा ग्राम का मामला भी उठा चुका हूं जहां सवर्णों ने अत्याचार कर रखा है। वह गांव 100 फीसदी बाढ़ से बरबाद हो चुका है। मैं ऐसी स्थिति में जानना चाहता हूं कि वहां सी0 ओ0 ने जब कि कुर्की करा रखी है और फसल को रोके हुये हैं तो इस वक्त मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या करने जा रही है और यदि कुछ नहीं करने जा रही है तो मान्यवर मुझे वह बतलावें कि यह प्रजातन्त्र किस तरह का है और मैं क्या करूं जिससे यह सरकार सुने ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, यह प्रसन्नता का विषय है कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सतर्क हैं और जैसा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के गांवों की समस्याओं के बारे में विवरण दिया है वह स्वत: स्पष्ट है कि वहां कुछ प्रयास किया गया है। अब उन्होंने तो कल परसों तक की बात कही और जो इस बीच में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिलाधिकारी को आदेश दिया, अभी तीन चार दिन की कार्यवाही का उल्लेख जो किया, मेरे पास सूचना नहीं है कि हर चीज के बारे में चर्चा करूं लेकिन कुछ पिछली बातें हैं जो पुरानी पड़ गयी हैं। क्योंकि यह मामला अब आगे बढ़ गया है और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है जैसा कि उन्होंने खुद बतलाया है। माननीय सदस्य ने कहा कि सी0 ओ0, सदर, श्री पांडेय की कार्यवाही से उनको शिकायत है। तो श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आज वे जा रहे हैं, तो मैं जिलाधिकारी से पुछवा लूंगा और रात में टेलीफोन करवा दूंगा कि माननीय

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सदस्य से वे मिल लेंगे और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो आदेश दिया है और दोनों गांवों की फसलों के बारे में न्यायालय का जो निर्णय हुआ है उसके अनुसार वे फसलों को ठीक तरीके से आपस में बंटवा देवें जिससे किसानों को नुकसान न हो। मैं उन आदेशों को फिर दोहरा देता हूं और माननीय सदस्य कृपा करके जिलाधिकारी से जाकर मिलने का कष्ट करेंगे जिससे उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जा सके।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने 12 तारीख की बात कही, यह बड़ा लम्बा मामला है, फसल आदि काट दी गयी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता यह ठीक है कि 12 दिसम्बर को थाना सहजनवां के थानेदार और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट लिखायी गयी और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा---दोनों के अलग-अलग क्षेत्र हैं। एक गांव सहजनवां थाने के क्षेत्र में पड़ता है और दूसरा गांव पीपीगंज के थाने के क्षेत्र में पड़ता है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया एक बार यह भी हो गया कि "अ" की जमीन "ब" को और "ब" की जमीन "अ" को पहुंच गयी, फिर इसका विरोध हुआ और आपस में झगड़े हुए और इस तरह से लगातार प्रयास होते रहे कि जो भी आदेश हों अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनका अनुपालन होना चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

माननीय मन्त्री जी द्वारा आसानी से इस तरह से बात को टालने से काम नहीं चलेगा। एक हजार एकड़ की फसल जो साल में एक ही बार होती है और इस साल बड़ी अच्छी फसल हुई थी, जब कि पूरी फसल कट चुकी है, आपके आफिसरों ने एक हजार एकड़ की फसल को रोक रखा है। श्रीमन्, यह पता लगाने की कोशिश करें कि कौन-कौन से आफिसर उसके लिये जिम्मेदार हैं। एस0 डी0 एम0, सदर और सी0 ओ0, सदर ने मिल कर काफी रुपया लिया है और उन्होंने इस पार के---बांयीं तरफ के गांव वालों से वादा किया है कि हम तुमको यह जमीन दिलवा देंगे। वे दिलाना इस तरह से चाहते हैं कि लगी लगायी फसल तमाम बरबाद कर दी जाय, उसके बाद गरीब हरिजन किसान अपने आप परेशान होकर उसे छोड़ देंगे।

आप दो तीन बातों की जांच करवायें। जो 5 हजार रुपये मिलने की बात है, उसे देखें, जो एस0 डी0 एम0 ने फसलें रोक रखी हैं इसको भी दिखलावें कि किस तरह से उन्होंने ऐसा किया कि पहले तो भक्सा गांव वालों को दिया, फिर उन पर 145 कर दिया और उधर फिर जब छगड़ा हुआ तो दोनों गांव वालों पर 145 कर दिया। इसके बाद फिर दोनों पर रिलीज आर्डर हुआ। वहां देखें कि कितनी बड़ी बेईमानी हुयी है। रिलीज आर्डर करने के बाद उन गांवों को कह दिया कि जाओ काट लो। उन्होंने काट लिया। उनका रिलीज आर्डर उसी दिन करते हैं लेकिन तारीख नहीं डालते हैं और दूसरी पार्टी को नकल दे देते हैं। 3 दिन के बाद वह नकल से अपील कर देते हैं और स्टे लेकर आते हैं। तब किसानों को रिलीज आर्डर गया है। पुलिस मिलकर रोके रही तो क्या इन सारी फाइलों को आप मंगा कर देखेंगे और निर्णय लेंगे। क्योंकि बड़ा भारी घपला इन गरीबों को लूटने के लिये सी0 ओ0, सदर और एस0 डी0 एम0, सदर ने किया है। और उन्होंने कितने रुपये इस मामले में लिये हैं क्या आप इन बातों की जांच विजीलेंस के सुपुर्द करेंगे, जिससे असलियत आ जाय।

डी0 एम0 की बात कही है। डी0 एम0 को फोन करने के लिये शुक्रवार को मुख्य मन्त्री ने आर्डर किया। उन्होंने अग्रवाल साहब को आर्डर किया कि फोन कर दें।

फोन कर दिया। डी0एम0 ने खाली कानूनगो और पटवारी और थानेदार को भेज दिया। वहां जाकर यह सीमांकन हो गया इसके बाद वहां खूंटा डंडा गड़ गया। कानूनगो के दस्तखत हैं, थानेदार के दस्तखत हैं। फिर जब यह इसके बाद यहां चले आते हैं तो सी0 ओ0 आते हैं, एस0 डी0 एम0 आते हैं और आकर के 245 एकड़ जमीन की फसल रुकवाकर वादियों से कटवाते हैं। नपवाते हैं, जो वादी है उससे। कानूनगो, पटवारी, अमीन से नहीं नपवाते हैं, नपवाते हैं राम आसरे सिंह से जो वादी है। इन सब बातों से क्लियर है कि इन लोगों ने जरूर भक्सा के गरीब किसानों और हरिजनों को लूटने के लिये यह किया। मैं निवेदन करूंगा कि इसको सवाल की शक्ल में न देखकर, सभी माननीय सदस्यों की भावना को समझ कर आप इस गांव का उद्धार करें और इन अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा मंजूर करें। लगभग 2200 क्विंटल की लूट कर ली गयी है, इस तरह से। तो यह मामला आप विजीलेंस को दे रहे हैं या नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुअज्जिज मेम्बर कुबूल करेंगे कि यह जो प्रश्न उठे हैं तो यह तो नये प्रश्न हैं। पुराने प्रश्नों की पहले चर्चा की बात थी। तो यह तो दूसरा पहलू है जिसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। यह सब नये प्रश्न हैं। आपने जो उल्लेख किया है और जो तथ्य दिये हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इनको आप लिखकर दे दें। क्योंकि आपने रुपयों का मामला बताया, कागजों की बात की। तो अगर विजीलेंस को भेजने की राय होगी तो भेजा जायगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

अध्यक्ष महोदय, एक भी अक्षर गलत हो तो मान्यवर हम लोग इस्तीफा लिख दें या जो सजा हो वह लेने को तैयार हैं। 800 एकड़ की फसल उन लोगों की जान-बूझकर बरबाद करवा दी है।

श्री अध्यक्ष—

यह जो सूचना दी है तो जो व्याख्यात्मक टिप्पणी है उसमें ....

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मन्त्री जी ने यह फरमाया कि यह सब नये सवाल है इसकी जानकारी नहीं है। नये प्रश्न हैं। तो मैं कहना चाहता हूं और जैसा चर्चा में बात आयी, जिलाधिकारी, गोरखपुर को जानकारी थी या नहीं। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस निष्कर्ष पर पहुंच गये कि जिलाधिकारी, गोरखपुर को जानकारी थी? जैसा कि रिपोर्ट से जाहिर है, दिनांक 12 दिसम्बर, 1974 की।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है उसमें लिखा था कि झगड़े की जानकारी, यहां पर ऐसी स्थिति है, उनको एक आवेदन-पत्र 11 दिसम्बर को दिया गया था। इसके बाद न्यायालय से आदेश हुआ। पुलिस को आदेश हुआ कि रोके रखना है। कुछ करना है, तो यह सही है कि इस प्रकार की स्थिति की जानकारी उनको पहले से थी।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं.....

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मैं पहले एक सवाल कर लूं । मान्यवर, क्या गोरखपुर के जिलाधिकारी को यह निर्देश देने की कृपा करेंगे कि मौजा भक्सा की कितने एकड़ जमीन को पुलिस ने जबर्दस्ती रोक लिया, नपवाकर। कितने काश्तकार की जमीन थी, क्या सकी जांच के लिये, पैमाइश के लिये निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जैसा मैंने कहा कि जिलाधिकारी को आज टेलीफोन करेंगे । यदि वह दौड़े पर होंगे तो ए0 डी0 एम0 (इ) जो होंगे तो उनसे कहेंगे कि यदि जिलाधिकारी न जा सकें तो वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजें।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा मन्त्री जी ने कहा कि जिलाधिकारी को टेलीफोन करेंगे, तो क्या वह इस बात की जानकारी करेंगे कि कानूनगो और लेखपाल को भेजकर उस जमीन को नपवा दिया था और खूंटा गड़वा दिया था, उसके बाद एस0 डी0 एम0 से और सदर के अधिकारी से मिलकर वादी पक्ष ने फसल को कटवा लिया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह बात, जहां तक मैं समझ पाया उसको भी पूछ लूंगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, जैसा ऊदल जी ने पूछा है कि सरकारी आदमियों ने सीमांकन करवा दिया और उसके बाद क्या मन्त्री जी जानने की कोशिश करेंगे कि डी0 एम0 के आर्डर पर नहीं गये थे, पहले मुद्दई के साथ गये और सीमांकन के बाद 245 एकड़ की फसल कटवा लिया। तो वह किसके द्वारा फसल काटी गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमान्, यह कहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी के आदेशों का पालन करें।

श्री किरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, 5 हजार रुपये देने की बात है तो क्या इसी से श्री सिंह को खेत काटने की छूट दी गयी कि 5 हजार रुपये की रकम पूरी कर ले ? क्या मन्त्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमान्, माननीय सदस्य यह लिखकर दे दें।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह प्रश्न किया गया था उस दिन भी मैंने यह पूछा था कि जब यह जिलाधीश को मालूम हो गया कि दो थाने पी0 पी0 गंज और सहजनवां अलग-अलग हैं। दोनों मिलकर इस झगड़े को बढ़ा रहे हैं। तो उस वक्त जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाही क्यों नहीं की ? जब रिपोर्ट आ गयी कि मौके पर झगड़ा हल किया जा सकता है तो उस वक्त झगड़ा क्यों हल नहीं किया गया। यदि उस समय हल कर दिया जाता तो नये प्रश्न न खड़े होते। इसलिये क्या मन्त्री जी पूछेंगे कि उस वक्त मामला क्यों हल नहीं किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो बात माननीय सदस्य ने उठायी है वही मैंने पूछा था। मुझे यह बताया गया कि जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के हैं उन्होंने सी0ओ0, सदर को इसलिये भेजा कि एस0 डी0 एम0 और सी0 ओ0 दोनों मिलकर ज्वाइन्ट इन्क्वायरी करें और भक्सा गांव और पी0पी0 गांव के बारे में रिपोर्ट करें।

श्री मधुकर दिघे —

मैंने मान्यवर, झगड़े की बात नहीं किया बल्कि यह निवेदन किया कि दो थानों के द्वारा दो पक्षों का मामला है। सहजनवां का थाना कहता था कि पूरी जमीन हमारे में है। तो पी0 पी0 का थाना क्यों गया और जब अधिकारियों के सामने मामला आया तो उन्होंने जानकारी क्यों नहीं की? एस0 डी0 एम0 के कोर्ट में निर्णय हो चुका था, दोनों के पक्ष में फैसला दिया जा चुका था। लेकिन एक को मौका दिया गया कि स्टे आर्डर ले आओ और फसल काटो और दूसरे को मौका नहीं दिया गया। उसी कारण मारपीट और झगड़ा हुआ तो शुरुआत में ही क्यों नहीं इसकी रोकथाम हुई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसकी जांच करा देंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

सी0 ओ0, सदर और एस0 डी0 एम0, सदर ने पब्लिक में कहा कि चूंकि एसेम्बली में यह सवाल हो गया है इसलिये असेम्बली के सवाल के मुताबिक ही काम करेंगे, तो मन्त्री जी इस सम्बन्ध में मेरी इस बात को सही मानते हुये, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने को तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग प्रश्न हो गया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, कभी-कभी यह कह दिया जाता है कि विशेषाधिकार का प्रश्न तो अध्यक्ष जी से सम्बन्धित है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऐक्शन लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कह रहे हैं लेकिन जब आप सप्रमाण कोई बात कहते हैं तो दूसरा मामला हो जाता है।

सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य था निर्बलों और जो पीड़ित हैं उनको सहायता पहुंचाना। परन्तु दुर्भाग्य है कि इस सहकारिता आन्दोलन में इतने घटिया लोग घुस गये कि सब चौपट कर दिया....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पर आ जायं....

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं उसी पर आ रहा हूं। मैंने आपके सामने कई बार रखा है कि इतना भ्रष्टाचार जो इस सहकारी आन्दोलन में हुआ है उसका कारण है कि लखनऊ में बड़े-बड़े आफीसर जो इसके सचिव हैं वह इसमें शामिल हैं और माननीय मन्त्री जी और यह सरकार कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। मेरा आरोप था कि संयुक्त सचिव, श्री श्यामबिहारी लाल उनके यहां जो फ्रीज है वह एक फर्जी नाम से लिया गया है और उस विदेशी फ्रीज की कीमत बाजार में 8-10 हजार रुपये है जब कि माननीय अध्यक्ष महोदय उनको 3,000 रुपये का दिया गया है और हामिद, मालरोड, कानपुर के नाम से लिया गया है और उस व्यक्ति का नाम नहीं है। इतनी स्पष्ट जानकारी होते हुये भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार पिछले वर्ष जब मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा और जिन अफसरों के खिलाफ मैंने आरोप लगाये तो उनका उस समय अगर पे स्केल 600–1250 था तो उनका स्केल 1300–1600 कर दिया गया यानी उन गम्भीर आरोप के बावजूद भी प्रमोशन दे दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यहां कोयले का भाव बढ़ा तो पी0 सी0 एफ0 ने निर्णय लिया कि बड़े-बड़े शहरों में उपभोक्ताओं को ठीक रेट पर कोयला देने के लिये खरीद की जाय और लखनऊ, बनारस, आगर, कानपुर, जैसे बड़े-बड़े शहरों में करोड़ों रुपया का कोयला खरीदा गया लेकिन यह कोयला घटिया था और कम कीमत पर खरीदा गया था लेकिन आज भी वह कोयला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। लाखों रुपया पी0 सी0 एफ0 को नुकसान हुआ। यही नहीं ढुलाई पर जो पैसा खर्चा हुआ वह ड्योढ़ा हुआ और फर्जी दिखाया गया।

इसी तरह के पुराने रेट की जो खाद थी उसको पुराने रेट पर ही बिकना था लेकिन पी0 सी0 एफ0 के पास 10 करोड़ की खाद थी। यह सांठ-गांठ हुई कई जगह कि चुपचाप उस खाद को रजिस्टर पर पुराने रेट पर चढ़ाया गया और कीमत ली जाय किसानों से दुगनी। इस प्रकार की शिकायतें आयीं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं फर्रूखाबाद का। पर्चे बांटे गये और यहां लिखित शिकायत आयी कि किसानों से पुराने रेट के दुगने दाम लिये गये। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें शामिल थे गोदाम कीपर मु0 अशफाक। यह फर्रूखाबाद के रहने वाले हैं। लाखों रुपये के खाद का घोटाला किया है। आज भी वह वहीं हैं। एक लाख से दो लाख तक रिश्वत ली है। शिकायत की गयी, पर्चे बांटे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने उस दिन भी कहा था।

माननीय मन्त्री जी को 16 अगस्त को एक शिकायती-पत्र भी दिया था और उसी आधार पर सवाल भी किया था। लेकिन शिकायती-पत्र दूसरा था और उत्तर दूसरा था। सवाल यह था कि रामजीत सिंह और लाखन सिंह सुपरवाइजर्स का स्थानान्तरण कर दिया जाय। जो गम्भीर आरोप उनके ऊपर हैं उन पर क्या कार्यवाही की है? सवाल की भाषा इस तरह की थी लेकिन जवाब कुछ दूसरा ही दिया गया। और तभी अध्यक्ष महोदय आपने इसके ऊपर चर्चा स्वीकार की। अध्यक्ष महोदय पी0 सी0 एफ0 का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। इसमें वीरपाल सिंह ने 80 हजार रुपये खर्चे का लिया और यहां के अफसरों ने 50 हजार रुपया लिया। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।

इसी तरह से पी0 सी0 एफ0 के लिये बोरों की खरीद कलकत्ते से की गयी लेकिन उनका आज तक पता नहीं है। यह सारा काम जो श्याम बिहारी लाल संयुक्त सचिव हैं उनके माध्यम से हो रहा है। यह आगरे के निवासी हैं। एक दूसरे अधिकारी हैं वह भी आगरे के हैं। ये दोनों मिलकर पी0सी0एफ0को खा रहे हैं लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती।

मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। वहां जिला कोआपरेटिव बैंक में एक जीप पहले से थी लेकिन वहां के जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं वह कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनका यह काम रहा है कि जहां भी वह रहे चाहे मारकेटिंग सोसाइटी में, सहकारी संघ में उसको ही चौपट कर दिया। जनवरी में 42 हजार की जीप खरीदी। छः सात हजार किलो मीटर चल चुकी है। इसीलिये मैं कहता हूं कि सहकारी आन्दोलन में ऐसे लोग घुस आये हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिये इस सारे आन्दोलन को इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसी प्रकार से इन्होंने अपने भाई को जो सहायक कैशियर था जिला कोआपरेटिव बैंक में सहायक अधिकारी नियुक्त कर दिया और 15 हजार के फर्जी वाउचर लगाकर यह पैसा अपनी जेब में ले लिया। सन् 1967-68 में वहां 28 कर्मचारी थे और आज 68 हैं। इन सबमें वहां के जो संचालक मन्डल के लोग हैं उनके रिश्तेदार भाई-बन्द हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। इटावा डी0सी0डी0एफ0 की जमीन थी। उस जमीन को संचालक मन्डल ने एक डेढ़ लाख में खरीद कर प्लाट्स बनाकर आपस में बांट लिया। आज उस जमीन की कीमत दस लाख से कम नहीं है। तो मन्त्री जी उसको देखें और पायेंगे कि जो जमीन है वह संचालक मन्डल के नाम में है या उनके रिश्तेदारों के नाम है। तो डी0 सी0 डी0 एफ0 की जमीन को भी अपने नाम करा लिया। इस तरह से मान्यवर, देखेंगे कि किस तरह से इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार इसमें फैला हुआ है। जिस प्रकार से लोग समाजवाद से नफरत कर रहे हैं, उसी प्रकार से अब इस सहकारिता आन्दोलन से लोगों को नफरत हो रही है।

इस तरह से मैंने इटावा जिले की कोआपरेटिव बैंक के भ्रष्टाचार और डी0 सी0 डी0 एफ0 की जमीन के बारे में बात कही। दूसरी तरफ जो विशेष अनुसन्धान शाखा है, उसके बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की वैसे तो यह बहुत अच्छी शाखा है, लेकिन इसका काम ज्यादातर गरीब लोगों के ऊपर है। बड़े लोगों के खिलाफ कोई काम नहीं किये। बड़े लोग, जिन पर काफी बकाया है और जिन्होंने जमीन हड़पी है, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी इसके द्वारा। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि रामजीत सुपरवाइजर जो इटावा का है, उसके पास 2 ट्रैक्टर, 2 ट्रक, एक मोटर सायकिल है, जबकि उसकी तनख्वाह केवल 240 रुपये के लगभग थी। जब वह नौकरी में आया, उसके केवल 4/5 एकड़ जमीन थी, जबकि आज उस के पास करीब 20 एकड़ जमीन हो गयी है। जब उसके खिलाफ इस अनुसन्धान शाखा द्वारा जांच की गयी तो मन्त्री जी ने सवाल के उत्तर में कहा कि उसके खिलाफ सारे आरोप निराधार थे! इस तरह से, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अनुसन्धान शाखा भी लोगों से मिल चुकी है, क्योंकि रामजीत सुपरवाइजर के बारे में अगर 50 हजार जनता के बीच में बात करें, तो एक-एक किसान यही कहेगा कि किस तरह से उसने किसानों को लूटा है। मन्त्री जी ने कई बार प्रयास किया कि उसको खेड़ा धौलपुर से ट्रान्सफर किया जाय, लेकिन हटा नहीं सके।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

उसी तरह के एक लाखन सिंह सुपरवाइजर हैं। उसने भी जमीन खरीदी। किसानों में बांटने के लिये जो सस्ता कपड़ा था, उसको बेच लिया और अब मकान बनाना शुरू कर लिया है। उसके खिलाफ दरख्वास्त दी गयी, तो सारे आरोप निराधार पाये गये। इस तरह से इस अनुसन्धान शाखा में गड़बड़ी चल रही है। आपके सामने रामजीत, सुपरवाइजर का केस है, लाखन सिंह सुपरवाइजर का केस है, कोयले का मामला है, डी0सी0 डी0 एफ0 का मामला है। नियमों के अनुसार, सहकारिता विभाग के जो हैं, कोई भी जहाज से नहीं जा सकता। लेकिन लोग जहाज से गये और किसानों के पैसे का दुरुपयोग हुआ। एक ओ0पी0 त्यागी हैं। रोशन लाल रिपोर्ट आयी जिसके अनुसार 14 करोड़ का घोटाला दिखाया गया। लेकिन उसको किस तरह से छिपाया गया? मैं कहता हूं कि किसी हाई-कोर्ट के जज को नियुक्त कर दें उसके लिये तो पता चलेगा कि 14 करोड़ का घोटाला था, उसको किस तरह से छिपा दिया गया?

इसी तरह से जो कृपानाथ घुसिया हैं, जो एक आई0 ए0 एस0 अफसर हैं, उन्होंने भी भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक अपनी रिपोर्ट दी, इस विभाग के बारे में, जो मार्च 1972 से 1973 तक के बारे में है। लेकिन उस सब को छिपा दिया गया। माननीय गोपीनाथ जी दीक्षित, जो सहकारिता मन्त्री थे, उन्होंने 4 मार्च, 1973 को स्वयं लिखा कि जो घुसिया रिपोर्ट थी, वह किस तरह से नाटकीय ढंग से अफसरों द्वारा छिपा दी गयी और तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी से भी वह किस तरह से छिपा ली गयी और उनके सामने इस रिपोर्ट को नहीं जाने दिया। मुझे पता चला है कि वर्तमान मुख्य मन्त्री जी भी घुसिया रिपोर्ट से सहमत हैं। वह रिपोर्ट 3 खण्डों में है जिसमें दिखाया गया है कि सहकारिता में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा किस तरह से दबाया जाता है। जो ईमानदार अफसर हैं उनको किस तरह से बदनाम किया जाता है? इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि जो 6, 7 आरोप मैंने लगाये हैं अधिकारियों के खिलाफ नाम ले कर उनके सम्बन्ध में जानकारी आप देंगे और यह भी बतलायेंगे कि क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है और वह उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक शिकायत की थी जिसके लिये समय दिया गया था वह है कि प्रार्थना-पत्र दिनांक 16 अगस्त, 1974 का लेकिन जिन आपत्तियों के लिये आज का समय निर्धारित किया गया था उनसे विचलित हो कर वह दूसरी तरफ चले गये। अपने जिले या दूसरे सुपरवाइजर्स की उन्होंने बहुत सी बातें कहीं। 9 चार्जेज उन्होंने लिख भी दिये थे जिनके विषय में उन्होंने मुझ से बातें पूछनी चाहीं। उन्होंने फ्रिज का क्वेश्चन रखा जिसका मैंने जवाब दिया था कि फ्रिज के सवाल को तहकीकात के लिये भेज दिया है।

जो प्रार्थना-पत्र दिनांक 16 अगस्त, 1974 का मेरे कार्यालय में आया उसको मैंने मनोरंजन साहब आई0ए0एस0 हैं और बाहर गये हुये हैं उनके पास कार्यवाही के लिये भेज दिया है और वह उस पर तहकीकात कर रहे हैं। शायद 10, 15 दिन में आ जायेंगे और आपके प्रार्थना-पत्र पर तहकीकात होकर रिपोर्ट आ जायगी। यह जो माननीय सदस्य ने कहा कि उनको नहीं बुलाया गया तो मैंने यह बताया था कि जिस समय तहकीकात दुबारा आ कर वह करेंगे उस समय माननीय सदस्य को वह बुलायेंगे।

कोयले के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं और मैं अलग-अलग उनकी बहुत सी बातों का जवाब देना चाहूंगा। रोशन लाल की जो बात माननीय सदस्य ने कही तो अपनी तहकीकात में एक रिपोर्ट उन्होंने दी और उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूगा कि जितनी भी तहकीकात या कार्यवाही होनी चाहिये थी वह इस वक्त तक कर चुके हैं और अगर उसके बाद भी माननीय सदस्य यह समझते हैं कि कुछ बातें रह गयी हैं तो वह मुझे सूचित कर देंगे तो मैं दुबारा तहकीकात करा लूंगा। रोशन लाल जी की रिपोर्ट 1968-69 के बेसिस पर थी। उन्होंने यह लिखा है कि ढाई तीन करोड़ रुपये के अपहरण का मामला है। समुचित कार्यवाही हेतु फर्टिलाइजर का स्टाक बेरिफिकेशन कराया गया जो रजिस्ट्रार के माध्यम से होता है। 68,69,70,71 तथा 72 में कुल 46 करोड़ रुपये का स्टाक हैंडिल किया गया और उसमें 1.3 परसेंट की कमी पाई गयी।

एक सदस्य--

चोरी की गयी।

श्री नारायण सिंह--

चोरी नहीं की गयी। मेरी बात सुनने के बाद आप निष्कर्ष निकालेंगे। रेलवे ट्रक आदि में जो ट्रान्सपोर्ट शार्टेज होता है उससे यह हुआ और वह कमी 1.3 प्रतिशत आई। जहां तक कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है तो रोशन लाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 19 कर्मचारियों को सर्विस से हटा दिया गया।

श्री मधुकर दिवे (जिला गोरखपुर)--

यह भी बतला दें कि नियम के अन्दर उतनी शार्टेज है या नहीं ?

श्री नारायण सिंह--

जो नियम से ज्यादा है उसे मैं स्वीकार स्वयं कर लेता हूं। दूसरा प्रश्न यह था कि रोशन लाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। उसमें 19 आदमियों को सेवा के हटा दिया गया है, 29 के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, कुछ पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है और कुछ पुलिस के अन्तर्गत हो रही है। बाद में जो रह जायेंगे उनके ऊपर भी ऐक्शन लिया जायेगा।

कोयले की गड़बड़ी के सम्बन्ध में आपने अभी जिक्र किया। रोशनलाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पी0सी0एफ0को 1968-69 में 4 लाख रुपये का प्राफिट हुआ है.....

श्री मधुकर दिवे--

घोटाले की वजह से फायदा हुआ है ?

श्री नारायण सिंह--

घोटाला तो आप कहते हैं न....

श्री मुलायम सिंह यादव--

1968 से लेकर 1970 के बीच की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में घाटा कितना दिखाया है यह भी बता दें....

श्री नारायण सिंह--

रोशन लाल कमेटी की रिपोर्ट मोहकमें की इरेगुलैरिटीज के बारे में थी, पैसे के मिसयूज के बारे में नहीं थी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) --

क्या आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा है। मैंने तो इसे पढ़ लिया था जब यह यहां रखी गई थी। यदि आपने उसे पढ़ लिया है तो क्या आप पैरा वाइज उससे सन्तुष्ट हैं ?

श्री नारायण सिंह--

कुछ सन्तुष्ट हूं और कुछ के बारे में कार्यवाही के बाद सन्तुष्ट हो जाऊंगा। जो प्वाइन्ट मेरे सामने आये हैं वह मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं . . .

श्री मुलायम सिंह यादव--

10 लाख का घुटाला हुआ था और आप कहते हैं 4 लाख का फायदा हुआ है। आप यह बता दें कि सहकारी विभाग जो है उसमें 1968 से लेकर 1970 तक कितना लाभ हुआ ?

श्री नारायण सिंह--

कोआपरेटिव विभाग एक बहुत बड़ा महकमा है और आप कल की बात पूछते हैं। यह विषय निर्धारित नहीं था।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मन्त्री जी ने कहा कि रोशनलाल कमेटी की तहत 29 आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इन 29 आदमियों में कितने गजेटेड है और कितने नान-गजेटेड हैं ?

श्री नारायण सिंह--

यह तो मैंने निकाला नहीं कि कितने गजेटेड हैं और कितने नान-गजेटेड हैं। नाम बता सकता हूं कि कौन-कौन हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

असली बात यही है रिपोर्ट में। चाहे वह सहकारिता विभाग की रिपोर्ट हो या सचिवालय से सम्बन्धित रिपोर्ट हो उसमें सभी बड़े-बड़े अफसर जाल में फंसते हैं और उनको बचाने की कोशिश की जाती है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस चीज को देखेंगे ? चपरासी निकाल देने से काम थोड़े चलेगा। यह भ्रष्टाचार के कर्मनाशा का उद्गम स्थान है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद --

जिला बदायूं में विचरोइ घी के कारखाने के बारे में बता दें कि कितना घोटाला वहां पर है ?

श्री नारायण सिंह--

मैं नाम बता देता हूं। श्री सिब्ते हसन रिजवी, निर्गम लिपिक; जब्बार हुसेन, भन्डार नायक; विन्ध्याचल सिंह, भंडार नायक; के0एल0 मेहरोत्रा, भन्डार नायक; रघुबीर सिंह, भन्डार नायक; बैजनाथ पांडे, विपणन केन्द्र; चन्द्रदेव पांडेय, कोल सहायक; त्रिलोकी नाथ यादव, चौकीदार, हरी कृष्ण अग्रवाल इन्चार्ज विपणन केन्द्र, नूर मोहम्मद भंडार नायक।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह जो मन्त्री जी ने नाम बताये हैं उससे तो हमारे जो आरोप हैं कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती बल्कि छोटों के खिलाफ होती है, वह सही है ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

किसी रजिस्ट्रार वगैरह के खिलाफ भी ऐक्शन लिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो क्रीज की बात है जो लखनऊ सुपर बाजार से बेचा गया और कानपुर के आदमी को बेचा गया तो क्या लखनऊ सुपर बाजार का क्षेत्र जो है, वह कानपुर भी आता है ? नहीं तो वह क्यों और कैसे बेचा गया ?

श्री नारायण सिंह--

अध्यक्ष जी यह आरोप तो मुझे मिला नहीं, कहां और किस जगह बेचा गया उसको मैंने देखा नहीं। (व्यवधान)

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, विचरोई घी का कारखाना जो बदायूं में है, उसके बारे में भी. . . .

श्री अध्यक्ष--

हर-एक जिक्रे के बारे में मैं सवालों के लिये इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

माननीय अध्यक्ष जी आप सुन लें, जो रोशन लाल कमेटी की रिपोर्ट है उसमें इसके बारे में विशेष रूप से लिखा हुआ है इसलिये मैं पूछ रहा हूं। उसे आप देख लें।

श्री अध्यक्ष--

एक तरीका है। जिन पर आपने लिख कर दिया है उसके बारे में मोटे-मोटे तौर से जो कार्यवाहियां हुई हों उनको पूछ लें। लेकिन अगर किसी मन्त्री से वैसे ही पूछें अगर आपसे ही पूछा जाय कि परसों आपने क्या सवाल किया था, तो आप क्या जवाब देंगे ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद --

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रश्न उस दिन दिया था उसमें रोशन लाल कमेटी का जिक्र था और जो मुख्य मन्त्री जी को लिखा था उसमें भी दिया था, 23 आरोप थे, तो उसमें एक जनपद बदायूं की इस फैक्टरी का भी जिक्र था। उस दिन यह कह दिया था कि नहीं है। लेकिन वह आरोप मौजूद है उस खत को छिपा दिया गया था। जो 16 अगस्त को पत्र लिखा था उसमे 23 आरोप थे। उनका जवाब मन्त्री जी को देना है मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं।

श्री नारायण सिंह--

अध्यक्ष जी, जो मुलायम सिंह जी ने तथा असरार साहब ने कहा है उसमें 9 सवाल हैं जो टिप्पणी में दिये हैं। उनको मैं फिर से सुना दूं जिनके विषय में आप जानना चाहते हैं।

श्री मधुकर दिघे--

वह हमारे पास लिखे हुये हैं, हमें मालूम हैं।

श्री नारायण सिंह--

उनके बारे में आप पूछें तो मैं जवाब दूंगा।

श्री ऊदल—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो आपकी किताब "सहकारिता विभाग" छपी है उसमें रोशन लाल कमेटी ने जो 3 लाख की गडबडी का हवाला दिया है वह इसमें दिया हुआ है। तो मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि इस विभाग की पूरी छानबीन करायें। चाहे वह फर्रुखाबाद की बात हो या बनारस की बात हो। पूरे प्रदेश में इस बात की छानबीन करने का सवाल है। तो चाहे जहां हो—चाहे डी0सी0डी0एफ0 हो, चाहे पी0सी0एफ0 हो और चाहे सुपर मार्केट्स हों अर्थात् जो भी संस्थायें इस विभाग के अन्तर्गत आती हैं, उन सबकी व्यापक तरीके से जांच कराने के लिये किसी आयोग के गठन पर विचार करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

अध्यक्ष जी, मैंने बजट के वक्त भी इस बारे में कुछ बात कही थी। विभाग में इस किस्म की जो अनियमितता या गबन वहां है, उनके बारे में अलग-अलग आयोग बिठाने के बारे में हम विचार कर रहे हैं और जरूर प्रयत्न करूंगा कि ये सब दूर की जायं। (मेजें थपथपाई गईं)।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
15 अप्रैल, 1975।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

संख्या 3901 एन/9-2-30(10)3 एन–67

प्रेषक,

हृदय नारायण श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।

लखनऊ, दिनांक, 28 सितम्बर, 1974।

विषय—नजूल निर्देश–नजूल मैनुअल में संशोधन–भू-पट्टों के बारे में नीति सम्बन्धी स्पष्टीकरण।

महोदय,

स्वायत्त शासन अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 2264-एन—9-2-30(10)3 एन–67, दिनांक 19 दिसम्बर, 1972 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भू-पट्टों के बारे में प्रचलित नीति निर्देशों को लेकर अनेक क्षेत्रों में शंका व्यक्त की गई है तथा समय-समय पर विभिन्न सूत्रों ने वस्तुस्थिति के स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। अतएव निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है :

(1) सन्दर्भगत शासनादेश के पैरा 1(1), जिसके द्वारा निवास निर्माण स्थल के अलावा पट्टे पर दी जाने वाली अतिरिक्त भूमि की अधिकतम सीमा 2000 वर्गगज निर्धारित की गई है उसका मन्तव्य केवल निजी पट्टेदारों की भूमि से है न कि ट्रस्ट, निगम (कारपोरेट), विधिक (स्टेटुटरी), निबन्धित (रजिस्टर्ड) निकायों (बाडीज) की भूमि से।

(2) उक्त शासनादेश के पैरा 1 (3) में पट्टेदारों द्वारा भू-हस्तान्तरण पर लगाई गई रोक ऐसे पट्टेदारों द्वारा प्रश्नगत भू-पट्टे की शर्तों के अनुसरण में ट्रस्ट, निगम (कारपोरेट) विधिक (स्टेटुटरी) निबन्धित (रजिस्टर्ड) निकायों (बाडीज) के पक्ष में किये गये/किये जाने वाले भू-हस्तांतरण पर लागू नहीं होगी तथा पूर्वोक्त शासनादेश से पैरा 1(3) में भू-हस्तान्तरण एवं विभाजन पर लगाये गये प्रतिबन्ध के आवास एवं विकास परिषद् तथा सहकारी आवास समिति/संघ अप्रभावित रहेंगे।

(3) पट्टागत अधिकारों के भू-हस्तान्तरण की रोक उन मामलों में भी नहीं लगाई जायेगी जिनके मूल पट्टों में इस प्रकार का हस्तान्तरण वर्जित नहीं है अथवा हस्तान्तरण हेतु पट्टादाता की अनुमति प्राप्त करने का प्राविधान नहीं है।

(4) निवास स्थान के अलावा 2,000 वर्गगज तक भूमि पट्टे पर दिये जाने का प्रतिबन्ध केवल उन्हीं आवासीय प्रयोजन वाले भू-पट्टों के मामलों में लागू होगा जिनके पट्टे नियमानुसार पूर्णतया समाप्त हो गये हों (अर्थात् 90 वर्ष की अधिकतम अवधि व्यतीत हो गई हो)। पट्टे की शर्तों के अनुसरण में मध्यवर्ती (90 साल के दौरान) नवीनीकरण के समय पट्टे की शर्तों का ही अनुपालन किया जायगा।

(5) विद्यमान पट्टे की शर्तों के अधीन रहते हुये उत्तराधिकारियों को भू-हस्तान्तरण अथवा उनके मध्य भूमि का नियमानुसार विभाजन किया जा सकता है।

इस आदेश की प्रति नजूल मैनुअल के अन्त में रख दी जाय। साथ ही, इसकी प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

हृदय नारायण श्रीवास्तव
उप सचिव।

संख्या 3901/(1)-नौ-2-30(10)3 एन/67

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना/आवश्यक कार्यवाही तथा अनुपालन सुनिश्चित कराने के आशय से इस अभ्युक्ति सहित प्रेषित कि वे इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें :—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा परीक्षक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।

(3) समस्त नगर महापालिकाओं के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, इलाहाबाद, (यथास्थिति प्रशासक, नगर महापालिका लखनऊ के अर्धशासकीय पत्रांक 2963/37-3-105(एम)-64, दिनांक 6 अप्रैल, 1973 के सन्दर्भ में)।

(4) समस्त नगरपालिकाओं के अध्यक्ष एवं अधिक्रान्त नगरपालिकाओं के प्रभारी अधिकारी।

(5) श्री ओ0पी0 राना, एडवोकेट आन रिकार्ड, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

(6) समस्त नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया अध्यक्ष।

(7) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(8) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(9) समस्त जिला सरकारी वकील (दीवानी), अपर जिला सरकारी वकील तथा पैनल के वकीलों के लिये (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(10) सचिवालय के स्वायत्त शासन शाखा के समस्त अनुभाग।

(11) सचिवालय के न्याय विधि मन्त्रणा (दीवानी वाद) अनुभाग, न्याय (लेखा अनुभाग) एवं राजस्व-9 अनुभाग, तथा

(12) अनुभागी गार्ड पुस्तिका।

आज्ञा से,

हृदय नारायण श्रीवास्तव,
उप सचिव।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी, लि0, लखनऊ के 31 मार्च, 1974 के बैलेन्सशीट में अदर ट्रेड डेटर्स के मद में जो रकम रु0 3,79,235.92 पैसे दर्शायी गयी है का विवरण:—

1—राज्य विद्युत परिषद् को नवम्बर, 1973 तथा मार्च, 1974 की अवधि में सोसायटी द्वारा बेंची गई स्टोर सामग्री का मूल्य	रु0 1,04,828.52
2—सोसायटी द्वारा विभिन्न फर्मों से खरीदे गये उन ट्रान्सफारमरों का मूल्य जो गारन्टी की अवधि में खराब हो गये और जिन्हें क्रय अनुबन्ध के अनुसार फर्मों से ठीक कराना है ..	2,74,407.40
योग ..	3,79,235.92

पी0एस0यू0पी0—एल0 124 वि0 सभा (941)—1975—8451